खण्ड-199, अंक-5
मंगलवार, 11 अग्रहायण, शक संवत् 1880
(2 दिसम्बर, 1958 ई0)

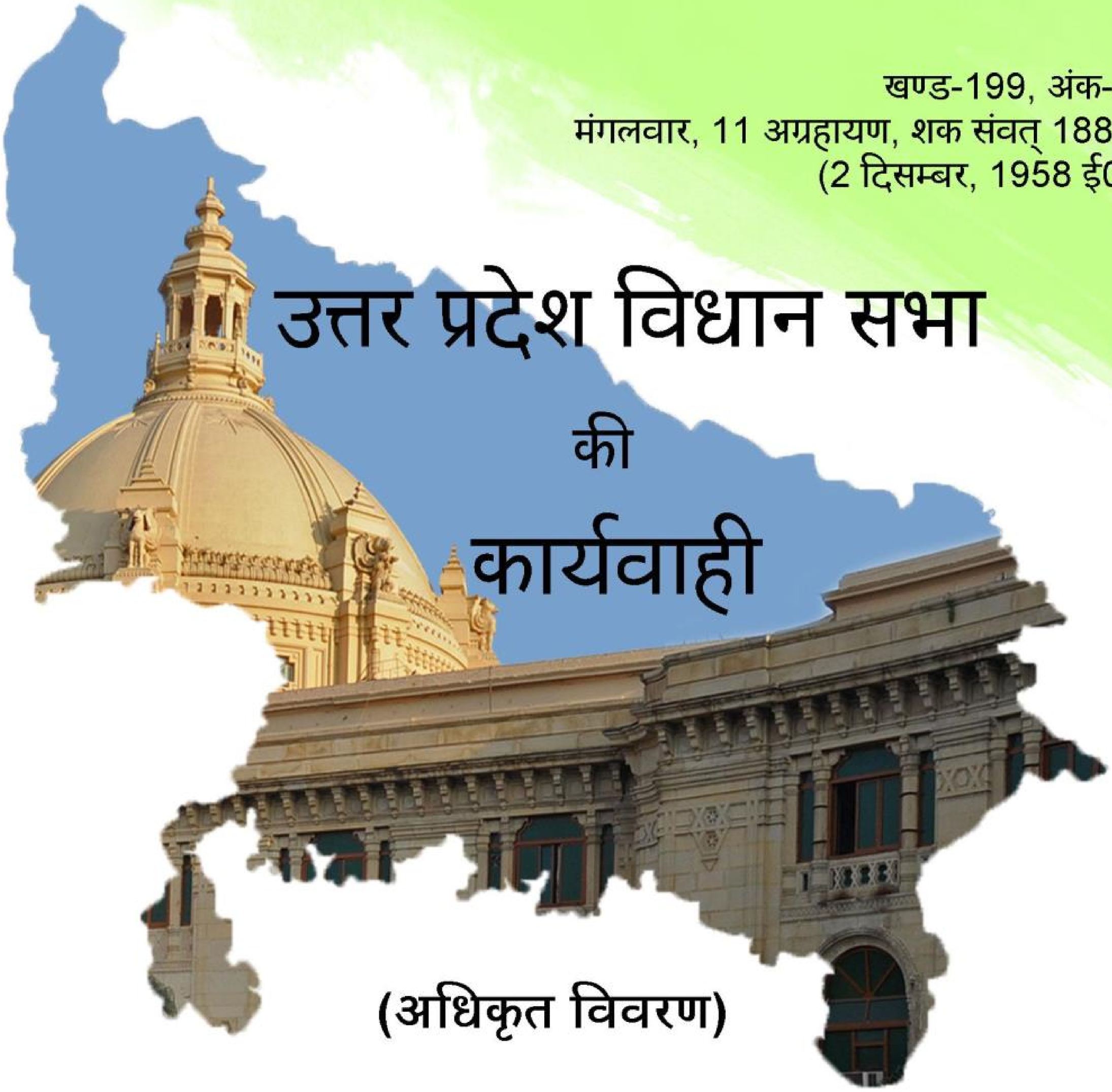

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 199 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८५

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाश नारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दातियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द्र, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुबीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)

रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायक सिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीर सिंह भी, जो विधान परिषद् के सदस्य हैं, उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५८

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ में टोंस नदी पर पुल का निर्माण

*१--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ में टोंस नदी पर दीवानी कचहरी आजमगढ़ के दक्षिण तरफ बाढ़ के दिनों में आने-जाने की सुविधा के कारण एक पुल का निर्माण-कार्य हो रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--जी हां ।

*२--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या यह सच है कि आजमगढ़ जिले में भीषण बाढ़ के दिनों में टोंस नदी पर बने सिधारी और स्टेशन रोड पर बड़ा पुल दोनों जलमग्न हो जाते थे और कठिनाई को दूर करने के लिये १२ लाख रुपये से उपर्युक्त दोनों पुलों के बीच में दीवानी कचेहरी से नरौली गांव तक बारह ताखों का पुल निर्माण करने की योजना बनाई गई थी ?

श्री गिरधारी लाल--प्रथम भाग, जी हां।

द्वितीय भाग---सरकार ने कथित कठिनाई को दूर करने के लिये दीवानी कचेहरी के पास १०.५९ लाख पये की लागत पर केवल पांच लाखों के पुल का निर्माण स्वीकार किया है जो १२ कुओं पर आधारित होगा।

*३---**श्री मुक्तिनाथ राय**--यदि हां, तो क्या कारण है कि अब केवल पांच लाखों का पुल बनाया जा रहा है ?

श्री गिरधारी लाल---प्रश्न नहीं उठता।

स्टार पेपर फैक्टरी, सहारनपुर को वन विभाग से लकड़ी देने की व्यवस्था

*४---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि स्टार पेपर फैक्टरी, सहारनपुर को वन-विभाग द्वारा विशेष शर्तों पर कुछ लकड़ी दिये जाने की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो कितनी तथा किस कीमत पर और कितनी अवधि के लिये ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---जी हां। नीचे लिखे प्रकार बल खाई हुई (twisted) चीड़ की लकड़ी दी जाने की व्यवस्था की गई है---

अ---१ वर्ष के लिये २ लाख घन फुट, १ आना फी घन फुट की दर से प्रयोग (experiment) के लिए।

ब---३० वर्ष के लिये प्रति वर्ष ३२,००० टन (१६,००,००० घन फुट) निम्न दर पर---

(१) पहले पांच वर्षों में १ आना घन फुट शुल्क धन (royalty) तथा १ आना घनफुट पुनः उत्पत्ति हेतु (regeneration) charges;

(२) फिर आगामी पांच वर्षों के लिये २ आना घन फुट शुल्क धन (royalty) तथा १ आना घन फुट पुनः उत्पत्ति हेतु (regeneration) charges;

(३) उक्त १० वर्ष की अवधि समाप्त होने पर आगामी २० वर्षों के लिए फैक्टरी और सरकार की आपसी बातचीत द्वारा निश्चित दर पर।

*५---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कम्पनी अभी तक समझौते के अनुसार कितनी लकड़ी वन-विभाग से प्राप्त कर चुकी है ?

श्री सैयद अली जहीर---कम्पनी अभी तक लगभग २ लाख घन फुट लकड़ी प्राप्त कर चुकी है।

*६---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि उक्त फैक्टरी अभी मशीनरी न पा सकने के कारण चालू नहीं हो सकी है ?

श्री सैयद अली जहीर---स्टार पेपर मिल्स तो १९३७ से चालू है। अब इसमें डुप्लीकेशन हो रहा है जिसके लिए नई मशीनरी मंगाई गई है।

*७-८---**कुंवर श्रीपाल सिंह** (जिला जौनपुर)---[९ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य विधायकों को रेलवे तथा बस पास देने की प्रार्थना

*९---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह विधान सभा व विधान परिषद् के सदस्यों को प्रदेश भर के लिये रेलवे का पास केन्द्रीय सरकार से दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---जी नहीं। जैसा कि ७ दिसम्बर, सन् १९५४ एवं २२ फरवरी, सन् १९५५ को सदन की बैठकों में श्री रामचन्द्र विकल एवं श्री द्वारका प्रसाद मौर्य द्वारा पूछे गये क्रमशः तारांकित प्रश्न संख्या ३० और १५ तथा तत्सम्बन्धी अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया जा चुका है कि केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में दो बार लिखा जा चुका है, परन्तु वह पास देने की किसी भी योजना से सहमत नहीं हुई।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार को किन-किन तारीखों में इस विषय में पत्र लिखे गये?

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---तारीखों के लिए नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री राम चन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो पत्र प्राप्त हुए हैं उनमें क्या विशेष कठिनाइयां उन्होंने बतायीं?

श्री हुकुम सिंह विसेन---वह खत इस वक्त हमारे पास नहीं हैं इसलिये इसका जवाब देना जरा दिक्कततलब है। मैं नोटिस चाहूंगा।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार प्रदेश के विधायकों को बस के पास दिये जाने की व्यवस्था करेगी?

श्री हुकुम सिंह विसेन---इस पर अभी विचार नहीं किया गया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार का कहना यह है कि अगर पासों का खर्चा प्रदेश की सरकार देने को तैयार हो तो केन्द्रीय सरकार को कोई आपत्ति नहीं है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जैसा मैंने उत्तर दिया, वह खतूत मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या यह सही है कि रेलवे मिनिस्टर ने यह कहा था कि १०० पास वह एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर देने को तैयार हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब वह खतूत नहीं हैं तो कैसे कह सकता हूं? मैंने पहले ही जवाब दिया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार उन खतों को देख कर इन प्रश्नों का जवाब देने की कृपा करेगी?

श्री हुकुम सिंह विसेन---नोटिस मिलने पर मैं जरूर कोशिश करूंगा।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)---माननीय मंत्री जी उन योजनाओं को बतायेंगे जो इस सम्बन्ध में इस सरकार ने केन्द्रीय सरकार को भेजी थीं?

श्री हुकुम सिंह विसेन---योजना तो साफ है कि इनको पास दिया जाय जिस तरह से पार्लियामेंट के मेम्बरों को दिया जाता है। यही योजना है।

बरहन-एटा रेलवे लाइन में ली गयी भूमि का मुआवजा

*१०--श्री भूप किशोर (जिला एटा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा के कलेक्टर ने बरहन से एटा तक रेलवे की लाइन बिछाये जाने के लिये भूमि ऐक्वायर करने को कोई आफीसर नियत किया था ?

श्री गिरधारी लाल--जी नहीं। एक स्पेशल लैंड ऐक्वीजिशन आफिसर की नियुक्ति सरकार ने की थी।

*११--श्री भूप किशोर--यदि हां, तो इस आफीसर ने जिनकी भूमि ऐक्वायर की थी उन्हें सरकार ने मुआवजा दे दिया ?

श्री गिरधारी लाल--ऐसे लोगों को मुआवजा दे दिया गया है। केवल जो लोग मुआवजा पाने के लिये उपस्थित न हो सके उनका मुआवजा अमानत माल में जमा कर दिया गया है।

*१२--श्री भूप किशोर--उस दिये जाने वाले मुआवजा की तादाद क्या है ?

श्री गिरधारी लाल--२,६४,७०३ रुपये ५ नए पैसे।

श्री भूपकिशोर--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन लोगों का मुआवजा अभी बाकी है वह कब तक दे दिया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--जिस वक्त वह उसके लिए प्रार्थना करेंगे उसी वक्त उनको मिल जायगा।

श्री भूपकिशोर--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन लोगों की कुल जमीन ऐक्वायर की गयी है उनको सरकारी विभाग में नौकरी देने में पहल की जायगी ?

श्री गिरधारी लाल--इस प्रश्न का ताल्लुक इससे कुछ नहीं जान पड़ता।

पी० डब्ल्यू० डी० ऐडवाइजरी कमेटी, बदायूं की सिफारिशें

*१३--श्री शिवराज सिंह यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं में पी० डब्ल्यू०डी० ऐडवाइजरी कमेटी कब बनी और उसकी कितनी बैठकें अब तक हुई हैं ? गत बैठक में क्या-क्या सिफारिशें और आब्जर्वेशन्स उपरोक्त समिति ने किये थे और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीर सिंह)--यह कमेटी २४-२-५६ को बनी। अब तक उसकी ६ बैठकें हुई हैं। गत बैठक में जो सिफारिशें समिति ने की थीं उनकी तालिका संलग्न है। इनमें से कुछ पर उचित कार्यवाही कर दी गयी है और बाकी पर की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९१ पर।)

श्री शिवराजसिंह यादव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पी०डब्ल्यू०डी० ऐडवाइजरी कमेटी की सिफारिशें तथा आब्जर्वेशन कहां-कहां भेजे जाते हैं ?

श्री महावीर सिंह--अब जो हम लोगों के हुक्म गये हैं उसके अनुसार प्रतिलिपि सीधे यहां पर आयेगी। ऐसे सीधे मुख्य अभियन्ता के पास भेजी जाती थी।

श्री शिवराजसिंह यादव--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गत ९ मास से जिला बदायूं की ऐडवाइजरी कमेटी की कोई बैठक न बुलाने का क्या कारण रहा ?

श्री गिरधारीलाल--इस वक्त नहीं कहा जा सकता कि क्या कारण रहा। आमतौर पर बातचीत से ऐसा मालूम होता है कि कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जो वहां पर उपस्थित नहीं थे। जो इंजीनियर उसके सेक्रेटरी होते हैं वह भी अपने दौरे पर गये हुए थे। मुमकिन है कि इस वजह से उसमें विलम्ब हुआ हो। ठीक जवाब में नोटिस मिलने पर दे सकता हूं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस किस्म की बात हो सकती है।

*१४--श्री शिवराजसिंह यादव--[९ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

मैनपुरी जिले में पंचायत विभाग में हरिजन कर्मचारी

*१५--श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में पंचायत विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं तथा किन-किन पदों पर और उनमें से कितने पदों पर कितने हरिजन हैं?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--जिला मैनपुरी में पंचायत विभाग के कुल १५५ कर्मचारी हैं। उनमें से १० पदों पर हरिजन हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है--

पद का नाम	कर्मचारियों की संख्या	हरिजन कर्मचारियों की संख्या
सहायक जिला पंचायत अधिकारी ..	१	—
पंचायत निरीक्षक	७	१
पंचायत निरीक्षक कार्यालय के लिपिक ..	७	१
चपरासी	८	—
पंचायत मंत्री	१३२	८
	१५५	१०

श्री रामदीन--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन विभागों में हरिजन अधिकारियों की कमी है उनमें वह उस कमी की पूर्ति करने के लिये सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार सदैव यह प्रयत्न करती है कि जितने अधिक से अधिक पंचायत मंत्री हरिजन लिये जा सकें उतने लिये जायं। सन् १९५४ में ११ हरिजन पंचायत मंत्री लिये गये थे लेकिन केवल ३ ने इनमें से आकर अपनी सर्विस को ज्वाइन किया। उसमें भी एक बाद को त्याग-पत्र देकर चला गया। इस वजह से वहां पर मुश्किल पड़ती है। वहां पर हरिजन आना नहीं चाहते हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--चपरासियों के संबंध में क्या हालत रही? क्या उसमें भी लोगों ने आने से इनकार किया?

श्री रामस्वरूप यादव--उन्होंने चपरासी होना पसन्द नहीं किया। इम्पलायमेंट एक्सचेंज को भी लिखा गया लेकिन वहां से भी कोई फेहरिस्त नहीं आई।

*१६--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[९ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

गोंडा जिले में मनकापुर--उतरौला सड़क पर बिसुही नदी के पुल में खराबी आ जाने की शिकायत

*१७--श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला में मनकापुर--उतरौला रोड पर बिसुही नदी पर कोई पुल १९५६--५७ में बना है? यदि हां, तो इस पुल के बनाने में कितना धन लगा है?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी हां।

द्वितीय भाग--इस पुल के निर्माण में लगभग ६२,००० रुपया व्यय हुआ है।

*१८--श्री बलदेवसिंह--क्या यह सही है कि उपरोक्त पुल लकड़ी का है और इस साल वह पुल खराब हो गया और मनकापुर-उतरौला बस का चलना कुछ समय के लिये बन्द हो गया था? यदि हां, तो इसका मुख्य कारण क्या है?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, यह पुल लकड़ी का है, किन्तु इस साल यह पुल खराब नहीं हुआ बल्कि पुल के उत्तर की ओर वाली पंखों के पास मिट्टी बैठ जाने के कारण सरकारी बसों को दो दिन ट्रांशिपमेंट करना पड़ा था।

श्री बलदेवसिंह--क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि जो पुल ६२,००० रुपया लगा कर तैयार हुआ था उसकी मिट्टी नहीं बही बल्कि उसका एक पावा बैठ गया है और पुल टेढ़ा हो गया है?

श्री गिरधारीलाल--इसकी कोई इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री बलदेवसिंह--क्या मेरी इस बात को सूचना मान कर माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री गिरधारीलाल--कृपया दफ्तर में आने का कष्ट कीजिये, मैं आप को पूरी बात बतला दूंगा।

श्री शिवप्रसादनागर--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पुल की मरम्मत का काम पूरा हो गया है या नहीं?

श्री गिरधारीलाल--मरम्मत तो हो ही गयी है।

गौरा-बरहज नगरपालिका की नजूल भूमि

*१९--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगरपालिका गौरा-बरहज (देवरिया) ने अपना नजूल लैन्ड जो उसे सन् १९४५ में जिला बोर्ड, देवरिया से प्राप्त हुआ था, बिना किसी आदेश या प्रस्ताव के सन् १९५४--५६ में बरहज के एक सेठ के नाम बन्दोबस्त कर दिया?

श्री रामस्वरूप यादव--इस प्रकार का कोई बन्दोबस्त नहीं किया गया है।

*२०--श्री उग्रसेन--उक्त बन्दोबस्त के कारण नगरपालिका गौरा-बरहज की क्या क्षति हुई?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रश्न नहीं उठता।

*२१--श्री उग्रसेन--जिला बोर्ड, देवरिया ने कितना नजूल लन्ड नगरपालिका, गौरा-बरहज को सन् १९४५ में ट्रांसफर किया था?

श्री रामस्वरूप यादव---बरहज स्थित डाक बंगले से लेकर पैना-रुद्रपुर सड़क के चौराहे के आगे बरहज अस्पताल तक यानी मील १८ के पत्थर तक सड़क तथा सड़क की पटरी म्युनिसिपल बोर्ड को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा दी गयी।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि बरहज नगरपालिका के अन्दर नजूल लैन्ड पर एक सेठ को बाजार लगता है जिसका बन्दोबस्त म्युनिसिपैलिटी ने किया था ?

श्री रामस्वरूप यादव---जो भूमि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से दी गयी है नगरपालिका को, उसका नगरपालिका प्रबन्ध कर रही है और इसके पहले जो नजूल लैन्ड नगरपालिका के पास थी उसका भी वही प्रबन्ध कर रही है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी के पास इस किस्म का कोई पत्र नगरपालिका बरहज से आया है कि उसकी नजूल लैन्ड पर अनधिकृत कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति ने कर लिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस प्रकार की एक शिकायत आयी थी कि श्री गोरख प्रसाद जायसवाल ने, जो अध्यक्ष नगरपालिका थे, इजाजत दे दी है एक साहब को। लेकिन यह पता लगा कि उसी स्थान पर एक साहब का मकान बना है और उसी के पास यह नजूल लन्ड थी। उनको अपना मकान बनाने का अधिकार था और उस मकान का नगरपालिका ने प्लान सैंक्शन किया था और उसी के अनुसार उन्होंने मकान बनाया था।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में नगरपालिका ने किसी किस्म का मुकदमा भी दायर किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो भूमि जिला बोर्ड ने नगरपालिका, बरहज को दी थी, जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने प्रश्न संख्या २१ के उत्तर में किया है, वह जमीन अब नगरपालिका के अधिकार में है अथवा किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार में है ?

श्री रामस्वरूप यादव---वह नगरपालिका के अधिकार में समझी जायगी और उसी के अधिकार में है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड द्वारा दी गयी नजूल भूमि की हदबन्दी नगरपालिका ने करायी थी और अभी एस०डी०एम० ने उसका पत्थर उखड़वा दिया था ?

श्री रामस्वरूप यादव---एस०डी०एम० ने पत्थर उखड़वा दिया, ऐसी कोई सूचना नहीं है।

मेहतरों के क्वार्टर्स बनाने के लिये नगरपालिका, शाहाबाद, जिला हरदोई की मांग

*२२---श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, शाहाबाद (हरदोई) ने मेहतरों के क्वार्टर्स बनाने के निमित्त सरकार से धन की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---जी हां।

धनाभाव के कारण, नगरपालिका और संबंधित जिलाधीश से कह दिया गया है कि इस मांग को सरकार के पास अप्रैल, १९५९ में दुबारा भेजा जावे। यदि उस समय बजट में प्राविधान हुआ तो उक्त मांग पर विचार किया जावेगा।

*२३–२५––श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––[सदस्य का स्थान रिक्त घोषित होने के कारण हटा दिये गये।]

अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्षों तथा सदस्यों को शपथ ग्रहण के आदेश

*२६––श्री शिवराजसिंह यादव––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीशों को इस आशय के हुक्म सरकार द्वारा भेजे गये हैं कि अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यगण को सदस्यता की शपथ दिलाई जावे?

श्री रामस्वरूप यादव––बिलकुल ऐसा तो नहीं है। हां, जिलाधीशों को यह परामर्श अवश्य दिया गया है कि यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मैनुअल के पृष्ठ १५१ पर छपे नियम के अनुसार अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यक्षों तथा सदस्यों को भारतीय संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लेना चाहिये।

श्री शिवराजसिंह यादव––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यगण के बिना शपथ लिये जो कार्यवाही हुई है वह कार्यवाही अनियमित मानी जायगी?

श्री रामस्वरूप यादव––वह वैध मानी जायगी।

श्री शिवराजसिंह यादव––क्या यह सही है कि जिला बदायूं के परिषद् के अध्यक्ष के पास सरकार का ऐसा पत्र गया कि जब तक सदस्यगण शपथ न ले लें तब तक कोई कार्यवाही न की जाय?

श्री रामस्वरूप यादव––ऐसा पत्र नहीं गया। यह परामर्श दिया गया था कि नियम में ऐसा है कि उन्हें संविधान के प्रति शपथ लेनी है।

श्री गेंदासिंह––क्या इस तरह का भी आदेश भेजा गया है कि जिस दिन शपथ ली जाय उस दिन परिषद् कोई कार्यवाही न करे, केवल शपथ ले?

श्री रामस्वरूप यादव––जी नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर––१५१ पन्ने पर लिखा है कि जब तक शपथ न ग्रहण करें तब तक वे अपना स्थान ग्रहण नहीं कर सकते, तो उसके पहले की कार्यवाही वैध मानी जायगी या अवैध?

श्री रामस्वरूप यादव––क्या लिखा है, यह तो पढ़ने वाली बात है। वैध और अवैध के लिये मैंने निवेदन किया कि वह कार्यवाही नियमित मानी जावेगी जो शपथ लेने से पहले भी हुई।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)––इस तरह के आदेश भेजने की आवश्यकता क्यों हुई?

श्री रामस्वरूप यादव––कभी-कभी जिलाधीशों ने ऐसा प्रश्न लिखकर भेजा है और स्पष्टीकरण करने के लिये आवश्यकता पड़ती है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)––क्या सरकार को पता है कि जो फार्म शपथ लेने के लिये भेजा गया है उसकी हेडिंग 'शासन के प्रति प्रतिज्ञा' लिखा हुआ है?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसी हेडिंग तो नहीं है। उसमें तो हवाला दिया गया है कि पृष्ठ संख्या १५१ के नियम के अनुसार संविधान के प्रति शपथ लनी चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या मंत्री जी इस चीज को स्वीकार करना चाहेंगे कि यह आदेश २ महीने बाद इसलिये दिया गया कि सरकार को अपनी गलती का पता २ महीने बाद लगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--स्पष्टीकरण के लिये ऐसा पत्र भेजा था।

बाराबंकी अन्तरिम जिला परिषद् की कार्यकारिणी समिति में सदस्यों की नामजदगी पर आपत्ति

*२७--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ११ जुलाई, सन् १९५८ ई० को बाराबंकी अंतरिम जिला परिषद् की बैठक में अध्यक्ष (जिलाधीश) ने परिषद् समिति का चुनाव वोट द्वारा न करा कर स्वयं समिति के व्यक्तियों को नामजद कर दिया था ? यदि हां, तो क्यों और किस धारा के अनुसार ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। जिलाधीश ने परिषद् की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को परिषद् की इच्छानुसार नामजद किया था। परिषद् ने इस आशय का एक प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास किया था।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस दिन परिषद् का चुनाव हो रहा था उस दिन मैंने स्वयं लिखकर विरोध किया था कि अधिकांश लोगों को एजेंडा देर में भेजे गये हैं और इसलिये प्राप्त नहीं हुए हैं, तो चुनाव टाल दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसा तो कुछ सज्जनों ने अवश्य कहा था कि एजेंडा देर से भेजे गये हैं। लेकिन नियम के अनुसार एजेंडा भेजा गया था इसलिये मीटिंग की कार्यवाही हुई। माननीय सदस्य ने भी मौखिक सुझाव दिया था कि जिलाधीश महोदय यदि नामजदगी कर दें तो कोई बुरी बात नहीं होगी।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या मंत्री जी मेरे उस पत्र को पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि वह बहुत लम्बा पत्र होगा, इसके पढ़ने की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण--जब जिला बोर्ड ऐक्ट में चुनाव की पद्धति बताई गई है तो किस नियम के मुताबिक जिलाधीश जो अध्यक्ष है, उसको पावर डेलीगेट की जा सकती है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैं इसका स्पष्टीकरण कर दूं। सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अन्तरित जिला परिषद् में किया गया कि अध्यक्ष को वह अधिकार देती है कि वह कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा कर दें। लेकिन अध्यक्ष ने थोड़े ही समय में ७ नाम अपनी तरफ से प्रस्तावित किये जिन्हें वहां की अंतरिम जिला परिषद् ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इसलिये नामजदगी नहीं मानी जायगी। यह कहिये कि अध्यक्ष की तरफ से प्रस्तावत नामों को परिषद् ने स्वीकार किया।

श्री राजनारायण--क्या सरकार इस चुनाव को वैध मानती है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, कानूनी सलाह भी ले ली गयी है और वह चुनाव अवैध नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब श्री जंगबहादुर जी वर्मा उस बैठक में उपस्थित थे और वह विरोध करते रहे तो वह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत कैसे मान लिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने निवेदन किया कि उन्होंने विरोध मीटिंग में नहीं किया बल्कि उन्होंने मौखिक समर्थन किया कि अध्यक्ष नामजदगी कर दें तो कोई हानि नहीं है। विरोध के पत्र घोषणा और मीटिंग के बाद कुछ लोगों ने लिखे हैं ।

हरदोई जिले में सांडी नगरपालिका का चुनाव

*२८--**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सांडी (हरदोई) नोटीफाइड एरिया जो नगरपालिका में परिवर्तित हुई है उसका चुनाव कब होगा और नये बोर्ड के कितने सदस्य होंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--नवनिर्मित सांडी नगरपालिका (जिला हरदोई) में सदस्यों का चुनाव गत १६ नवम्बर, १९५८ को कराया जा चुका है।

प्रेसीडेंट का चुनाव ६ दिसम्बर को होगा। इसके पश्चात् ही नया बोर्ड संगठित हो जायगा, जिसमें १६ सदस्य होंगे।

खीरी जिले में एक पंचायतराज सेक्रेटरी की अपनी तहसील में नियुक्ति

*२९--**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)---क्या यह सत्य है कि जिलाधीश खीरी ने दो वर्ष पहले यह आदेश किये थे कि पंचायतराज सेक्रेटरी जिस तहसील के निवासी हैं उस तहसील में कार्य करने के लिये न रखें जांय ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां ।

*३०--**श्री जगन्नाथप्रसाद**--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि इस समय जिला खीरी में कितन एसे पंचायतराज सेक्रटरी हैं जो कि अपनी निवास-स्थान वाली तहसील में ही कार्य कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--केवल एक ।

*३१--**श्री जगन्नाथप्रसाद**--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि इस प्रकार का आदेश जिलाधीश ने किसी सरकारी आदेश के अनुसार दिया अथवा स्वयं ही ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं, इस प्रकार के कोई शासकीय आदेश नहीं दिये गय ।

*३२-३३--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)--[स्थानान्तरित किये गये ।]

गोरखपुर जिले में न्याय पंचायतों का संगठन न हो सकना

*३४--**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में कितनी न्याय पंचायतें ऐसी हैं जो अभी संगठित नहीं हुई हैं ? उनके संगठित न होने का कारण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--गोरखपुर जिले में ११ न्याय पंचायतें अभी संगठित नहीं हुई हैं। इनके संगठित न होने का कारण यह है कि इनके पंचों के नामांकन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिकायें विचाराधीन हैं ।

*३५--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त जिले में कितनी ग्राम सभायें ऐसी हैं जहां सभापति नहीं हैं और कब से नहीं हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--गोरखपुर जिले में कोई गांव सभा ऐसी नहीं है जहां सभापति न हो ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंग कि य ११ न्याय पंचायतें कौन-कौन-सी हैं जो संगठित नहीं हुई हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--खैराटी, सिरसिया खास, देवघाटो, मनिकौरा, कानापार, परसौना, बनुआ, बैकनियाहरेया, जारा, बरवा द्वारिका प्रसाद, नरें खास ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--ये कितने दिन से संगठित नहीं हुई हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--जब दोबारा न्याय पंचायतें बनीं, चुनाव के आधार पर जिनका सन् ५६ में नामांकन हुआ था, तभी से समझा जायगा । अभी तो उनकी शुरुआत भी नहीं हुई है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--इस चुनाव को हुए करीब २ वर्ष हो गया, तो वहां के विवादों का निपटारा कैसे हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह सरकार के हाथ की बात नहीं है । हाई कोर्ट में याचिकायें चल रही हैं । कानून के अनुसार उनका निपटारा हो रहा है ।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--जो न्याय पंचायतें संगठित नहीं हैं, वहां के गांवों के मुकदमे देखने के लिये सरकार कुछ प्रबन्ध करने पर विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसमें कानून में संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि एक क्षेत्र का जो अधिकारी है उसको दूसरा क्षेत्र देना पड़ेगा, इसलिये कुछ कठिनाई पड़ेगी ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में ग्राम सभाओं के सभापति इस प्रश्न के करने के बाद चुने गये या पहले ही ?

श्री रामस्वरूप यादव--कुछ स्थान त्याग-पत्र तथा और कारणों से रिक्त हुए थे । जुलाई में ३ स्थान रिक्त हुए थे । उनका चुनाव सितम्बर, ५८ में हुआ । कुछ स्थान अविश्वास की वजह से खाली हुए थे जिनका चुनाव २० अक्तूबर को कराया गया । संभव हो सकता है कि प्रश्न के दौरान में भी एक आध स्थान रिक्त हुआ हो और जिसकी पूर्ति २० अक्तूबर को हुई हो । इस समय कोई स्थान रिक्त नहीं है ।

*३६--श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--[बारहवें मंगलवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानांतरित किया गया ।]

*३७--श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)--[१६ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

कालपी के निकट यमुना पर पुल निर्माण-योजना

*३८--श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कालपी के पास यमुना नदी पर जो पुल बनने वाला है उसमें कब से काम शुरू हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल--कार्य आरम्भ करने में अभी २ वर्ष और लगने की सम्भावना है ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या माननीय मंत्री जी इस पुल के निर्माण के लिये कोई निश्चित प्रोग्राम सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--इसका निश्चित प्रोग्राम और क्या रखा जा सकता है ? कुछ कारणों से उसमें २ वर्ष तो लग ही जायंगे। एस्टीमेट्स तैयार कराये जायेंगे, गवर्नमेंट आफ इंडिया और यू० पी० गवर्नमेंट की आपसी लिखापढ़ी में कुछ समय लगेगा,इस किस्म की दूसरी चीज भी हैं। इसके अलावा सर्वे वगैरह में समय लगेगा। इसमें भी दो वर्ष लग जायेंगे। इसके अतिरिक्त और किसी निश्चित योजना को सदन की मेज पर रखने की मैं आवश्यकता नहीं समझता।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या सरकार को मालूम है कि वर्षा के दिनों में जमुना को पार करने में दुश्वारी होती है ?

श्री गिरधारीलाल--इससे तो मैं सहमत हूं कि कष्ट जरूर होता है और किश्ती के जरिये पार कराया जाता है या पुल पर से जाने की स्पेशल परमिट लेकर उस पर से पार किया जा सकता है। इस किस्म की दिक्कत महसूस की गयी थी इसलिये ही पुल बनाने की योजना बनायी गयी है।

नगरपालिका बस्ती को पक्की सड़कें बनाने के लिये अनुदान

*३९--श्री रामलाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका बस्ती की पक्की सड़क बनाने के लिये १९५७ तथा १९५८ ई० में सरकार ने रुपया दिया था ? यदि हां, तो कितना ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में क्रमशः १८,००० व २४,००० रुपए की धनराशि नगरपालिका बस्ती को सड़क अनुदान के रूप में दी गयी थी।

*४०--श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--[९ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

हरिजनों के मकानों को गृह-कर से मुक्त करने की प्रार्थना

*४१--श्री मूलचन्द (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन नगरपालिकाओं और टाउन एरियाओं में हरिजनों के रहने के लिये मकान हरिजन कल्याण विभाग द्वारा बनवाये गये हैं उनको हाउस टैक्स से मुक्त करने की वह व्यवस्था करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--हरिजन सहायक विभाग द्वारा हरिजनों के रहने के लिये नगरपालिकाओं या टाउन एरियाओं में कोई मकान नहीं बनवाये गये हैं।

*४२--श्री आनन्द ब्रह्मशाह (जिला मिर्जापुर)--[१६ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४३-४४--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)--[९ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४५--श्री रूर्मसिंह (जिला शाहजहांपुर)--[१६ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४६-४७--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[हटा दिये गये।]

मैनपुरी जिला जेल के हवालाती

*४८—श्री नत्थूसिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिला जेल में ऐसे हवालाती कितने हैं कि जिन पर ६ माह के बाद भी केस नहीं चलाये जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई नहीं ।

* ४९-५०—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[१६ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

गांवों में वर्धा नुमा शौचालय बनवाने का सुझाव

*५१—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार प्रदेश के गांवों में वर्धानुमा शौचालय बनवाने तथा विस्तार सम्बन्धी किसी योजना पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस समय ऐसी कोई योजना बनाने का विचार नहीं है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार औरतों की सुविधा के लिये ग्राम पंचायतों को वर्धानुमा पाखाने बनाने के लिये आज्ञा प्रदान करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो ग्राम के लोगों की सुविधा और असुविधा का प्रश्न है, सरकार को आज्ञा देने की बात नहीं है । उन्हें अधिकार है कि वे उनको बनायें । जहां पर राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड हैं वहां पर उनके अधिकारी उसमें सहायता करेंगे । दूसरे स्थानों की ग्राम सभाओं को यदि सहायता की आवश्यकता हो तो वे अपने क्षेत्र की स्थानीय जिला विकास संस्थाओं से सहायता प्राप्त कर सकती हैं । वे उनको अवश्य मदद देंगी ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार महिलाओं को शौचालय की सुविधा प्रदान करने के लिये खासतौर पर इसी काम के लिये स्पेशल ग्रांट मंजूर करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये तो मैंने अभी निवेदन किया कि इस समय ऐसा न धन ही है और न विचार ही है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मजदूरों की नियुक्ति की व्यवस्था

*५२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्य पर लेबर (मजदूर) नियुक्त करने, उनकी प्रतिदिन हाजिरी लेने, वेतन देने के क्या नियम हैं ?

श्री महावीरसिंह—मजदूरों की नियुक्ति आदि नियमों की तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४९२ पर)

*५३—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पर लगाये गये मजदूरों की हाजिरी लेने एवं वेतन पाने के समय आकस्मिक चेंकिंग आदि करने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री महावीर सिंह—मजदूरों की हाजिरी की आकस्मिक चेंकिंग भी निरीक्षक अधिकारी (Inspecting Officers) करते हैं ।

*५४—श्री मुक्तिनाथ राय—यदि नहीं, तो क्या सरकार आकस्मिक चेंकिंग की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री महावीर सिंह—इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ओवरसियर द्वारा कराये हुए कामों की चेकिंग मौके पर होती है या उनके द्वारा तैयार किये हुए कागजों की केवल कार्यालय में चेकिंग होती है ?

श्री महावीर सिंह--मौके पर भी होती है और कार्यालय में भी होती है ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ये निरीक्षण अधिकारी वही होते हैं जिनकी देख-रेख में काम होता है या वे अलग से होते हैं ?

श्री महावीर सिंह--देखरेख में तो काम होता ही है, नीचे से ऊपर तक असिस्टेंट इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और एस० ई० होते हैं, ये सभी काम लेने वाले हैं ।

श्री गंगाप्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मजदूर सार्वजनिक निर्माण विभाग में काम करते ह वे डेली वेजेज पर काम कर रहे हैं या माहवारी वेतन पर और उनको कितनी तनख्वाह मिलती है ?

श्री महावीर सिंह--माहवारी पर भी काम करते हैं और डेली वेजेज पर भी काम करते हैं ।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि जो दूर-दूर गावों में सड़कों पर या और जगहों पर पी० डब्ल्यू० डी० के मजदूर काम करते हैं उनको वेतन मिलने में काफी दिक्कत होती है ?

श्री महावीर सिंह--जब शिकायत मिलती है तो उस पर कार्यवाही की जाती है ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन गैंग्स का मस्टर रोल कब-कब पी० डब्ल्यू० डी० दफ्तर में लिखा जाता है और कब उनकी तनख्वाह बनती है ?

श्री महावीर सिंह--मंथली पेमेंट होने की दशा में मंथली बनता है और यदि बीच में होता है तो वह बीच में भी आता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो गैंग के मजदूर सड़कों पर काम करते हैं उनके कामों की चेकिंग के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था ऐसी की है या कोई पुस्तिका प्रत्येक गैंग के पास रखी है जिसमें जनरल पब्लिक भी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट लिख सके ?

श्री महावीर सिंह--एम० एल० एज० के लिये यह सुविधा दी गयी है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मंथली बेसिस पर जो मजदूर रखे जाते हैं उनको प्रतिमास क्या वेतन दिया जाता है ?

श्री महावीर सिंह--उनका फिक्स्ड है, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट है ।

मेरठ जिले में पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

*५५--कुमारी श्रद्धा देवी शास्त्री (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा मेरठ जिले की प्रत्येक तहसील में १९५२ से १९५८ के अगस्त माह तक कितनी-कितनी मील सड़कें बनायी गयी हैं ?

श्री गिरधारी लाल--इसका विवरण सदस्य महोदया की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४९३ पर)

इटावा जिले में बकेवर-विधूना सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*५६—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इटावा जिले के अन्दर कितनी मील कच्ची सड़कें पक्की बनायी जा रही हैं और उसमें अभी तक कितना कार्य हुआ ?

श्री महाबीर सिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कें पक्की बनाई जा रही हैं :—

(१) बाह-उदी रोड .. .. .. २ १/२ मील

(२) लखना-संडोस सड़क .. .. .. ८ मील

प्रथम सड़क पर मिट्टी भराई तथा सोलिंग कोट का कार्य पूरा हो चुका है। परन्तु दूसरी सड़क पर कोई कार्य नहीं हो पाया है।

*५७—श्री मिहरबान सिंह—क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भर्थना-विधूना सड़क जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पक्की होने को थी उस पर कार्य क्यों बन्द है, और वह कब तक पक्की हो जायगी ?

श्री महाबीर सिंह—इस सड़क को पक्का करने का कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलिति नहीं है।

श्री मिहरबान सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बकेवर-विधूना सड़क जो पी० डब्ल्यू० डी० ने पक्का बनाने के लिये लिया था वह कितने मील की है और उसमें से कितनी बन गयी है ?

श्री गिरधारीलाल—यह सड़क जैसा कि जवाब में कहा गया है हमारी योजना में ही नहीं थी।

श्री मिहरबान सिंह—माननीय मन्त्री जी से मैंने यह प्रश्न किया था कि यह जो सड़क पी० डब्ल्यू० डी० में ली गयी है बकेवर-विधूना सड़क, उसमें से कितनी सड़क अभी तक बन गयी है ?

श्री गिरधारीलाल—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

सारनाथ के निकट गौतमबुद्ध मार्ग पर नाद नदी का पुल बनवाने की प्रार्थना

*५८—श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—क्या निर्माण मन्त्री वाराणसी जिले के सारनाथ साइड से नियार जाने वाले गौतमबुद्ध मार्ग पर रवना बेला ग्राम के पास वाली छोटी नदी पर पुल बनायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। सरकार का अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री लोकनाथ सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रवना-बेला ग्राम के पास नाद नदी जो बह रही है उसके आर-पार जाने के लिये जनसाधारण के लिये कोई उचित व्यवस्था सरकार करने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह क्षेत्र अन्तरिम जिला परिषद्, वाराणसी के अन्तर्गत है। मुमकिन है दिक्कत हो किन्तु अन्तरिम जिला परिषद् ही पुल बनवा सकती है।

श्री लोकनाथ सिंह—क्या माननीय मन्त्री मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे कि जब तक पुल का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक कोई और उचित व्यवस्था करें ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह अन्तरिम जिला परिषद्, वाराणसी को ही कहा जा सकता है कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे लोगों को दिक्कत न हो ।

कानपुर जिले में नवीन सड़कों की निर्माण योजना

*५९—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले की निम्नलिखित सड़कें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कंकड़ की बनाना स्वीकार की गई थीं ? यदि हां, तो उनके निर्माण हेतु अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है :

नं० १—नानामऊ से बिल्हौर होते हुए झींझक तक,

नं० २—अरौल से सिकन्दरा तक,

नं० ३—शिवली से सचेंडी, रमईपुर, मझावन होते हुए जहानाबाद तक ?

श्री महाबीर सिंह—प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुरलीधर कुरील—क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में कितनी मील नयी पक्की सड़क बनाने के लिये ली गयी है ?

श्री गिरधारीलाल—९ मील ३ फर्लांग ।

श्री मुरलीधर कुरील—यह टुकड़ा कहां से कहां तक लिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—झींझक से रसूलाबाद तक ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या माननीय मन्त्री को ज्ञात है कि इस प्रश्न में जिन सड़कों का जिक्र है उनको पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में ही बनाने का निश्चय किया गया था ?

श्री गिरधारीलाल—इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री मुरलीधर कुरील—झींझक से रसूलाबाद तक जो ९ मील का टुकड़ा है उस पर काम कब प्रारम्भ होगा ?

श्री गिरधारीलाल—यह इसी योजना-काल में होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार शिवली से सचेंडी, रमईपुर, मझावन होते हुए जहानाबाद तक जो सड़क है उसे इसी योजना में रखने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—इस वक्त तो, मैंने जैसा बतलाया, बिलकुल यही स्थिति है। इससे आगे हम कोई सड़क नहीं ले सकेंगे ।

हसनपुर नगरपालिका में सीमेंट खराब हो जाने की शिकायत

*६०—श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार को ज्ञात है कि हसनपुर नगरपालिका के पास लगभग एक हजार बोरी सीमेंट रक्खा हुआ जम कर खराब हो गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—सीमेंट की ९२० बोरियां थीं । ४६० बोरियों में कुछ खराबी आने लगी थी । इनमें से ३५२ बोरियां खर्च हो चुकी हैं और १०८ काम में लाई जा रही हैं । शेष ४६० बोरियां सुरक्षित हैं ।

*६१—श्री जगदीशप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह सीमेंट नगर-पालिका ने किस कार्य के लिये लिया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—सड़क बनाने के लिये ।

श्री जगदीशप्रसाद—क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि ये बोरियां जो प्रयोग में आईं ये किस प्रयोग में आईं ?

श्री रामस्वरूप यादव—बोर्ड के दो बड़े कमरे, दो बरामदे, स्टोर, गैरेज और चौकीदार के क्वार्टर्स के निर्माण कार्य में ये बोरियां काम में आईं ।

श्री जगदीशप्रसाद—जिस सड़क के लिये ये बोरियां स्वीकृत हुई थीं वह सड़क क्यों नहीं बनाई गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—उस सड़क के एस्टिमेट के स्वीकार होने में देरी हुई, इसलिये जब यह देखा गया कि ये बोरियां खराब हो रही हैं लिहाजा दूसरे काम में लाई गयीं । लेकिन सड़क भी निर्मित होगी ।

श्री जगदीशप्रसाद—क्या यह बात सत्य है कि नगरपालिका ने एक सड़क स्वीकार की थी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर दी थी, परन्तु चेयरमैन दूसरी सड़क बनाना चाहते थे इसलिये वह सड़क नहीं बनी ?

श्री रामस्वरूप यादव—किस बात पर संघर्ष था इसके लिये तो सूचना चाहिये । लेकिन यह बात ठीक है कि जिले से आये एस्टिमेट के स्वीकार होने में देर हुई । सम्भव है यह कारण भी हो ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो उन्होंने कहा कि कुछ खराब हो गया था सीमेंट, तो कितना सीमेंट आपकी सूचना के मुताबिक खराब हो गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरे कहने का आशय यह था कि नमी की वजह से कहीं-कहीं सीमेंट जम उठता है तो उसको ऐसे काम में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां हानि न हो, जैसे उसको ईंटों के बीच में इस्तेमाल किया जा सकता है परन्तु पुल में उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिये ।

कत्था बनाने के लिये फैक्टरियों को खैर के पेड़ बेचने की व्यवस्था

*६२—श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कत्थे के पेड़ फैक्टरी को नीलाम द्वारा दिये जाते हैं या किसी निश्चित दर के आधार पर ?

श्री रामस्वरूप यादव—फैक्ट्रियों को कत्था बनाने के लिये खैर के दरख्त समय-समय पर निर्धारित दर पर दिये जाते हैं ।

श्री खूबसिंह—सरकार बतायेगी कि निर्धारित दर पर दिये जाने से गवर्नमेंट की आमदनी में क्या नुकसान हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—नुकसान तो अभी तक कोई मालूम नहीं होता क्योंकि जो खैर के दरख्त हैं एक जमाने में जब कि इंडियन वुड प्रोडक्ट्स, आइजटनगर की नहीं बनी थी तब आठ आने पर फी दरख्त बिकता था । अब नये मुआहिदे के हिसाब से ११४ रुपये फी दरख्त दिया जा रहा है और यह मुआहिदा १९६० में खत्म होगा । इसी तरह से कृष्णा कत्था फैक्टरी जो १९५६ में कायम हुई है उसको १३२ रुपये २५ नये पैसे के हिसाब से दरख्त दिये जा रहे हैं । जहां तक ख्याल है इसमें काफी फायदा होता है, नुकसान की कोई बात नहीं है ।

श्री खूबसिंह---क्या यह सच है कि उस आक्शन में खैर के एक पेड़ के नीलाम का औसत २०० रुपये से ऊपर आया है गुजश्ता साल में ?

श्री सैयद अली जहीर---यह कीमत जो है अमूमन गुजश्ता तीन साल या साल में जो दाम आते हैं उस पर दी जाती है । तो इस साल जो दाम आये हैं उसके बाद जो कीमत मुकर्रर होगी उसका जरूर लिहाज रखा जायगा कि उसकी कीमत बढ़ती जा रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---गृह उद्योग से जो भट्ठियों से कत्था बनाते हैं उनके लिये भी निर्धारित रेट से खैर के पेड़ देते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---नहीं, वह तो जो पब्लिक आक्शन होता है उसमें ले कर इंडिजिनस मेथड से बनाते हैं ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार को इसका पता है कि जो छोटे स्केल के कारखाने हैं उनसे कम कीमत पर लार्ज स्केल के कारखानों को खैर के पेड़ दिये जाते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---यह मुझे मालूम नहीं है । छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज जो हैं वह तो नीलाम में जो दाम आते हैं उस पर लेती हैं और यह खुली बात है जो दाम बाजार में मिलते हैं उसी हिसाब से लेते हैं ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार ने कोई इस प्रकार का आदेश नीलाम करने वाले हाकिमों को भेज रखा है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को रियायत दी जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में तीन फैक्टरीज को तो मुआहिदे के हिसाब से दिये जाते हैं । जहां तक बाकी कत्थे के दरख्त हैं वह नीलाम किये जाते हैं ।

श्री खूबसिंह---क्या सरकार इस बात के लिये तैयार है कि इस प्रश्न की दोबारा जांच करके कि ओपेन आक्शन में पेड़ों की अधिक कीमत आती है, सब के लिये ओपेन आक्शन खोलने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक इस सवाल पर गौर हुआ, खयाल यह है कि अगर ऐसा किया जायगा तो उस से नुकसान हो जायगा क्योंकि अभी तो थोड़े दरख्त फैक्टरियों को अच्छे दामों पर दिये जाते हैं और जो रह जाते हैं उनके दाम अच्छे आ जाते हैं और अगर खुला नीलाम होने लगे तो कीमत घटने का डर है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार के पास जो वहां के स्थानीय छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे में लोग लगे थे उन्होंने कोई प्रतिवेदन दिया है और कोई आंकड़े प्रस्तुत किये हैं कि फैक्टरियों को कत्थे का रोजगार देने से सरकारी आय में कमी हो गई है जब कि व्यक्तिगत उद्योगों को देने से उस में बढ़ोत्तरी थी ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, रिप्रेजेन्टेशन कई आये हैं और सब पर विचार हुआ है और उन का जवाब दिया गया है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को मेरा भी कोई पत्र मिला है जिस का आज तक कोई उत्तर सरकार की ओर से नहीं मिला और न सरकार ने कोई एस्टीमेट ही दिया कि उसे क्या लाभ और हानि हो रही है जब कि यह निश्चित है कि व्यक्तिगत ढंग के छोटे उद्योगों से सरकारी आय बढ़ी है और फैक्टरियों से आय घटी है ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक आप के खत का ताल्लुक है मुझे कोई इत्तिला नहीं है और याद भी नहीं है, अगर कोई खत होगा तो उस का जवाब दिया जायगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि किन-किन कत्था फैक्टरियों को किन-किन भावों पर कत्थे के दरख्त दिये जा रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---दो के नाम तो मैंने अभी बताये, एक तो है इंडियन वुड प्रोडक्ट, आइजटनगर, बरेली और दूसरी है कृष्णा कत्था इंडस्ट्रीज, हल्द्वानी और तीसरी एक और है लोकल इंडस्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज जो अब की जनवरी से चालू हो जायगी। पहली जो है उस को ११४ रुपये के रेट पर दिये गये हैं, दूसरी को १३२ रुपये २५ नये पैसे के हिसाब से दिये गये हैं और तीसरी के रेट अभी निर्धारित नहीं हुये हैं, गौर हो रहा है कि क्या दाम निर्धारित किये जायं।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि फैक्टरीज खुलने से पहले कत्था बनाने वाले उद्योगों को किस दर पर पेड़ नीलाम किये जाते थे और अब किस दर पर दिये जाते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---नीलाम के लिये तो मैं कोई दर नहीं बता सकता, जो कीमत नीलाम में आ जाती है उसी पर दिये जाते हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नीलाम से कत्थे के पेड़ का एवरेज रेट क्या मिलता है ?

श्री सैयद अली जहीर---जो नीलाम के रेट आये हैं वह मेरे पास नहीं हैं, फैक्टरीज के रेट थे वह मैंने बता दिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान उत्तर प्रदेश शासन की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, १९५८ के भाग १ के पृष्ठ ६ की ओर गया है जिसमें लिखा है कि जून, १९५६ में एक वन डिवीजन की स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान में यह पता चला कि सरकार को कई वर्षों तक सार्वजनिक नीलाम की अपेक्षा कुछ कम्पनियों के साथ रियायती दरों पर निजी समझौते से तय कर के उन्हें खैर के वृक्षों की बिक्री करने से काफी सरकार को हानि उठानी पड़ी ? और क्या इन कम्पनियों को कम दर पर पेड़ दिये गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, मुझे इसकी इत्तला नहीं है।

दो-दो जिलों के मुकदमें करने वाले जिला जज

*६३---श्री गणेश चन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे जिला जज कितने हैं जो कि दो-दो जिलों में काम कर रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---आठ ऐसे जिला जज हैं जो कि दो-दो जिलों में काम कर रहे हैं। और एक ऐसा जिला जज है जो कि २ से अधिक जिलों में काम कर रहा है।

श्री गणेश चन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुत से जिला जज ऐसे हैं जो एक जिले में कार्य कर रहे हैं, ८ ऐसे हैं जो २-२ जिलों में कर रहे हैं, १ जज ऐसा है जो दो से अधिक जिलों में काम कर रहा है, इसके कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---काम की कमी बेशी से यह फर्क है।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि कुमायूं में नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी के लिये एक ही जज काम करता है ? यदि हां, तो क्या एक एडीशनल जज की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---अभी इसकी कोई मांग हमारे पास आयी नहीं है, इससे मालूम होता है कि काम सुचारु रूप से चल रहा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाई कोर्ट में ५१,००० अपीलें पेंडिंग हैं और हर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां इसी प्रकार से अपीलें पेंडिंग हैं उनके काम करने की कोई नयी रीति निर्धारित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--यह उठता नहीं है ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हुए कि देवरिया जिले में भी काफी काम बढ़ गया है और केसेज पेंडिंग हैं, देवरिया में भी जिला जज नियुक्त करेंगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट जज उसे पूरी तौर से अंजाम दे देते हैं ।

*६४--श्री गनेशचन्द्र काछी--[५ दिसम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या १०५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बरेली-बदायूं सड़क के रामगंगा पुल पर पथकर लगाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*६५--श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्रथम तथा द्वितीय योजना में निर्मित पुलों पर कोई टैक्स नहीं लेने की नीति प्रदेशीय सरकार स्वीकार कर चुकी है ?

श्री महाबीरसिंह--जी नहीं, राष्ट्रीय मार्गों के अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन अन्य सभी सड़कों पर स्थित स्थायी पुलों पर जो २१ जुलाई, १९५६ के बाद यातायात के लिये खोले गये हैं तथा जिनकी लागत २ १/२ लाख रुपये व स्पैन २०० फिट से अधिक हैं, चाहे वह केन्द्रीय सरकार की सहायता से बने हों या राज्य कोष से, पथ-कर लागू होगा ।

*६६--श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में बरेली-बदायूं रोड पर रामगंगा का जो पुल बन रहा है इस पर सरकार का टैक्स लेने के बारे में क्या आदेश हैं ?

श्री महाबीरसिंह--सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार इस पुल के बन जाने पर इस पर पथ-कर लगाया जायेगा ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने ऐसा आग्रह प्रदेशीय सरकार से किया कि उनकी सहायता द्वारा बनाये हुए पुलों पर कोई पथ-कर न लगाया जाय ?

श्री गिरधारीलाल--नहीं, ऐसा कोई आग्रह नहीं किया ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेशीय सरकार यह स्वीकार कर चुकी है कि ढाई लाख की लागत से कम के पुल जो केन्द्रीय सरकार की सहायता से बने हैं उन पर कोई पथ-कर न लगाया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--किसी की भी सहायता से बने, जो यू० पी० स्टेट पुलों को बनायेगी और जो उसके होंगे उनके ऊपर यू० पी० के कायदे कानून ही लागू होंगे और टैक्स वगैरह कायम रहेंगे । जो अपवाद है वह हाईवेज का है । उनके ऊपर वह जैसी हिदायतें और आदेश देंगे हम मानेंगे ।

श्री जगदीशप्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस पुल के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितना रुपया मंजूर किया है ?

श्री महाबीरसिंह--नोटिस की आवश्यकता होगी ।

*६७-६९—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—[१६ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

बांदा जिले के करवी कस्बे में नलकूप बनाने की प्रार्थना

*७०—श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बांदा जिले के करवी कस्बे में जल पीने हेतु सन् १९५६ में एक नलकूप बन रहा था और मशीन खराब होने के कारण उस पर काम बन्द हो गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, सन् १९५५ में एक परीक्षण नलकूप खोदने का प्रयत्न किया गया था लेकिन धरातल की सतह से १४९ फीट नीचे जाने के पश्चात् कड़े पत्थर की पर्त मिलने के कारण अधिक गहराई तक खुदाई न हो सकी और परीक्षण नलकूप के निर्माण का कार्य स्थगित करना पड़ा ।

श्री जगपतिसिंह—माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जैसा उन्होंने मेरे पूर्व प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया था, इस नदी के किनारे दूसरा नलकूप बनाकर जनता के कष्ट को निवारण करने की बात सोच रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—कष्ट को दूर करने के लिये ही तो यह परीक्षण नलकूप का प्रयत्न किया गया था लेकिन जब वहां बनने की सम्भावना नहीं है तो यह कैसे किया जा सकता है । अगर कोई ऐसा स्थान मिल जाता है जहां नलकूप बन सके तो अवश्य विचार किया जायगा ।

श्री जगपतिसिंह—पहले एक दूसरा स्थान नदी के किनारे निर्धारित किया गया था । उसी के मुताबिक उत्तर दिया गया था । इसी वास्ते मैं प्रश्न करता हूं कि क्या फिर दोबारा यह सरकार इस विषय में सोच रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, पहले क्या उत्तर दिया गया, इस वक्त उसका स्मरण तो नहीं है लेकिन अगर आपका कोई सुझाव है और उसको आप लिख कर भेज देंगे तो जरूर ही उस पर विचार किया जायगा ।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)—जहां पहले कुंआ खोदा जा रहा था उसमें कितना रुपया खर्च हो चुका था ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

महाराजगंज तहसील में वन विभाग की भूमि पर वृक्षारोपण

*७१—श्री चन्द्रिकाप्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महाराजगंज तहसील में बन विभाग के पास जो जमीन है उसमें कितनी भूमि पर सन् १९५२ से अब तक बन लगाया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—१३१ एकड़ भूमि पर ।

श्री चन्द्रिकाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १३१ एकड़ भूमि में कुल कितना रुपया खर्च हुआ और कितने पेड़ तैयार हुये ?

श्री सैयद अली जहीर—१२, १२७ रुपये खर्च हुये । पेड़ों की तादाद तो नहीं मालूम है, लेकिन जैसा जवाब में कहा गया १३१ एकड़ जमीन के ऊपर दरख्त लगाये गये हैं ।

श्री भूवनेश भूषण शर्मा—जो वन लगाया गया है इसमें किस-किस चीज के पेड़ हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तफसील इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा--जितने पेड़ लगाये गये उनमें से कितने सूख गये ?

श्री अध्यक्ष--जब उनको कुल पेड़ों का नम्बर ही नहीं मालूम है तो कितने सूख गये, इसका जवाब कैसे देंगे ?

*७२--श्री बाबूराम (जिला बरेली)--[९ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७३-७४--श्री परमेश्वर दीन वर्मा (जिला उन्नाव)--[९ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

पीलीभीत जिले में पकारी ग्रामवासी श्री विश्वेश्वरप्रसाद सहगल की भूमि पर अधिकार करने के सम्बन्ध में मुकदमा

*७५--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत के जिला मैजिस्ट्रेट व सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर द्वारा ग्राम पकारी (पीलीभीत) के श्री विश्वेश्वर प्रसाद सहगल की जमीन को बगैर acquire किये उस पर सड़क बना लेने के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में structure पास किया है उसके सम्बन्ध में उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री महाबीर सिंह--इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले को दोहराने के लिये स्पेशल अपील दायर कर दी गई है ।

*७६--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मुकदमे की पैरवी में अभी तक कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री महाबीर सिंह--इस मुकदमे की पैरवी में अभी तक लगभग २५० रुपया व्यय हुआ है । इसमें सरकारी वकील की फीस इत्यादि सम्मिलित नहीं है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सरकार ने अपने काउन्टर एफिडेविट में स्वयं यह बात स्वीकार कर ली है कि सड़क बनाने के पहले जमीन एक्वायर करने के लिये कोई नोटिफिकेशन नहीं किया गया था तो फिर अब अपील किस आधार पर की गयी है ?

श्री महाबीर सिंह--जमीन का विज्ञापन लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ४ के अनुसार हो चुका था ।

श्री गेंदासिंह--कितनी रकम मुआवजे की जमीन के सम्बन्ध में देनी थी ?

श्री महाबीर सिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

जिला बोर्डों तथा नगरपालिकाओं द्वारा लाइसेन्स फीस लेने के सम्बन्ध में राजकीय आज्ञा का कानपुर नगरपालिका द्वारा पालन

*७७--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार की ओर से प्रदेश के समस्त कमिश्नरों के कमिश्नरों को सरकारी आदेश संख्या ५३६६-ए/९--८४-८३, दिनांक १० जुलाई, १९५४ को भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां । आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४९४–४९५ पर)

*७८—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार की ओर से प्रदेश के समस्त कमिश्नरियों के कमिश्नरों को सरकारी आदेश संख्या २१९–बी/९-ए—८४-८३, दिनांक १४ मार्च, १९५६ को भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां । आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' (१) आगे पृष्ठ ४९६–४९८ पर)

*७९—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त दोनों आदेशों के अनुसार कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड अथवा प्रशासक, नगर-पालिका, कानपुर द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इन शासकीय आदेशों पर नगरपालिका, कानपुर द्वारा यह आदेश दिये गये थे कि भविष्य में जब कभी फीस लगाने का प्रश्न आवे, तब इन आदेशों को ध्यान में रख कर उचित कार्यवाही की जाये । इन्हीं आदेशों को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका, कानपुर में रिक्शा लाइसेन्स फीस २४ रुपया प्रति वर्ष से घटा कर २ रुपया प्रति वर्ष कर दी गई है ।

चित्रकूट तीर्थ की विकास योजना

*८०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध तीर्थ चित्रकूट के विकास के लिये कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या वह उसका विवरण देने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां । विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४९९ पर)

*८१—श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—[१६ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८२—श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)—[१६ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

गोंडा जिले में हरिजन तथा पिछड़ी जाति के पंचायत सेक्रेटरी

*८३—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कितने पंचायत निरीक्षक हैं ? उनमें कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी ? उनमें कितने हरिजन और पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिला गोंडा में कुल ११ पंचायत निरीक्षक हैं । इनमें आठ स्थायी और तीन अस्थायी हैं । उनमें हरिजन और पिछड़ी जाति का एक भी व्यक्ति नहीं है ।

*८४—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में कितने पंचायत सेक्रेटरी हैं ? उनमें कितने हरिजन और पिछड़ी जाति के हैं, तथा कितने १ जनवरी सन् १९५७ से १५ अक्तूबर, १९५८ तक पदच्युत किये गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—गोंडा जिले में कुल २६५ पंचायत सेक्रेटरी हैं। उनमें ९ हरिजन तथा २० पिछड़ी जाति के हैं। १ जनवरी, सन् १९५७ से १५ अक्तूबर, १९५८ तक कोई भी पंचायत सेक्रेटरी पदच्युत नहीं किया गया। हां, एक सेक्रेटरी की सेवायें, नोटिस देकर समाप्त की गयी हैं।

कोसी नदी द्वारा रामपुर के निकट बांध को क्षति

*८५—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला रामपुर में कोसी नदी ने रामपुर नगर के पास रेलवे पुल और रामपुर-मुरादाबाद सड़क के बीच शनिवार व रविवार दिनांक ३० व ३१ अगस्त, १९५८ को अपना रास्ता बदल (changed its course) कर सन्निकट बांध की १०० गज की लम्बाई को क्षतिग्रस्त किया है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां।

*८६—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[९ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*८७—श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—[९ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*८८—श्री जंगबहादुर वर्मा—[९ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

अन्तरिम जिला परिषद् जौनपुर के उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के अधिकारों का हस्तान्तरण

*८९—कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के जिलाधीश महोदय ने अन्तरिम जिला परिषद् के उपाध्यक्ष को परिषद् के अध्यक्ष पद के अपने सम्पूर्ण अधिकार सौंप दिये ? यदि हां, तो किस तारीख से तथा उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता किन कठिनाइयों के कारण हुई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अन्तरिम जिला परिषद् के उपाध्यक्ष को सम्पूर्ण अधिकार नहीं सौंपे गये हैं। चूंकि जिलाधीश को अन्य बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन करना पड़ता है अतः उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् आर्डिनेंस १९५८ की धारा ७(२) के अन्तर्गत कुछ अधिकार २९ जुलाई, १९५८ से उपाध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद् को सौंप दिये गये।

*९०—कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिला अन्तरिम परिषद् के उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष के अधिकारों की प्राप्ति के बाद से अब तक परिषद् के अधीन पाठशालाओं के कितने अध्यापकों का स्थानान्तरण किया तथा किस-किस आधार पर ये स्थानान्तरण किये गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उपाध्यक्ष ने कुल १० प्रधान अध्यापकों तथा ३५ अध्यापकों का स्थानान्तरण किया जिनमें से दो प्रधान अध्यापकों तथा १६ अध्यापकों का स्थानान्तरण बाद में पुनः विचार पर रोक दिया गया। यह स्थानान्तरण पाठशालाओं के छात्रों की कमी-बेशी के कारण वार्षिक प्रबन्ध के सिलसिले में कुछ अध्यापकों की सुविधा को दृष्टि में रखते हुये तथा एक स्थानान्तरण अनुशासन के दृष्टिकोण से किया गया था।

अध्यक्ष, नगरपालिका सीतापुर द्वारा जिलाधीश को गबन की रिपोर्ट

*९१--डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अध्यक्ष नगरपालिका सीतापुर ने दिनांक १४ सितम्बर, १९५७ ई० को जिलाधीश सीतापुर को १,६५३ रुपया ३ आने गबन की कोई रिपोर्ट की है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अध्यक्ष नगरपालिका सीतापुर ने जिलाधीश सीतापुर को १४ सितम्बर, १९५७ को गबन की रिपोर्ट अवश्य की थी पर उनकी रिपोर्ट में १,६९२ रुपया ३ आने के गबन तथा ३६ रुपया १० आने के मिसऐप्रोप्रियेशन का उल्लेख था। इस विषय में पुलिस द्वारा जांच कराई जा रही है।

*९२--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--[९ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*९३-९४--श्री चन्द्रजीत यादव--[९ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारी संघ, गाजियाबाद की मांगें

*९५--श्री राम स्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पी०डब्ल्यू०डी० कर्मचारी संघ, गाजियाबाद द्वारा ३० अगस्त, १९५८ से हड़ताल करने का नोटिस सरकार को दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां।

*९६--श्री रामस्वरूप वर्मा--यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं और सरकार ने उस पर क्या विचार किया है ?

श्री गिरधारीलाल--पी०डब्ल्यू०डी० कर्मचारी संघ, गाजियाबाद की मांगों की एक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है। इनमें से कुछ मांगे जैसा कि तालिका में दिया हुआ है, सरकार ने स्वीकार कर ली हैं तथा कुछ के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५०० पर)

ग्राम पंचायत अतौलिया, जिला प्रतापगढ़ के पंचों के कथित त्याग-पत्र

*९७--श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत अतौलिया, परगना मानिकपुर, जिला प्रतापगढ़ के समस्त पंचों ने पंचायत की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं।

*९८--श्री गयाप्रसाद--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि त्याग-पत्र देने का कारण क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रश्न ही नहीं उठता।

नगरपालिका, पीलीभीत के लिये अनुदान तथा दफा ३४ का प्रयोग

*९९--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि पिछले चार वर्षों में पीलीभीत नगरपालिका में दफा ३४ म्युनिसिपल ऐक्ट कितनी बार लागू हुई और उसके क्या कारण थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--पिछले चार वर्षों में नगरपालिका पीलीभीत में केवल एक बार म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा ३४ को लागू किया गया जब जिलाधीश पीलीभीत ने १३ जनवरी, १९५८ को की गई उक्त नगरपालिका की बैठक की कार्यवाही को इस कारण उक्त धारा के अन्तर्गत निषिद्ध किया था कि बैठक बुलाये जाने की सूचना पालिका के सब सदस्यों को निर्धारित तिथि से तीन दिन पूर्व नहीं दी गई थी।

*१००--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मार्च, १९५७ से अब तक कितनी ग्रांट उक्त नगरपालिका को सरकार द्वारा दी गई व किस-किस मद में ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--नगरपालिका पीलीभीत को ५८,४७८.५० रुपये का अनुदान निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत दिया गया है :

		रुपया
आर्थिक दंड	..	२२७·५०
मोटर वेहिकिल	..	१,२७५·००
शिक्षा	..	५६,९७६·००

इटावा जिले की बिधूना तहसील में पंचायत-कर अमीनों की शिक्षा योग्यता

*१०१--श्री भजनलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिधूना तहसील, जिला इटावा में पंचायत टैक्स वसूली के लिये ऐसे भी अमीन रक्खे गये हैं जिनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यता मिडिल वर्नाक्यूलर से भी कम है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां। केवल एक अमीन ऐसा है।

बदायूं-गुन्नौर-सहसवान सड़क पर महेवा नदी पार करने की व्यवस्था

*१०२--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि बदायूं जिला में महेवा नदी पर "बदायूं-गुन्नौर-सहसवान" रोड पर पान्टून ब्रिज (पीपे का पुल) की भी व्यवस्था रहती है और जिला बोर्ड की ओर से फेरी का भी प्रबन्ध है ?

श्री गिरधारीलाल--कथित सड़क पर पान्टून ब्रिज (पीपे का पुल) की कोई व्यवस्था इस समय नहीं है। गत वर्ष कुछ समय के लिये सड़क बनाने के लिये सामान इधर-उधर ले जाने की सुविधा के लिये पीपे का पुल बनाया गया था और फिर तोड़ दिया गया था। इस समय जिला परिषद् की ओर से फेरी का प्रबन्ध है।

खीरी जिले में बन विभाग से प्राप्त की जाने वाली जमीन के सम्बन्ध में जानकारी

*१०३--श्री छेदीलाल (जिला खीरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में वन विभाग की ओर से कितने काश्तकारों की कितनी एकड़ जमीन सर्क्युलर नम्बर ६२०/१४,७ जुलाई, १९५८ के सरकारी आदेश से ली जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--जब तक फारेस्ट सेटिलमेंट आफीसर की अदालत से इस तरह के चले हुये मामलों का निर्णय सरकारी आदेश के अनुसार नहीं होता, वापिस ली जाने वाली भूमि तथा काश्तकारों का ब्योरा उपलब्ध होना कठिन है।

*१०४--श्री छेदीलाल--क्या सरकार को पता है कि सम्बन्धित जमीन में अधिकांश पहले से ही किसानों के पास तरह-तरह के पट्टों के कारण हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--ऐसी जमीनों के पट्टों के सम्बन्ध में भी फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर का निर्णय प्राप्त हो जाने पर ही ठीक-ठीक सूचना मिल सकती है।

खीरी जिले में किसानों से जमीन वापस लिये जाने की शिकायत

*१०५--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में राज्यपाल महोदय के फारेस्ट विभाग सम्बन्धी सर्क्यूलर जो उन्होंने नम्बर ५३८०/१४, १९ दिसम्बर, १९५६ को निकाल कर किसानों की पट्टे पर दी हुई जमीन वापस की थी अब नम्बर ६२०/१४ के ७ जुलाई, १९५८ ई० के सर्क्युलर से उसको क्यों रद्द करके किसानों की जोती-बोई जमीन ली जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ है। इसलिये सवाल ही नहीं उठता।

*१०६--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार को पता है कि यह जमीन जमींदारी उन्मूलन से प्रथम किसानों ने पट्टे पर लेकर खेती प्रारम्भ की थी जिसको आज १२ साल के ऊपर अर्सा हो चुका है ?

श्री सैयद अली जहीर--सवाल नहीं उठता।

*१०७--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार बतायेगी कि जो जमीन किसानों की ली जा रही है उसमें खेती करेगी या जंगल लगायेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--सवाल नहीं उठता।

गोंडा नगरपालिका में जल-कल की व्यवस्था न होना

*१०८--श्री बलदेव सिंह (गोंड़ा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा नगरपालिका में जलकल की व्यवस्था कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--गोंडा नगरपालिका में जलकल की व्यवस्था पूर्ण होने का निश्चित समय देना असम्भव है। अभी तक इस कार्य के लिये धन की प्राप्ति नहीं हुई है। धन उपलब्ध हो जाने पर ही समय का उल्लेख करना सम्भव हो सकता है।

*१०९--श्री बलदेव सिंह (गोड़ा)--इसमें कितना कार्य हो चुका है और कितना बाकी है और अब तक कार्य पूरा न होने का मुख्य कारण क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अभी तक यह कार्य आरम्भ ही नहीं हुआ है। केवल वहां पर एक परीक्षण नलकूप राजकीय स्वास्थ्य बोर्ड के अनुदान ३१, १५० रुपये द्वारा निर्माण हुआ था। और धन उपलब्ध न होने के कारण योजना कार्यान्वित न की जा सकी। धन प्राप्त होते ही कार्य आरम्भ हो जायगा।

फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ-मुहम्मदाबाद सड़क का निर्माण न हो सकना

*११०--श्री कोतवाल सिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ से मुहम्मदाबाद तक सड़क बनने को थी लेकिन वह अब तक नहीं बनी इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल--आवश्यक धनराशि उपलब्ध न हो सकने के कारण अभी तक इस सड़क का निर्माण आरम्भ नहीं किया जा सका।

जौनपुर जिले में ग्राम सभाओं द्वारा चलाये गये भूमि सम्बन्धी कथित मुकदमे

*१११—कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में जनवरी सन् १९५६ से जनवरी सन् १९५७ तक भूमि सम्बन्धी कितने मुकदमे ग्राम सभाओं की ओर से चलाये गये तथा उनमें से कितनों में सफलता मिली ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ग्राम सभाओं द्वारा जनवरी सन् १९५६ से जनवरी सन् १९५७ तक भूमि सम्बन्धी कोई मुकदमा नहीं चलाया गया ।

जालौन जिले के मेलों में सरकारी प्रबन्ध न होना

*११२—श्री गरीबदास चौधरी (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जालौन में ऐसे कौन-कौन से मेले लगते हैं जिनकी व्यवस्था सरकार करती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिला जालौन में ऐसे कोई मेले नहीं लगते जिसकी व्यवस्था सरकार करती हो ।

पीलीभीत जिले की बरखेड़ा-दियोरिया सड़क के आंशिक निर्माण पर व्यय

*११३—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीलीभीत जिले की बरखेड़ा-दियारिया सड़क कितने मील सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनायी जा चुकी है तथा उस पर कितना धन व्यय किया गया ?

श्री गिरधारी लाल—केवल दो मील सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई थी तथा कुल व्यय १,३८३ रुपया हुआ था । उसके बाद सड़क जिला बोर्ड को लौटा दी गई थी ।

पीलीभीत जिले में बरखड़ा-दियारिया सकड़ के निर्माणार्थ अनुदान की आवश्यकता

*११४—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—क्या सरकार बरखेड़ा-दियोरिया सड़क (जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पीलीभीत जिला बोर्ड को दी जा चुकी है) के बनावाने के लिये व जिला परिषद् को अनुदान देने का विचार रखती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं ।

स्थायी तथा अस्थायी पंचायत निरीक्षक

*११५—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल पंचायत निरीक्षकों की संख्या क्या है ? उनमें से कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उत्तर प्रदेश में पंचायत निरीक्षकों की कुल संख्या ४४४ है । इनमें से ४०८ स्थायी हैं तथा ३६ अस्थायी ।

फारेस्टरों से रेन्जर

*११६—श्री प्रताप सिंह—क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९५७ से आज तक कितने फारेस्टर रेन्जर बनाये गये ?

श्री सैयद अली जहीर—कोई नहीं ।

इटावा जिले में पंचायत विभाग के अन्तर्गत व्यय

*११७—श्री भजन लाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के पंचायत विभाग में मार्च, १९५७ से मार्च, १९५८ तक कितना रुपया विकास कार्यमें खर्च हुआ है ? उसमें से कितना रुपया पंचायतराज आफिसर, पंचायत इंस्पेक्टर, पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत क्लर्कों, एवं चपरासियों के वेतन भत्ता, मोटर किराया, कार्यालय किरायों में खर्च हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इटावा जिले में मार्च, १९५७ से मार्च, १९५८ तक पंचायतराज विभाग में १,४२,५६३ रुपये ६३ नये पैसे विकास कार्यों पर व्यय किये गये । इसमें से पंचायत राज अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि पर कोई धन व्यय नहीं किया गया ।

गोमती की बाढ़ का पानी रोकने के लिये प्रागनारायण मार्ग—बटलर रोड—लखनऊ पर एक पुलिया बन्द करना

*११८—श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाढ़ के पानी के बहाव को रोकने के लिये प्रागनारायण मार्ग—बटलर रोड—लखनऊ पर की पुलिया गत् १९ अगस्त के लगभग सैन्ड बैगों से बन्द की गई जिसके फलस्वरूप लाजपत राय मार्ग एरिया में पानी भर गया ? यदि हां, तो उसके रोकथाम के लिये सरकार ने क्या किया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां । यह सही है कि प्रागनारायण मार्ग-बटलर रोड-लखनऊ पर स्थित पुलिया गत अगस्त मास में अति जलवृष्टि के कारण बालू के बोरों द्वारा बन्द कर दी गई थी क्योंकि यदि वह बन्द न की जाती तो गोमती के बाढ़ का पानी उक्त क्षेत्र में अधिक भर जाने की सम्भावना थी । वास्तव में अति जलवृष्टि के फलस्वरूप वे रोड (Way Road) और लाजपत राय मार्ग का कुछ भाग पानी से भर गया था । इस पानी को निकालने के लिये बोर्ड ने पानी उलचने के तीन पम्प उक्त क्षेत्र में लगाये थे, जो कई दिनों तक वहां का पानी निकालते रहे तथा यथाशीघ्र पानी बाहर निकाल दिया गया ।

*११९—श्री जगन्नाथ प्रसाद—[९ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१२०—श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—[९ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

इलाहाबाद नगरपालिका में गृह कर की वसूली

*१२१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया कर बतायेगी कि इस वर्ष ३१ जुलाई तक इलाहाबाद नगरपालिका में हाउस टैक्स की वसूलयाबी कितनी हुई और १९५७ में १ जनवरी से ३१ जुलाई तक कितनी हुई थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूचना निम्न प्रकार है —

समय	हाउस टैक्स वसूल हुआ	
	रुपया	नये पैसे
१—जनवरी, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५७ तक . ..	१,८५,७३७	१२
२—१ जनवरी, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५८ तक	१,९८,६२७	८६

टेम्पोरेरी सिविल तथा सेशन्स जज उरई जिला जालौन के विचाराधीन मुकदमें

*१२२—श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी टेम्पोरेरी सिविल तथा सेशन जज (उरई), जिला जालौन की अदालत में २५ जुलाई, १९५८ को कितने सेशन्स केसेज, फौजदारी की अपीलें, दीवानी की अपीलें, दीवानी के नम्बरी तथा खफीफा के मुकदमे पेन्डिंग थे जो पिछले—(१) एक वर्ष से, (२) दो वर्ष से तथा (३) तीन वर्ष से चल रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—एक तालिका सदन की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५०१ पर)

दो सहायक एकाउण्टेण्ट रखने वाली नगरपालिकायें

*१२३—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी नोटीफिकेशन संख्या २२६१/१९—७१८-४८, दिनांक २९ मार्च, १९४९ तथा एल० एस० जी० विभाग जी० ओ० नं० ४४०/१९—७१८-४८, दिनांक ३१ अक्तूबर, १९४९ के होते हुए भी कितने स्थानीय निकायों ने दो सहायक एकाउन्टेन्ट रक्खे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—केवल नगरपालिका, कानपुर तथा अन्तरिम जिला परिषद् जौनपुर ने दो सहायक एकाउन्टेन्ट रखे हैं ।

दो लाख से अधिक आय वाली नगरपालिकायें

*१२४—श्री बिहारीलाल (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की कितनी ऐसी नगरपालिकायें हैं जिनकी सालाना आय दो लाख रुपये से ऊपर है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उत्तर प्रदेश की ८२ नगरपालिकाओं की सालाना आय २ लाख रुपये से अधिक है ।

प्रतापगढ़ जिले में मानिकपुर टाउन एरिया के एक सदस्य का टैक्स के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

*१२५—श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला प्रतापगढ़ में तहसील कुण्डा के अन्तर्गत मानिकपुर टाउन एरिया के एक सदस्य ने माह जुलाई, १९५८ में टैक्स लगाने के सम्बन्ध में जिलाधीश को कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र माह जुलाई, १९५८ में नहीं दिया गया है ।

*१२६—श्री गयाप्रसाद—यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न ही नहीं उठता ।

बुलन्दशहर जिले में पहासऊ टाउन एरिया के नहरी नाले की जल नियंत्रण व्यवस्था के लिये प्रार्थना

*१२७—श्री छत्तरसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के पहासऊ टाउन एरिया में कस्बा पहासऊ के मोहल्ला पठान टोला में होकर जो नहरी नाला जाता है उससे वर्षा के कारण मोहल्ला में आने-जाने में कठिनाई व नुकसान मकानों को पहुंचा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां ।

*१२८---श्री छत्तर सिंह---यदि हां, तो क्या शीघ्र इसकी व्यवस्था कराने की कृपा की जावेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इस मामले में आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है ।

*१२९---श्री द्वारिका प्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)---[९ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।)

अतारांकित प्रश्न

बाराबंकी नगरपालिका में कुछ ग्रामों की भूमि सम्मिलित करना

१---श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत बड़ेल, रमना, फैजुल्लागंज, पैसार, बोवरी ग्राम सभा सन् १९५४ ई० में म्युनिसिपल बोर्ड, बाराबंकी में शामिल कर लिये गये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी नहीं । वास्तव में ११ अगस्त, १९५४ से जमींदारी उन्मूलन व लैंड रिफार्म ऐक्ट, १९५० की धारा ११७-ए के अन्तर्गत इन ग्राम सभाओं की परती भूमि तालाब व मेले इत्यादि का प्रबन्ध म्युनिसिपल बोर्ड, नवाबगंज (बाराबंकी) को सौंप दिया गया है ।

जालौन जिले में पंचायत मंत्रियों की शैक्षिक योग्यता

२---श्री गरीबदास (जिला जालौन)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंचायत मंत्रियों की कम से कम शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---पंचायत मंत्रियों की कम से कम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, द्वितीय श्रेणी रखी गई है ।

३---श्री गरीबदास---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जालौन में ऐसे कितने पंचायत मंत्री हैं जो हिन्दी मिडिल पास नहीं हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---१७ पंचायत मंत्री हिन्दी मिडिल पास नहीं हैं ।

हिन्दू मैरेज ऐक्ट, १९५५ के अन्तर्गत सम्बन्ध विच्छेद के मामले

४---श्री रमानाथ खैरा (जिला झांसी)---क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि हिन्दू मैरेज ऐक्ट, १९५५ के अन्तर्गत वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद (तलाक व सेपेरेशन) करने की बाबत उत्तर प्रदेश में वर्ष १९५५,१९५६,१९५७ में कितनी दरख्वास्तें हिन्दू पत्नियों की ओर से व कितनी दरख्वास्तें हिन्दू पतियों को ओर से आई और उनके फलस्वरूप कितने सम्बन्ध विच्छेद किये जाने को न्यायालयों द्वारा आज्ञायें हुई ?

श्री हुकुम सिंह बिसेन---

वर्ष		वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद		
		तलाक व (सेपेरेशन)		न्यायालयों द्वारा सम्बन्ध विच्छेद
		हिन्दू पतियों की ओर से	हिन्दू पत्नियों की ओर से	
१९५५	..	४८	८३	४१
१९५६	..	१६३	३४०	१४०
१९५७	..	२१८	३८०	१८६

५--श्री रमानाथ खैरा--क्या सरकार कृपया बता सकेगी कि उक्त दरख्वास्तों में कितनी दरख्वास्तें सवर्ण हिन्दुओं की ओर से थीं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--५८४, किन्तु इसमें अलीगढ़, वाराणसी, लखनऊ, खीरी तथा मुजफ्फरनगर जिलों की संख्या सम्मिलित नहीं है, क्योंकि वादों (plaints) में सम्बन्धित व्यक्तियों की जाति का उल्लेख नहीं है ।

[३-१२-५८ के तारांकित प्रश्न, जो वित्त मन्त्री द्वारा २-१२-५८ के लिये निर्धारित करवाये गये ।]

* * * *

यू० पी० पे कमेटी, १९४७ की हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स तथा क्लास १ के अधिकारियों के वेतन के सम्बन्ध में सिफारिश

*१४--श्री शब्बीरहसन (जिला फतेहपुर)---क्या यह सही है कि यू० पी० पे कमेटी, (१९४७) में प्रदेश में हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स तथा अन्य क्लास १ के अधिकारियों के पदों के लिये कुछ वेतन क्रम निर्धारित करने के लिये सिफारिश की थी ? यदि हां, तो उसे लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सैयद अली जहीर---सरकार ने हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स तथा अन्य क्लास १ के अधिकारियों के वेतन क्रम के सम्बन्ध में यू० पी० पे कमेटी, (१९४७) की सिफारिश स्वीकार नहीं की ।

* * * *

सहकारिता विभाग में क्षेत्रीय आडिट अधिकारी, लखनऊ की वर्तमान पद पर सेवा अवधि

*३६--श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहकारिता विभाग में कौन से ऐसे Regional Audit Officers (क्षेत्रीय आडिट अधिकारी) हैं जो इस संगठन (Organization) में क्षेत्र (Range) के स्थापित होने अर्थात् सन् १९५३ ई० से अभी तक एक ही क्षेत्र (Range) में कार्य कर रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--श्री गुरुनारायण, रीजनल आडिट आफीसर, सेंट्रल रेंज लखनऊ ही अकेले ऐसे अधिकारी हैं जो कि १९५३ से अपने वर्तमान स्थान पर नियुक्त हैं ।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अतीकुल रहमान ने शपथ ग्रहण की ।

'स्वतंत्र भारत' के विरुद्ध प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने से पहले छापने पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--विशेषाधिकार का प्रश्न जो कल श्री नेकराम शर्मा ने उठाया था उसको मैं कई दिनों के बाद ले सकूंगा क्योंकि उसमें प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट को देखने की आवश्यकता मुझे प्रतीत होती है और उसकी जांच करने के बाद उसके ऊपर फैसला होगा कि वह वैध है या नहीं ।

*श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, अगर इजाजत हो तो इस संबंध में आपके विचारार्थ मैं अर्ज करूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--किस के बारे में ?

श्री त्रिलोकीसिंह--यह जो कल प्रिविलेज का मोशन पेश किया गया और उस सम्बन्ध में आप फैसला बाद में देंगे, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष--कहिये।

श्री त्रिलोकीसिंह--शिकायत जहां तक मुझे मालूम हुई है और जो कल कही गई थी वह यह है कि किसी कमेटी की प्रोसीडिंग को जो सीक्रेट हैं, वह अखबार ने छाप दी। मैं नाम नहीं लेता हूं लेकिन यह सही मानना चाहिये कि यह हमारा प्रिविलेज है कि जो खुली सभा हो रही है उसकी कौन सी बात पूरी छपे या न छपे लेकिन पिछले १००-१५० वर्षों से यह भी रिवाज रहा है कि कभी भी किसी अखबार के खिलाफ इसलिए कि उसने कार्यवाही छाप दी--- अगर हम रोक दें और वह छाप दे तो बात दूसरी थी---हमने रोका नहीं और छाप दी तो मैं निवेदन करूंगा कि बड़ी मुश्किल से मिसाल मिलेगी कि कभी ब्रीच आफ प्रिविलेज समझा गया हो। जब आप निर्णय दें तो जो मैंने निवेदन किया है, उसका भी ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष--मुझे इस बात का ध्यान पहले ही था लेकिन मैं निर्णय तभी दूंगा जब कि फैक्ट्स पूरे मालूम हो जायेंगे क्योंकि प्रस्ताव में प्रवक्ता का भी जिक्र किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि आदरणीय सदन के किसी सदस्य के द्वारा ऐसी बात प्रकाश में दी गयी है। तो मुझे यह भी देखना था मैं फैसला कुछ भी करूं, परन्तु यदि सदन के किसी सदस्य ने किसी गोपनीय बात को किसी अखबार के प्रतिनिधि के सामने कह दिया हो तो उन सब चीजों का ख्याल भी निर्णय देते समय किया जाता है। इसलिये मैंने कहा कि पहले मैं जांच कर लूं फिर एक साथ सब बातों का फैसला हो जायगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--आज काम रोको प्रस्ताव करीब १० आये हैं जिनको इस समय मैं पढ़ता नहीं हूं लेकिन इतना बताये देता हूं कि यह नियम की दृष्टि से सब पुराने हैं। इसलिये कल आ जाने चाहिये थे क्योंकि जिन वाकेआत का उनमें जिक्र है वे कल के पहले के वाकेआत हैं और उन पर प्रस्ताव कल नहीं आये और एक रोज देर करके आये। यदि किस्तों में दो तीन महीने तक पुरानी घटनाओं पर प्रस्ताव आयें, आज कुछ आयें, कल कुछ आये तो यह बहुत लम्बा हिसाब हो सकता है और सदन का समय व्यर्थ खर्च हो जावेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--कल आपका पूरा समय इसी में चला गया था।

श्री अध्यक्ष--मैं यह कह रहा हूं कि मैं किसी को पढ़ने के लिये इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि कल का मामला, एक मामला इस समय मौजूद है। उसका फैसला देने के बाद जिस प्रस्ताव के विषय में मैं समझूंगा कि उनके वाकेआत महत्व के हैं और मंत्री महोदय को उसके विषय में सूचना देनी चाहिये उनको मैं सदन की सूचनार्थ जानकारी हासिल करने के लिये पढ़ दूंगा लेकिन कामरोको प्रस्ताव के रूप में सब को मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, मैं एक निवेदन कर रहा हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--श्रीमन्, गन्ने का प्रश्न तो नया है। आपने पढ़ा नहीं है वैसे ही कह दिया है।

श्री अध्यक्ष--बाद में देखा जायगा।

श्री राजनारायण--श्रीमान्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि घटना पुरानी हो लेकिन हमको जानकारी कल ही लगी हो तो हम उसको आज ला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--आपको जानकारी कब हुई इस आधार पर तो प्रस्ताव की आवश्यकता या अर्जेन्सी निर्भर नहीं है। यह माना जाता है कि १५ रोज पहले की घटना है, आपकी कांस्टीटुएंसी की या किसी दूसरे की कांस्टीटुएंसी की है, अगर सदस्यगण इतने दिनों सोते रहें और जानकारी उन्हें शीघ्र प्राप्त न हो जब कि इतनी छुट्टियों के बाद घर से ही आये हुये हैं तो उनका दोष है। तो यदि वे यहां मौजूद होते और उसके कारण घटना न मालूम हुई होती दो, चार रोज पहले की, तो इस बात का खयाल किया जा सकता था; लेकिन अभी घर से आये हैं और वह कहते हैं कि १५ रोज पहले की उन्हें घटना कल मालूम हुई तो उसमें उन्हीं का दोष है।

श्री राजनारायण--बहुत से लोग जेल से आये हैं।

श्री अध्यक्ष--उनके साथी तो जेल में नहीं थे।

हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब मैं दूसरा एक कामरोको प्रस्ताव लेता हूं। यह कामरोको प्रस्ताव, श्री राजनारायण, श्री मदन पांडेय और श्री त्रिलोकीसिंह जी का है।

जहां तक इस विषय का संबंध है कि उसका संबंध प्रांतीय सरकार से है या केवल केंद्रीय सरकार से है उस विषय में मैंने विचार किया और यूनिवर्सिटी की एग्जिक्युटिव कमेटी का जो प्रस्ताव है वह भी मैंने पढ़ा। उसके कई प्रस्ताव हैं। इसके साथ-साथ जो लोक सभा में बनारस यूनिवर्सिटी के बन्द होने के बारे में और खोलने के बारे में बहस हुई थी उसका भी मैंने अध्ययन किया। एग्जिक्युटिव कमेटी के प्रस्ताव में यह स्पष्ट शब्द हैं--

"Resolved that the District Magistrate be informed of the decision of the Executive Council to close the University and that he be requested to help to restore law and order in the University".

यह बात इस प्रस्ताव में है कि कौंसिल ने शान्ति रक्षा के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी। लोक सभा की जितनी बहस है मैंने उसमें देखा कि उन्होंने केवल यूनिवर्सिटी को क्यों बन्द किया और क्यों नहीं खोला जा रहा है, इस संबंध में ही विशेषकर बहस हुई है। केवल एक आध किसी व्यक्ति ने एक चलताऊ जिक्र इन शब्दों में पुलिस के द्वारा अधिक बल प्रयोग का कर दिया था:--

".....The direction of the Union Education Ministry in calling the police in the campus three days before the closure of the university, who used 'excesses' against students".

इतना संक्षेप में इस बात का जिक्र किया था। लेकिन उन्होंने ला ऐंड आर्डर के प्रश्न के ऊपर, चूंकि वह प्रादेशीय सरकार से संबंधित विषय था उसके ऊपर लोक सभा में बहस नहीं की, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश के क्षेत्र में ला ऐंड आर्डर कायम करने के इस संबंध में जिम्मेदारी लोक सभा ने केंद्रीय शासन के ऊपर नहीं ली बल्कि उसकी जिम्मेदारी जो संविधान के अनुसार प्रदेशीय सरकार की है, उसी की मानी। शेड्यूल ७ की लिस्ट २ में जो प्रदेशीय सरकार की जिम्मेदारी है उसमें निम्न शब्द हैं:--

"Public order (but not including use of naval, military or air forces or any other armed forces of the Union in aid of the civil power)".

क्योंकि नेवल, मिलिटरी और एअर फोर्स में से यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं हुआ इसलिये स्पष्ट है कि पूरी जिम्मेदारी पब्लिक आर्डर कायम करने

के संबंध में संविधान के अनुसार प्रदेशीय सरकार की ही रही। यही कारण स्पष्ट है जिससे कि इस विषय में लोक सभा में कोई बहस नहीं उठाई गई।

जहां तक गृह मंत्री जी के कहने का संबंध है कि क्योंकि यूनिवर्सिटी केंद्रीय विषय है और उनकी प्रार्थना पर व्यवस्था कायम करने का वहां पर उन्होंने कार्य किया है इसलिये जिम्मेदारी प्रदेशीय सरकार की नहीं आती। मैं यह समझता हूं कि संविधान स्पष्ट कहता है कि उसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रदेशीय सरकार की है और केंद्रीय सरकार की नहीं है। इसीलिये लोक सभा में अगर कुछ लोग इस मत के हों भी कि व्यवस्था कायम करने में कुछ ज्यादती हुई तब भी उन्होंने इस पर बहस नहीं की। यदि कोई ज्यादती हुई है या कोई ऐसी बात हुई है कि जो नहीं होनी चाहिये, तो उसके बारे में बहस करने का अधिकार लोक सभा की दृष्टि में भी इस विधान सभा को ही हो सकता था। इसीलिये उन्होंने उस क्षेत्र में बहस के दौरान में पदार्पण नहीं किया।

एक बात और हो सकती थी कि यदि केंद्रीय सरकार के एजेंट के तरीके पर प्रदेशीय सरकार ने कार्य किया होता तब भी यह कहा जा सकता था कि जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार की है यानी प्रदेशीय सरकार ने व्यवस्था कायम करने के लिये उसकी जो पुलिस शक्ति है उसको केंद्रीय सरकार के सुपुर्द किया होता और केंद्रीय सरकार के किसी अफसर के मातहत व्यवस्था वहां पर की गई होती तो यह कहा जा सकता था कि केंद्रीय साकार की पूरी जिम्मेदारी है क्योंकि उनके अफसर के मालहत व्यवस्था वहां पर की गई और प्रदेशीय सरकार ने तो केवल उनकी आज्ञा से अपने लिस फोर्स को उनके अधिकार में दिया किन्तु इस घटना में एजेंसी का भी नियम स्पष्ट नहीं लागू होता है।

अब सिर्फ इतनी बात रहती है कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल की प्रार्थना पर प्रदेशीय सरकार ने पुलिस का उपयोग वहां पर व्यवस्था को कायम करने के लिये किया है। इस तरह का पुलिस का उपयोग किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर भी प्रदेशीय सरकार करती है। किसी के घर पर डाका पड़ता हो या मारपीट होने वाली हो या कोई और खतरा हो और यदि वह प्रार्थना करे लिस से कि आप यहां व्यवस्था कीजिये तो उस प्रार्थना पर पुलिस व्यवस्था करती है। इसी तरह की चीज अगर कोई संस्था कहती है कि हमारे कैम्पस में अव्यवस्था है, हमारी सहायता के लिये आओ और मदद करो तो जो प्रदेशीय सरकार का क्षेत्र है उस क्षेत्र में उसका जो अधिकार और कर्त्तव्य है उस कर्त्तव्य की पूर्ति के लिये उसे मदद करना आवश्यक होता है। स्वयं भी यदि कोई संस्था प्रार्थना नहीं करती तो भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती थी जैसा कि गृह मंत्री जी को स्वयं मान्य है और जैसा उन्होंने कहा भी है कि यूनिवर्सिटी में परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि वहां पर बहुत गड़बड़ हो जाती और वहां पर लोग मारे जाते, तो ऐसी परिस्थिति में यदि एक्जिक्यूटिव कौंसिल भी नहीं कहती तो भी सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता कि वह वहां पर हस्तक्षेप क और इनमें से किसी भी अवस्था में वह एजेंट होकर यह काम नहीं करती। संविधान के अनुसार प्रदेशीय सरकार का अधिकार व्यवस्था कायम करने का था। तो उस व्यवस्था को उन्होंने कायम किया है। उस व्यवस्था के संबंध में अगर माननीय सदस्य कोई आक्षेप होने की या उसके विषय में गलतफहमी पैदा होने के संबंध में बहस करना चाहें तो ऐसी अवस्था में यह विधान सभा उसके ऊपर बहस कर सकती है और मैं इस प्रश्न को उठाने के लिये इजाजत दूंगा और मैं समझता हूं इस प्रश्न को यहां पर उठाना वैध होगा।

अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि ३,४ सदस्यों ` कामरोको प्रस्ताव मेरे पास इसी विषय से संबंधित भेजे हैं उनमें से किस को कामरोको प्रस्ताव उपस्थित करने का अधिकार होना चाहिये। यह तो मैं पहले कह चुका हूं कि जब विरोधी दल के नेता किसी प्रस्ताव को लाते हैं और अन्य दलों के नेता भी उसी प्रकार के प्रस्ताव लाते हैं तो प्राथमिकता विरोधी दल के नेता को देनी चाहिये। दूसरी एक और बात है कि उनका प्रस्ताव अधिक निश्चित है। मैंने देखा कि उन के प्रस्ताव में निश्चित बात है। उनके प्रस्ताव के शब्द यह हैं "मैं आज अध्यक्ष की आज्ञा से विधान सभा की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव एक सार्वजनिक

[श्री अध्यक्ष]

महत्व के निश्चित तथा आवश्यक प्रश्न अर्थात् काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ८ अक्तूबर को ५ बजे प्रातःकाल से इस प्रकार अनाधिकार दखल कि कोई बिना उसकी आज्ञा के न विश्वविद्यालय के अन्दर जा सके और न उस से बाहर निकल सके, पर विचार करने के लिये करना चाहता हूं।" तो एक निश्चित विषय है। लेकिन मैं इसको सीमित वहीं तक नहीं रखूंगा। यद्यपि वह इस सीमित प्रस्ताव को उपस्थित करते हैं जो निकलने और अन्दर जाने की मनाही के संबंध में ही है परन्तु केवल उसी पर बहस नहीं होगी बल्कि और लोगों ने जो लाठीचार्ज के संबंध में अपने प्रस्तावों में जिक्र किया है, अपने भाषणों में वे उसका भी जिक्र कर सकेंगे, क्योंकि पुलिस द्वारा रोकने के परिणाम स्वरूप ऐसी बातें उत्पन्न होती हैं। तो बहस में मैं प्रस्ताव के शब्दों की सीमा नहीं रखता हूं, लेकिन एक सीमा अवश्य रहेगी और वह यह कि जो क्षे केंद्रीय सरकार का है कि यूनिवर्सिटी कैसे बन्द हुई, क्यों बन्द की गयी, उस के औचित्य के ऊपर और केंद्रीय सरकार के ऊपर कोई टीका टिप्पणी इस बहस में नहीं होगी। इतनी सीमा मैं अवश्य निर्धारित कर देना चाहता हूं। मैंने क्षेत्र को बांट दिया। ला ऐंड आर्डर तथा व्यवस्था के संबंध में जो बात हुई होगी उसे हम बहस में ला सकेंगे, उसी तक हमारी बहस सीमित रहेगी और इन शर्तों के अनुसार मैं इस प्रस्ताव को वैध करार देता हूं और माननीय त्रिलोकीसिंह जी को इजाजत देता हूं कि वे सदन की अनुमति प्राप्त करें।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं एक निवेदन करना चाहता हूं इस संबंध में। स्ताव तो पेश करने की अनुमति आपने माननीय त्रिलोकीसिंह जी को दी, लेकिन मैं समझता हूं कि आपने मेरा प्रस्ताव अवैध नहीं किया है और सर्व प्रथम मेरा ही प्रस्ताव आप के दफ्तर में पहुंचा है। अभी तक नियम यह रहा है कि जो प्रस्ताव सर्व प्रथम आप के यहां पहुंचता है उसी का माना जाता रहा है। तो मैं आप से निवेदन कर दूं कि आज जो आपकी व्यवस्था हुई है वह कुछ नवीनता लिये हुये हम को मालूम हो रही है और पहले की परिपाटी टूटती नजर आ रही है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इसका भी जरा ख्याल करें कि जो प्रस्ताव सर्व प्रथम आप के यहां पहुंचा है और वह आप की दृष्टि में ठीक है तो उस को लिया जाना चाहिये क्योंकि उसमें दो बातें हैं। प्रस्तावक को पहले मूव करने की फेसिलिटी होती है और बाद में उसको उत्तर देने का हक होता है और मैं उसी स्थान से आता हूं। उस घटना की मेरी जानकारी सब से अधिक है। तो वह मेरा हक छीना जाता है और मैं आपको यह भी बतलाऊं कि मैं वहां उस समय जेल में था कि जब यह सब कार्यवाही हुई।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जो प्रश्न आप ने उठाया वह एक तरह से पहले ही फैसल हो गया है। एक यहां अविश्वास का प्रस्ताव सदन में आया था और उसे कई लोग लाये थे। उस वक्त मैंने कहा था कि अगर कई एक से प्रस्ताव हों तो प्राथमिकता नेता विरोधी दल के प्रस्ताव को देनी चाहिये और उसमें यह भी मैंने फैसला दिया था कि यदि उनका प्रस्ताव वैध नहीं हो तो फिर दूसरे सदस्य के प्रस्ताव को प्राथमिकता होगी। इसलिये प्रथानुसार चूंकि नेता विरोधी दल का प्रस्ताव वैध है इसलिये उसी प्रथानुसार मैंने उनको प्राथमिकता दी।

दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपके, राजनारायण जी और मदन पांडेय जी के प्रस्ताव को विचार में लूं तो मैं निश्चितता के आधार पर उनको नामंजूर कर सकता था। उनमें एक दो बातें निश्चित हैं लेकिन बहुत सी बातें अनिश्चित हैं। इसीलिये मैंने कह दिया कि निश्चित एक विषय तो नेता विरोधी दल के प्रस्तावों में ही है। चूंकि अन्य प्रस्तावों में कोई एक दो निश्चित बातें भी हैं जैसे लाठी चार्ज हुआ, यह निश्चित है। सरकार ने भी और डिस्ट्रिक्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैजिस्ट्रेट का भी जो नोटीफिकेशन हुआ है, उसमें भी उन्होंने यह स्वीकार किया है। यह दूसरी बात है कि लाठी चार्ज को कोई माइल्ड कहे और कोई उसको बर्बरतापूर्ण कृत्य बताये। क्योंकि इस प्रकार की एक-दो बातें तथ्य की उनमें भी हैं इसलिये उनका जिक्र करने से मैं किसी को नहीं रोकूंगा।

मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस का हवाला देना भी इस वक्त मैं उचित समझता हूं। उसमें २६० सफे पर चैप्टर १३ में यह दिया हुआ है :

"The Opposition has a recognized right to all the facilities needed for this purpose—full information about every department of public affairs, adequate publicity through the daily publication of the reports of debates, and certain rights of initiative in the choice of subjects of criticism".

यह बात बजट के सिलसिले में जो कार्यवाही होती है उसके सम्बन्ध में ऐसा हुआ करता है। उसको मैंने थोड़ा-सा प्रोजेक्ट कर दिया है। क्योंकि जब एक से हर पार्टी के प्रस्ताव आ जाते हैं तो विरोधी दल के जो नेता होते हैं उनको प्रीसीडेंस देना ही चाहिये क्योंकि वह सब विषयों पर विचार करके, सब विरोधी पक्ष की तरफ से कुछ जवाब दे ही सकते हैं, यह माना जाता है। इसलिये यह प्रथा उचित ही होगी। यह बात भी स्पष्ट है कि उनका ही प्रस्ताव अधिक निश्चित है।

श्री राजनारायण--जब अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो माननीय त्रिलोकीसिंह जी के नाम का प्रस्ताव प्रथम आ गया था, यह सूचना दफ्तर से हमें मिली थी। अगर हमारे नाम का प्रस्ताव प्रथम आया होता और उसकी व्यापकता थी तो उसको लिया जाता। अब प्रस्ताव के सिलसिले में आपने यह कहा कि अब हमारा प्रस्ताव उस में समाविष्ट कर जाता है। इस वक्त कामरोको आपकी व्यवस्था दूसरी है। यह दूसरी बात है कि आपकी वर्तमान व्यवस्था से मैं सहमत न हूं, लेकिन इससे हमारा एक मकसद हासिल होता है।

श्री अध्यक्ष--मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि उनका उस दिन का प्रस्ताव व्यापक था और आज भी कहता हूं कि आज का उनका प्रस्ताव निश्चित अधिक है।

श्री राजनारायण--हमारा एक मकसद उससे हासिल होता है। वह निश्चित है या नहीं, उसमें हमारी दूसरी भिन्न राय है।

श्री अध्यक्ष--राय आपकी बनी रहे लेकिन फैसला तो मेरा चलेगा।

अब श्री त्रिलोकी सिंह जी से अपने प्रस्ताव के लिये अनुमति प्राप्त करने के लिये कहता हूं।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से इस सदन के नियम ७१ के अनुसार मैं सदन को स्थगित करने का प्रस्ताव पेश करने के लिये आज्ञा चाहता हूं।

जैसा कि श्रीमन्, स्वयं फरमा चुके हैं इस स्थगन के द्वारा सार्वजनिक महत्व के निश्चित तथा आवश्यक प्रश्न अर्थात् काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा ८--१०--५८ को पांच बजे प्रातःकाल से इस प्रकार अनधिकृत कार्य, कि कोई बिना उसकी आज्ञा के न विश्वविद्यालय के अन्दर जा सकता है, न उसके बाहर निकल सकता है, पर विचार करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--इसमें किसी को कोई एतराज तो नहीं है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गई)

तो यह आज शाम को ४ बजे लिया जायेगा।

शेष प्रस्तावों के बारे में मैंने कहा था कि जो जानकारी हासिल करना चाहते हों और महत्व के होंगे उनको मैं पढ़ कर सुना दूंगा।

कार्य स्थगन प्रस्तावों के विषयों के बारे में जानकारी

श्री अध्यक्ष---जौनपुर म्युनिसिपैलिटी के बारे में श्री झारखंडे राय जी का एक कामरोको प्रस्ताव है। वह स्थानीय संस्था के बारे में है इसलिये मैं उसकी इजाजत नहीं देता।

दूसरा भगौती प्रसाद वर्मा जी का प्रस्ताव है कि शहीदनगर बड्डूपुर में जिस स्थान पर श्री अवधशरण वर्मा व श्री सियाराम की हत्या हुई थी, उस स्थान पर सोशलिस्ट पार्टी का झंडा लगा था, उसको हत्या करने वालों की ओर से १४ नवम्बर को उखाड़ कर फेंक दिया गया। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। जब ये उक्त मामले से सम्बन्धित अभियुक्त जमानत पर छूटे हैं तो उसमें सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है लेकिन इस विषय में माननीय गृह मन्त्री जी को कोई सूचना हो तो वे दे सकते हैं झंडा उखाड़ कर फेंकने के बारे में।

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, अभी टेलीफोन से पता लगाने से जो बात मालूम हुई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां से उससे तो यही पता चला है कि इस स्मारक के स्थान से किसी झंडे के उखाड़े जाने की कोई शिकायत उनके पास नहीं पहुंची है और न इस बात की शिकायत पहुंची है कि जो जमानत पर छूटे हुए लोग हैं उन्होंने वहां पर कोई झगड़ा फसाद किया है या कोई अत्याचार या धमकी की बात की है। हां, यह सूचना जरूर मिली है कि वहां कुछ लोगों में जानवरों के ऊपर कुछ झगड़ा हुआ और उस झगड़े में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि जमानत पर छूटे हुए हैं। उसकी सूचना थाने में हो गयी है और उसकी जांच हो रही है।

श्री भगौतीप्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)---मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष---आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री भगौतीप्रसाद वर्मा---मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस समय वहां की स्थिति इतनी गम्भीर है कि.....

श्री अध्यक्ष---मैं सूचना देने की इजाजत नहीं दे सकता, आप प्रश्न पूछें।

श्री भगौतीप्रसाद वर्मा---वहां की स्थिति में आपके द्वारा अपने गृह मंत्री जी को और सदन को बतलाना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष ---आप कृपा करके बैठ जायं।

(कुछ ठहर कर)

श्री उग्रसेन का कामरोको प्रस्ताव घेरा डालो आन्दोलन के सम्बन्ध में है कि १९ अक्तूबर को गिरफ्तार बन्दी श्री रामस्वरूप वर्मा, सदस्य विधान सभा को जिला जेल कानपुर में अखाद्य भोजन दिये जाने के कारण निम्न रक्तचाप का शिकार होना पड़ा। ऐसे भयानक रोग में भी उन्हें २८ घंटे तक किसी भी प्रकार का भोजन पानी नहीं दिया गया। इसको तो कल ही आ जाना चाहिये था लेकिन खैर, इस सम्बन्ध में कोई जानकारी माननीय मन्त्री जी को हो, यदि वे देना चाहें तो दे दें।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार जहां तक इस बात को कहा गया है कि उन्हें अखाद्य भोजन दिये जाने की वजह से रक्तचाप हुआ, यह तो गलत है। वे जिस श्रेणी के बन्दी हैं, उसी श्रेणी का भोजन उनको दिया गया, उसमें अखाद्य भोजन का कोई सवाल ही नहीं उठता। जहां तक २८ घंटे तक भोजन न दिये जाने की बात है, पता लगाने से मालूम हुआ है कि १९ अक्तूबर को वे बीमार हो गये और उनको उसी समय सिविल अस्पताल ले जाया गया और वहां उनको प्राइवेट वार्ड में रखा गया। २० तारीख को इसका ज्ञान हुआ कि चूंकि वे प्राइवेट वार्ड में हैं और वहां मूल्य प

भोजन दिया जाता है, उनको वह भोजन नहीं दिया गया। उसी समय उनके भोजन की व्यवस्था की गयी और लिख दिया गया कि उसका जो धन होगा वह दिया जायगा और उसी समय से उनको भोजन मिलने लग गया। इस सम्बन्ध में जांच हो रही है और यदि कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति इसके लिये दोषी पाया जायगा तो निस्सन्देह उसको दंड दिया जायगा।

जहां तक जीवन को खतरे में डालने वाली बात है यह गलत है और वे भगवान की कृपा से स्वस्थ हैं और इस सदन के सामने कल से मौजूद भी हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं एक प्रश्न के द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बात की जांच करा ली है कि माननीय रामस्वरूप वर्मा जी को जो इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं, २८ घंटे तक जनरल वार्ड में पानी क्यों नहीं दिया गया। इसमें तो कुछ मूल्य नहीं लगता था। जनरल वार्ड में उनको पानी तक नहीं दिया गया, श्रीमन् और वे जनप्रतिनिधि हैं डेढ़ लाख जनता के। माननीय मन्त्री ने अगर जांच इसकी न कराई हो तो वे जांच करा लेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---वैसे तो जांच हो रही है, लेकिन मैं तो यह ख्याल नहीं कर सकता कि अस्पताल में पानी नहीं मिलता है। पानी तो हमेशा मिलता है और पानी में कोई मूल्य लगने का प्रश्न भी नहीं है। लेकिन माननीय मित्र इसके बारे में कहते हैं तो और जांच करा लूंगा। जहां तक मुझे मालूम है यह बात सही नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---एक सवाल मेरा है। दूसरा आवश्यक सवाल है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, इस विषय में अब मैं अधिक विवाद की इजाजत नहीं दे सकता।

(कुछ ठहर कर)

एक कार्य स्थगन प्रस्ताव श्री रूमसिंह का बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज झांसी के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में है। यह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। इसके बारे में बहस उठाने की मैं इजाजत नहीं देता। स्ट्राइक हो या कुछ भी हो। यह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कोई सरकारी नहीं है।

श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)---एक मिनट के लिये मुझे इजाजत दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, अब मैं इस सम्बन्ध में कोई बहस की इजाजत नहीं दे सकता। कृपा करके आप बैठ जाइये।

(कुछ ठहर कर)

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री भजनलाल जी का है कि "गत २२ सितम्बर, १९५८ को जिला इटावा में कचहरी में बहन चन्द्रावती के नेतृत्व में १५० आन्दोलनकारियों ने घेरा डाला इत्यादि। यह भी २२ सितम्बर का बहुत पुराना मामला है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

(कुछ ठहर कर)

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री टीकाराम पुजारी का है "जिला मथुरा विशेषकर थाना सैंपगऊ, तहसील सादाबाद, में हजारों एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ है जिसके कारण खरीफ व रबी की दोनों फसल नष्ट हो गई हैं, इस गर्की बाढ़ के कारण किसानों के मकान आदि नष्ट हो गये हैं और न रहने को मकान हैं, न खाने को अन्न है और न पशुओं के लिये चारा" इत्यादि। क्या परिस्थिति है इस सम्बन्ध में कृपा कर माल मन्त्री प्रकाश डालें तो अच्छा होगा।

*राजस्व मन्त्री (श्री चरण सिंह)---अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि अधिक वर्षा हो जाने से और पानी की निकासी न होने से मथुरा जिले में बड़ा नुकसान हुआ है। लाखों एकड़ जमीन कुछ दिन पहले पानी के नीचे थी। लेकिन अब कितनी जमीन पानी के नीचे है यह मैं नहीं कह सकता। पानी निकाला जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से छोटे-मोटे नाले निकालने के लिये, ताकि पानी निकल सके, ३ लाख रुपये दिये जा चुके हैं ताकि जमीन रबी की बुआई के लिये तैयार हो जाय। ४ लाख ६५ हजार रुपये की तकावी दी गयी। ७५ हजार रुपया बीज के लिये तकावी के तौर पर दिया गया। ३,६४,००० रुपया अहेतुक सहायता के तौर पर दिया गया फन्ड आपरेशंस के वास्ते। इसमें से साढ़े ७२ हजार रुपया मकान बनाने के लिये अनुदान के तौर पर दिया गया। ४ रुपये मन पर भूसे के लिये ठेकेदार को आर्डर देने के लिये आर्डर्स हैं। कलेक्टर ने अगर आर्डर दिया होगा तो भूसा भी जिले को मिल गया होगा।

श्री अध्यक्ष---अभी तक वहां पानी हजारों एकड़ जमीन में भरा हुआ है, यह बात सही है ?

श्री चरणसिंह---यह कहना कि सादाबाद में हजारों एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ है इसकी मुझ इत्तिला नहीं है, लेकिन सारे जिले में हजारों एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ हो सकता है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---आपके द्वारा मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां सादाबाद तहसील का मैंने दौरा किया है। हजारों एकड़ जमीन में वहां पानी भरा हुआ है। किसानों की न रबी की और न खरीफ की फसल होगी। नाले निकाल दिये जायं तब भी पानी जनवरी, फरवरी तक नहीं निकल सकता है। इन किसानों को खाने, कपड़े व मकान के लिये तथा पशुओं के चारे के लिये मदद देना चाहिये, यह सरकार का फर्ज हो जाता है।

श्री अध्यक्ष---सुन लिया। बात आपकी समझ में आ गई।

(कुछ ठहर कर)

एक प्रस्ताव गौरी शंकर राय जी का है :

"बलिया जिले के सुरहा ताल से पानी निकालने वाले कटहल नाले को जिलाधीश, बलिया द्वारा गैर-कानूनी तौर पर बन्द कर देने के कारण प्रायः एक हजार एकड़ से अधिक जमीन" इत्यादि-इत्यादि।

इसमें कोई समय वगैरह नहीं दिया है। इसलिये इसको अवैध करार देता हूं। लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी मन्त्री जी देना चाहें तो दे दें।

श्री चरणसिंह---जी नहीं कोई जानकारी सेक्रेटेरियेट में नहीं है।

श्री अध्यक्ष---(श्री गौरी शंकर राय जी के खड़े होने पर) तो बाद में आप पूछ लीजियेगा। जब उनको जानकारी नहीं तो वह क्या आपको बता सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---कल जानकारी करा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---मुझे तो कोई एतराज नहीं है।

अब एक प्रस्ताव श्री बंशीधर शुक्ल जी का है।

"जिला खीरी में जो फरदहन तथा देवकली दो गन्ने के सेन्टर गोला मिल को सरकार ने दिये हैं जो पहले हरगांव के थे इसके कारण गोला मिल ने मलकापुर, भीखमपुर, बिलरावां तथा मोहम्मदी यह चार बड़े-बड़े गन्ने के सेन्टर छोड़ दिये हैं जिससे जिले में लाखों मन गन्ना खड़ा रहा जा रहा है इत्यादि।"

इस विषय में मन्त्री जी कोई जानकारी कराना चाहें तो करा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, इस सूबे में ६८ शुगर फैक्टरी हैं और एक और कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी बाजपुर में नई खुली है जो महीना १५ दिन में चालू हो जायेगी। करीब बीस लाख एकड़ जमीन गन्ने की है जिसका कि हर साल इन फैक्टरीज के लिये अलाटमेंट और एसाइनमेंट होता है। यह कौन से सेन्टर किस तरफ हों, और कौन सा खेत किधर हो और कहां का गन्ना किस मिल में जाय यह केन कमिश्नर करते हैं। गवर्नमेंट नहीं करती है और जिस किसी मिल मालिक को या किसान को शिकायत होती है तो उसकी अपील गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में आती है। इस वक्त यह सही है कि यह दो जो सेन्टर हैं गोला मिल को दे दिये गये हैं और जहां तक औरों का ताल्लुक है, मलूकापुर रोड सेन्टर है और इसमें पिछले साल भी गन्ना यहां से नहीं लिया गया था बिलरावां रेल सेन्टर है और पिछले साल जनवरी से शुरू हुआ था और यह गोला फैक्टरी को दे दिया गया है उनकी मुखालिफत के बावजूद। मोहम्मदी रिजर्व हुआ है रोजा फैक्टरी को और भीखमपुर का कोई सेन्टर नहीं है और उसका रिजर्वशन कुछ हुआ नहीं था। यह सूचना है मामूली तौर से। और इतना मैं अर्ज कर दूं वैसे कि इस साल गन्ने की कमी है और कोई शुगर फैक्टरी जिसको भी गन्ना मिलेगा वह उसको पेरने में कोताही नहीं करेगी। इसलिये मुझे उम्मीद नहीं है कि जहां का गन्ना आसानी से फैक्टरी में आ सकेगा वहां का लिया न जायगा, बगैर पेरे हुए रह जायगा। बल्कि यह आशा है कि गन्ना जितना मिलेगा वह सब ले लिया जायगा क्योंकि जितने दिन फैक्टरी को चलना चाहिये उतना गन्ना शायद ही किसी फैक्टरी को मिल सके।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—जैसा मन्त्री जी ने कहा भीखमपुर के सम्बन्ध में वहां पर बैवा का सेन्टर है कई लाख मन गन्ना आता है और गोला मिल वालों ने पिछले साल कांटा लगा कर छोड़ दिया और मलूकापुर में पिछले साल छोड़ दिया और मोहम्मदी का सेन्टर बीरपुर में लगता है, बिलरावां में .....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बंशीधर शुक्ल—२० लाख मन गन्ना रह गया वह किसके हाथ में जायगा।

श्री अध्यक्ष—आप इस विषय में बहस करना चाहते हैं तो उनके कमरे में जा कर बहस कर लीजियेगा क्योंकि सब को इस विषय में इतनी दिलचस्पी नहीं हो सकती। जब आपको मालूमात हो गई .....

श्री बंशीधर शुक्ल—मन्त्री जी ने बीज के सम्बन्ध में बात कही कि हमारे जिले में २ लाख एकड़ जमीन पड़ी रह गई ....

श्री अध्यक्ष—अब आप कृपा कर अपना स्थान ग्रहण करें।

(कुछ ठहर कर)

अब एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव और है तिवारी जी का जिस में वह कहते हैं कि पूर्वी जिलों में देहाती क्षेत्रों के लिये सस्ते गल्ले की दुकानों पर केवल बाजरा अन्न का वितरण किया जाता है आदि। इस सम्बन्ध में कृपया सम्बन्धित मन्त्री जी बता दें कि क्या बात है।

वित्त मंत्री (श्री सैय्यद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, सूरत हाल यह है कि पूर्वी जिलों में काफी मिकदार में अब चावल आ गया है और सस्ते दाम पर बिक रहा है, सरकारी नीति यह है कि जहां तक हो उन दुकानों को बन्द किया जाय जहां पहले गेहूं मिलता था, थोड़े दिन से वहां गेहूं की मांग कम हो गई थी क्योंकि दूसरे अनाज सस्ते दाम पर, बाजार से काफी कम कीमत पर मिलने लगे हैं और जो नहीं लेना चाहते उन को केन्द्रीय सरकार से जो सस्ता मिलो मिला है वह दिया जा रहा है और वह १ रुपये का सवा तीन सेर दिया जाता है। इस तरह से वहां की कोई भीषण परिस्थिति नहीं है और न किसी तरह की कोई गड़बड़ी है। जो सूरत हाल है अनाज की पैदावार को देखते हुए वह काफी सन्तोषजनक है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि हाती क्षेत्रों में जहां फैक्टरीज हैं और जहां मजदूर केवल खरीद कर अनाज खाते हैं उनको केवल बाजरे का अन्न ही देना कहां तक जायज है ?

श्री सैयद अली जहीर---मैंने कहा कि वहां गेहूं की बिक्री आप ही कम हो गई क्योंकि वह २ सेर १० छटांक का बिकता है और जाहिर है यह सरकारी दाम भी काफी गिरा है जबकि उसकी जगह पर सवा तीन सेर का मिला है। इसके अलावा बाजार में तमाम अनाज हैं जिस का जो जी चाहे खरीद कर खा सकता है, कोई परेशानी नहीं है।

उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ पर विवाद के लिये कार्य-परामर्श समिति द्वारा समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक सूचना दे दूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्श-समिति ने अपनी २ दिसम्बर, १९५८ की बैठक में निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश कृषि-विश्व-विद्यालय विधेयक, १९५८ को विधान सभा की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर ३ दिसम्बर, १९५८ के सायंकाल ५ बजे तक विवाद किया जाय।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संकल्प उपस्थित करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ को विधान सभा की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर विवाद करने के लिये कार्य-परामर्श समिति द्वारा निर्दिष्ट समय निर्धारण से सहमत है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन इस समय निर्धारण से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९५८, भाग १

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री राम स्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९५८, भाग १ को सदन की मेज पर रखता हूं।

†द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन जो सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं अधिक न कहकर केवल दो चार बातें आप के सामने रखना चाहता हूं कि हमारी जो पिछली विधान सभा थी उस की एस्टीमेट्स कमेटी ने सिंचाई विभाग के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी २० मार्च, १९५४ को। उस रिपोर्ट में समिति की जो जो सिफारिशें थी उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये, किसको माना, किसको नहीं माना, इस सम्बन्ध में व्योरा सरकार की तरफ से समिति के पास २० सितम्बर, १९५७ को आया। उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एडीशनल सेक्रेटरी नियुक्त किये गये थे बहैसियत लियाजां आफिसर के और समिति में आपस में विचार-विमर्श के बाद जो कुछ निर्णय हुआ उसका द्वितीय प्रतिवेदन में समावेश है।

मैं और अधिक न कहकर यह अपना कर्तव्य समझाता हूं कि आपके प्रति अपना और समिति का आभार प्रकट करूं और साथ ही साथ जो हमारे चीफ इंजीनियर तथा उनमें इरिगेशन डिपार्ट-मेंट के अन्य कर्मचारी हैं तथा जो एडीशनल सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो हमको वक्त-वक्त पर सहयोग

---

*छापी नहीं गयी।

†छापा नहीं गया।

दिया है और जो आंकड़े हमने मांगे उन्होंने हमको दिये उसके लिये मैं उचित समझता हूं कि उनके प्रति भी अपना आभार प्रकट करूं। साथ ही जो एस्टीमेट्स कमेटी का स्टाफ है, हमारे कमेटी आफिसर हैं उन्होंने इस रिपोर्ट के तैयार कराने में जो समय दिया और परिश्रम किया उसके लिये भी मैं आभार प्रकट करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रतिवेदन को इस हाउस के सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट से मुझे यह मालूम हुआ है कि मिनिस्टर साहबान उसको नहीं पढ़ते हैं। अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब तशरीफ ले जा रहे हैं, पालीवाल जी ने एक प्रश्न पूछा था कि प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में खैर के दरख्तों के सम्बन्ध में डेफिनिट प्रस्ताव हैं, उनपर क्या ऐक्शन लिया गया...

श्री अध्यक्ष---वह तो लेखा समिति की रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा था।

श्री गेंदासिंह---मेरा निवेदन आपसे यह है कि ये रिपोर्टें पढ़ी नहीं जाती हैं।

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न तो विषय से इस समय असंगत हो रहा है। कौन-सी पढ़ते हैं, कौन-सी नहीं पढ़ते हैं इसके बारे में आप नियमानुसार प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री गेंदासिंह---मुझे थोड़ी गलतफहमी हो रही है, लेकिन मुझे मालूम है कि प्राक्कलन समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया जाता है और उसका मुख्य कारण यह है कि मिनिस्टर साहबान उसको पढ़ते ही नहीं हैं। तो इसका कोई उपाय कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---बजट के वक्त में मौका मिलेगा आपको। इस कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से जिन्होंने उसके ऊपर अमल नहीं किया उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर आप टीका-टिप्पणी उस समय कर सकेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मेरा सुझाव यह है कि जैसा और जगह भी कायदा है एक व्हाइट पेपर गवर्नमेंट रखे कि गवर्नमेंट ने प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर क्या ऐक्शन लिया है।

श्री अध्यक्ष---उसकी आप सूचना भेज दें। कमेटी के चेयरमैन भी इस सम्बन्ध में बता सकेंगे।

श्री नवल किशोर---मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता था कि जैसा कि मैंने शुरू में खुद भी कहा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो हमारी पिछली रिपोर्ट थी उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया और उसके बाद अब इस समिति का क्या आखिरी फैसला है इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट मैंने आज हाउस के सामने रखी है उसमें दिया हुआ है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक सूचना चाहता हूं मंत्रिमण्डल से। जो प्रश्न मैंने प्रश्नोत्तर के समय किया था कि अभी जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट वित्तमंत्री महोदय ने रखी है उसमें से पढ़कर मैंने सुनाया था कि क्या उनका ध्यान इसमें लिखी इस बात की ओर गया है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वह रिपोर्ट नहीं देखी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय जो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखते हैं उसको क्या बिना पढ़े हुए रख देते हैं?

श्री अध्यक्ष---जिन मंत्री ने वह जवाब दिया है वह चले गये हैं, लेकिन इतना मैं कह दूं कि जितनी रिपोर्टें यहां उपस्थित होती हैं अगर उनके बारे में आप पूछ लें कि फलां पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है तो कोई नहीं बता सकेगा और हर एक के लिये ऐसे इम्तहान को पास करना मुश्किल होगा।

*आश्वासन समिति के प्रथम प्रतिवेदन का चतुर्थ भाग

**श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति द्वारा दिये गये अधिकारों के अनुसार इस समिति के प्रथम प्रतिवेदन का चतुर्थ भाग सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, आपके द्वारा इस सदन ने जो इस समिति को कार्य सौंपा था हमें इस बात का सौभाग्य है कि हम लोगों ने पिछले सदन में जो आश्वासन दिये गये थे उनमें से काफी की पूर्ति करा ली है। यह चतुर्थ भाग जो मैं पेश कर रहा हूं यह अन्तिम भाग है। इसमें आप देखेंगे कि पिछले अधिवेशन में ६८२ आश्वासन सरकार ने दिये थे जिनकी पूर्ति नहीं हुई थी और जिन्हें इस कमेटी को देखना था। तब से करीब तीन वर्ष गुजर गये, लेकिन उनमें से अब भी १७३ आश्वासन बाकी हैं जिनकी पूर्ति नहीं हुई है। रिपोर्ट के परिशिष्ट (ख) और (ग) में यह दे दिया गया है कि कितने विभागों ने कितनी तत्परता दिखायी और कितने उदासीन रहे। इन शब्दों के साथ में यह रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, जैसा कि अभी इस समिति के सभापति ने अपने वक्तव्य में कहा, यदि आप कुछ समय निर्धारित कर दें और इस पर विचार हो जाय तो यह कुछ असंसदीय भी नहीं होगा और हमें भी यह पता लग जायगा कि सरकार को उन आश्वासनों की पूर्ति करने में क्या अड़चन रही।

श्री अध्यक्ष---यह तो आश्वासन समिति सरकार से पूछ ही लेती है कि क्यों नहीं आश्वासन की पूर्ति हुई। उसक बाद ही वह यहां पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। अब जिन आश्वासनों के बारे में समिति ने कहा है कि वे पूरे नहीं हुये यदि माननीय सदस्य उनकी पूर्ति करा लेना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ कर और अगर किसी प्रश्न का उत्तर ठीक न मिले तो उसके ऊपर आध घंटा बहस करके प्रयत्न करने का एक रास्ता है। अपने जिले के बारे में तो माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं लेकिन जो आश्वासन दिये जाते हैं उनके बारे में किसी भी माननीय सदस्य को मैंने प्रश्न करते नहीं देखा। इसका कारण यही है कि वे समिति की रिपोर्ट को पढ़ते नहीं हैं। तो यह तो उनका स्वयं कर्त्तव्य होना चाहिये और जो आश्वासन सरकार ने दिये हैं और उनकी पूर्ति नहीं हुई है उनको पूरा करने के लिये सरकार बाध्य भी की जा सकती है। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट पर सदन में कोई बहस नहीं होगी।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---मैं यही निवेदन करना चाहता था कि जैसा अभी बताया गया कि कई सौ आश्वासन बाकी रह गये हैं, तो यह काफी बड़ी संख्या है और प्रश्नों द्वारा उसमें काफी समय लगेगा....

श्री अध्यक्ष---जब आप इस विषय में प्रश्न पूछेंगे तो जो महत्व के आश्वासन रहेंगे उनके बारे में कदम उठाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा---मैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं :

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५०२-५०६ पर।)

*छापा नहीं गया।

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८

**श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---प्वाइंट आफ आर्डर। जब आपने मंत्री जी को बिल इंट्रोड्यूस करने की अनुमति दे दी है तो मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ९५ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें लिखा है:--

"When a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member in charge of the Bill may make one of the following motions in regard to his Bill, namely :

(*a*) that it be taken into consideration by the Assembly either at once or at some future day to be then specified, or

(*b*) that it be referred to a Select Committee or to a Joint Select Committee ; or

(*c*) that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon :

Provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members, and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for three days before the motion is made, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made".

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यह कल ही मेज पर रखा गया है और आज इसके सम्बन्ध में कृषि मंत्री जी निवेदन कर रहे हैं कि वह प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह नितान्त नया विधेयक है और इसको कल और आज के बीच में १२ घंटे का अन्तर पड़ता है और शायद माननीय सदस्य इसको देख भी नहीं पाये होंगे। अतः इस नियम के अन्तर्गत हमें तीन दिन मिलने चाहिये। यह विधेयक एक नये विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में है। इसके सम्बन्ध में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन समय के सम्बन्ध में ध्यान दिलाता हूं और चाहता हूं कि आप मंत्री जी से कहें कि जब तक कि इसको काफी समय न मिल जाय वह प्रवर समिति के सामने रखने का मोशन मूव न करें।

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---अध्यक्ष महोदय, यह प्वाइंट आफ आर्डर सदन के उस फैसले के खिलाफ जाता है जो सदन ने अभी फैसला किया है और वह यह है कि इसका कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। इसलिये कोई प्वाइंट आफ आर्डर हो सकता है या नहीं यह आपके निर्णय की बात है। सदन यह फैसला कर चुका है कि आज और कल इस पर डिस्कशन हो।

श्री अध्यक्ष---इसका यही रास्ता है कि मैं आपको इजाजत दे दूं कि मोशन उपस्थित कर दिया जाय। मैं इजाजत देता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (The U. P. Agricultural University Bill, 1958) विधान सभा की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन के अन्दर प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे प्रदेश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम होने जा रही है जिस प्रकार की यूनिवर्सिटी इस देश में अभी तक कोई नहीं है। यह कृषि-विश्वविद्यालय जिसका यह बिल सदन के सामने इस समय प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह ऐसी चीज है जो हमारे देश के लिये बहुत आवश्यक है और जिससे हमारे

---

*१ दिसम्बर, १९५८ की कार्यवाही में छपा है।

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन लाल गौतम]

देश को जो कृषि प्रधान देश है बहुत फायदा होगा। इस प्रकार की यूनिवर्सिटी की मांग राधा-कृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में भी थी और जो ज्वाइंट इण्डो-अमरीकन टीम की मीटिंग दामल् साहब के सभापतित्व में हुई थी उसमें भी ऐसा बताया था कि इस तरह की यूनिवर्सिटी क खोलने की मांग हर प्रदेश में है और सब यह चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी उनके यहां चलाई जाय और जो सहायता केन्द्र से और दूसरी संस्थाओं से मिलने वाली है, वह उनको दे दी जाय तो दूसरे प्रदेश इस प्रकार के कृषि-विश्वविद्यालय खोलने के लिये बहुत उत्सुक हैं और उनको खुशी होगी। इसकी योजना यह है कि १ करोड़ ८० लाख रुपया तो शुरू में लगेगा जो केन्द्रीय सरकार से मिलेगा। तराई स्टेट फार्म जो १६ हजार एकड़ का फार्म है और जहां खेती है, पशु-पालन है, मछली पाली जाती हैं, बाग लगे हैं, मकानात बने हुए हैं---वह सारी सम्पत्ति इस यूनिवर्सिटी को दे दी जायगी इस प्रदेश की सरकार की ओर से। ७५ लाख रुपया वहां की सामग्री और सर्विसेज के रूप में हमें मिलेगा टी० सी० से। यह एक बहुत बड़ी योजना होगी जो इस प्रदेश में शुरू होगी जिस पर देश की और भविष्य में आने वाली संतानें गर्व करेंगी। अगर यह यूनिवर्सिटी किसी दूसरे प्रदेश को मिली होती तो हमको इसका अफसोस होता। इसकी हमें खुशी है कि हमको यह यूनिवर्सिटी शुरू करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।

इसके उद्देश्य मुख्यतः तीन हैं। एक कृषि की शिक्षा है। दूसरी कृषि की रिसर्च है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिसर्च का नतीजा हो वह खेतों तक पहुंचाया जा सके और किसानों को फायदा हो सके। यह इसका सबसे बड़ा अंग होगा। यहां मैं इतना निवेदन कर दूं कि जितनी भी खोज हो रही है उसको खेतों तक पहुंचाने में जितनी भी अभी तक कामयाबी हुई है उससे ज्यादा हम कामयाबी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सब खोज का नतीजा किसानों तक पहुंचे ताकि वह उसका पूरा फायदा उठा सके और हमारे देश में अधिक अन्न पैदा हो सके। खेतों से दूसरी पैदावार भी अधिक हो सके। इसमें पांच कालेज होंगे---ऐग्रीकल्चरल कालेज, ऐनिमल हस्बेन्डरी कालेज, ऐग्रीकल्चर टेक्नोलाजिकल कालज, होम साइंस कालेज और साइंस कालेज। योजना यह है कि जुलाई, १९६० से तीन कालेज शुरू कर दिये जांय---ऐग्रीकल्चरल कालेज, वेटरिनिरी मेडिसिन, और ऐग्रीकल्चर टक्नोलाजिकल कालेज। उसके बाद साइंस कालेज हो जाय और होम साइंस का कालेज हम को तीसरी पंचवर्षीय योजना में ले जाना पड़ेगा। जैसा मैंने निवेदन किया कि गवर्नमेंट तराई फार्म को इसके सुपुर्द कर देने का फैसला कर चुकी है। जो कुछ खर्चा होगा जिसका अनुमान १ करोड़ ८० लाख का है वह गवर्नमेंट आफ इण्डिया देगी। एक करोड़ इस पंच वर्षीय योजना में और बाकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ७५ लाख टेक्निकल कोआपरेशन मिशन से मिलेगा इक्विपमेंट और सर्विसेज के रूप में। इस प्रकार यह योजना है।

यूनिवर्सिटी का पैटर्न जो इसमें दिया हुआ है वह यह है। वह आटोनामस बाडी होगी। उसके दो मुख्य अंग हैं---बोर्ड आफ मैनेजमेंट जिसके हाथ में इंतजाम होगा और एकेडेमिक काउन्सिल जो लिखने पढ़ने की चीजों में पूरा अधिकार रखेगी। एक चांसलर होंगे जो इस प्रदेश के गवर्नर होंगे। एक वाइस चांसलर होंगे। वही एकेडेमिक काउन्सिल के चेयरमैन होंगे। एक कन्ट्रोलर होगा जिस पर हिसाब-किताब रखने और देख भाल करने की पूरी जिम्मेदारी होगी। वह बजट वगैरह भी तैयार करेगा। एक रजिस्ट्रार होगा जिसका काम दफ्तर को ठीक रखना और इम्तहानों को देखना होगा। डीन आफ स्टुडेंट्स वेलफेयर होगा जो स्टुडेंट्स की देखभाल करेगा जिससे अच्छी तरह से उनको वहां पर रखा जा सके। रिसर्च और एक्सटेन्शन का डाइरेक्टर आदि बहुत महत्वपूर्ण महकमें होंगे। इस प्रकार का यह एक ढांचा होगा जो इस यूनिवर्सिटी के लिये तैयार करके इस बिल के रूप में इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात और सदन के सन्मुख निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि इसमें काफी बहस मुबाहसा हुआ। हमारे तीन अफसर यूनाइटेड स्टेटस आफ

अमेरिका गये जो इसके ढांचे को देखने के लिये यहां से गये। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के और इंजीनियर वहां गये और वहां पर इन तमाम चीजों को देखने के बाद यह बिल की शक्ल में एक ढांचा तैयार किया गया है। तो मेरा निवेदन यह है कि यह बिल अगर इस महीने की १५, १६ तारीख तक पास हो जाय तो इसमें बहुत सुविधा होगी। जहां से हमको इसके लिये रुपया मिलने वाला है उनका साल कलेन्डर इयर से शुरू होता है। यदि यह बिल ३१ दिसम्बर तक पास न हो और १०, ५ दिन का समय उनको फैसला करने के लिये न मिले तो इसमें बहुत-सा रुपया जो मिलनेवाला है वह गायब हो सकता है क्योंकि दूसरे प्रदेश भी इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिये बहुत उत्सुक हैं। ऐसी दशा में यदि कुछ देर हुई तो इस प्रकार से काफी देर हो जायगी और इस यूनिवर्सिटी को चलाने में हमें कठिनाई होगी। यदि करोड़ डेढ़ करोड़ रुपया कम हो जाय तो हमारे लिये इस यूनिवर्सिटी का चलाना कठिन हो जायगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इसमें आप हमारी सहायता करें और इसको जल्दी पास करें। इसके लिये तीन दिन का समय रखा गया है। अधिक समय अच्छा होता और मुझे भी कोई एतराज नहीं था किन्तु समय कम होने की वजह से यह रखा गया है। फिर भी एक एक चीज को देख लिया जाय और अगर कोई ऐसी चीज होगी तो फिर संशोधन उसमें किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर किसी चीज को बाद में चेन्ज किया जा सकता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर सदन की यह राय हो तो मैं इसमें कोई रुकावट नहीं डालना चाहता क्योंकि आखिरी फैसला तो सदन को ही करना है। इसलिये यह सदन मेरी सहायता करे और इस विधेयक को जल्दी पास करके मेरी मदद करे ताकि यह यूनिवर्सिटी शुरू हो सके और इसमें कोई कठिनाई न आये। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव सदन के विचारार्थ पेश करता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---श्रीमन्, कल एक प्रस्ताव दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष---वह मेरे पास तो नहीं आया लेकिन मैं देख लूंगा।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**---श्रीमन्, कृषि मन्त्री द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं कि जहां पंक्ति तीन में प्रतिवेदन को तीन दिन में प्रस्तुत करने की बात है वहां पर एक हफ्ता रख दिया जाय। मैं तीन दिन के स्थान पर एक हफ्ता शब्द बढ़ाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, जो माननीय मन्त्री जी ने रखा है, वह समय को देखते हुए बहुत ही उचित है और एक विशेष आवश्यकता की बात है। यह बिल यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की सिफारिशों के अनुसार है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी जब कभी इंस्टीट्यूशन के सम्बन्ध में कुछ सुधार करने का प्रस्ताव लाते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि यह यूनिवर्सिटी हमको हमारे लक्ष्य की ओर नहीं ले जाती है। हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिये जो कृषि प्रधान देश के लिये उपयुक्त हों। उनमें शिक्षा ऐसी हो जो इस देश की आवश्यकता का समुचित समाधान कर सके। मुझे खुशी है कि आज दूसरे विभाग द्वारा कृषि यूनिवर्सिटी कायम करने की बात रखी गयी है। यह और भी खुशी की बात है कि इसमें कुछ सहायता बाहरी और कुछ केन्द्रीय सरकार की है, किन्तु थोड़ा आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि इसकी स्थापना केवल उन स्थानों में हो सकेगी जो नैनीताल तराई स्टेट कहलाते हैं और जो इस प्रदेश के एक कोने में हैं। मैं यद्यपि माने लेता हूं कि उस स्थान पर कृषि सम्बन्धी भूमि अधिक होगी, वहां कृषि की उन्नति हो सकेगी, किन्तु यदि इसका उद्देश्य इस विषय की शिक्षा देना है और आशा की जाती है कि इस के बाद देश में कृषि की उन्नति हो सकेगी, जैसा कि इसके उद्देश्य में कहा गया है कि ग्रामीण जनता के लाभ के लिये एक कृषि-विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाय, तो इसको किसी केन्द्र स्थान में होना चाहिये था। जब हम यह देखते हैं कि इस विश्वविद्यालय का सम्बन्ध अनेक विषयों से है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमारे प्रदेश के एक बहुत बड़े लक्ष्य की पूर्ति करने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

वाला होगा और इसलिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इसका स्थान, विधान और नियम ऐसे हों कि जो लोकप्रिय हों और जिनसे ऐसी बात न भासित हो कि हम किन्हीं बातों स वंचित रह जायेंगे ।

मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि यह बिल अभी कुछ घंटे पहले हमारे सामने आया है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए ही माननीय मन्त्री जी चाहते हैं कि इसको जल्दी पारित कर दिया जाय । मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं, तो भी जल्दी में पास किया हुआ विधेयक हमेशा हानिकर इसलिये हो जाया करता है कि उसमें बहुत सी त्रुटियां रह जाती हैं । हम इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि अभी हम एक विधेयक पास करें और चन्द ही महीनों में या इसी अधिवेशन में हमें उसमें संशोधन लाने के लिये विवश होना पड़े । इसमें हम सब ही जिम्मेदार होते हैं और इसलिये यह हमारे लिये अपमानजनक होता है । हम विधेयक के साथ पूर्ण रूप से न्याय नहीं कर पाते हैं इस कारण कि हमको समय कम मिलता है और इसका एक यह उदाहरण है । उसकी एक प्रस्तावना है कि तीन दिन के अन्दर प्रवर समिति का प्रतिवेदन आ जाय । मुझे संदेह है कि तीन दिन के समय में इस विधेयक के साथ पूरा-पूरा न्याय प्रवर समिति कर सकेगी । मैंने स्वयं इसके कुछ मुख्यांश पढ़ पाये हैं और जो मैं समझ पाया इसके मुख्य-मुख्य भाग किन्हीं यूनिवर्सिटियों को देख कर उनके पद-चिन्हों पर बनाये जा रहे हैं । यह मानी हुई बात है कि इसके अलावा और कोई बात हमारे कृषि मन्त्री अथवा वर्तमान सरकार सोच ही नहीं सकती थी । उन्हें इस विश्वविद्यालय को बनाने में उन्हीं पाश्चात्य सभ्यता पर आधारित विश्वविद्यालयों का ही आधार लेना पड़ेगा । नवीन विचार वह ले ही क्या सकते हैं ? मुझे यद्यपि इसमें कोई विशेष आपत्ति इस रूप में नहीं है कि मैं उनको इस बीसवीं शताब्दी में उल्टी गंगा बहाने के प्रयास के लिये कहूं तो भी, वह भी मेरा अधिकार है कि मैं कह सकूं । इनमें उन्नति न दिखाने की वजह यह है कि ये यूनिवर्सिटियां खर्चीली होती हैं, चन्द लोगों के हाथ की मुट्ठी की चीज होती हैं और इनमें केवल चन्द कुटुम्बों के लड़के ही जा सकते हैं जो धनवान होते हैं । ये यूनिवर्सिटियां ऐसे लोगों के हाथ की चीज बन गयी हैं जो कुछ सम्भले हुए होते हैं या ईश्वर ने उन्हें धन दिया है । क्या यह उचित नहीं होगा कि ऐसे विश्वविद्यालयों में कृषकों के लड़के जावें, किसानों के लड़के जावें ? उनके जाने के लिये, कृषि मन्त्रीजी ने जो विधेयक पेश किया है . . . . .

श्री अध्यक्ष---अभी आप भाषण जारी रखेंगे क्या ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---जी हां ।

श्री अध्यक्ष---तो बाद में जारी रखियेगा ।

(इस समय १ बज कर १५ निमट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापितत्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी---उपाध्यक्ष जी, मैं कृषि-विश्वविद्यालय के संबंध में यह कह रहा था कि यह कृषि विश्वविद्यालय ठीक उसी तरह से बनाये जा रहे हैं, या बन रहा है, जैसे कि पूर्व विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश में या देश में हैं । इसके संगठन में पदाधिकारी या प्राधिकारी करीब-करीब उन्हीं लाइन्स पर और उन्हीं अख्तियारों से हैं । मुझे इस सम्बन्ध में जब विवेचना करनी होती है तो बलात् मेरा ध्यान उन यूनिवर्सिटियों की ओर जाता है जहां ये सब चीजें मौजूद हैं और बहुत दिनों से काम कर रही हैं । विश्वविद्यालयों में बोर्ड आफ मैनेजमेंट, एकेडेमिक काउन्सिल ऐसी चीजें हैं, नामों में चाहे कुछ थोड़ा सा फर्क हो । कुछ थोड़ा सा भेद कहीं कहीं रखा गया है ।

जहां बोर्ड आफ मैनेजमेंट में पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों की व्यवस्था है वहां पर हमें एक विशेष चीज यह दिखाई पड़ती है कि स्टेट फार्मर्स फोरम । यह बात, जहां तक मैं जान पाया हूं, इस तरह से है कि वह यथावत् प्रतिनिधित्व का ठीक तरह से पालन नहीं कर रही है । वहां यह देखा गया है कि कुछ लिखे-पढ़े लोगों की या मनचले लोगों की संस्था बन जाया करती है जिनका काम है विदेशों में जा कर बड़ी-बड़ी स्कालर्शिप या डिग्रियां हासिल करके लौटना । ऐसी ही कुछ और संस्थाएं हैं जो इसमें प्रतिनिधित्व पावेंगी उन सब के बारे में अलग-अलग बात मैं अभी नहीं कहूंगा । किन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारे कृषि मंत्री जी ने अभी एक इशारा किया था कि इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जो पांच कालेज बनेंगे वे आगामी १९६०-६१ में और तृतीय योजना के अन्तर्गत बन पावेंगे । यह सुन कर थोड़ा सा हताश भी होना पड़ता है । मैं तो यह समझा था कि शायद यह कालेज दूसरी लाइन्स पर हों । एग्रीकल्चरल कालेज एक हमारे कानपुर में है । दूसरे एनीमल हसबैन्ड्री जो सोचे जा रहे हैं ये या तो पैरेलल लाइन्स पर होंगे या कुछ नवीनता से होंगे, ऐसी कोई बात इस बिल से प्रकट नहीं हो रही है । लेकिन यदि वे पैरेलल लाइन पर हों और शीघ्र हों तो अनुचित न होगा । साथ ही कुछ लम्बी रेन्ज स्कीम की बातें इसमें हैं । यह अवश्य है कि इस विधेयक में कुछ आशायें हैं और सरकार की ओर से एक लाख या ७५,००० रुपया मिल रहा है और वह इन कालेजों की स्थापना के लिये सोच रही है, यह अच्छा लक्षण है । लेकिन मैं चाहूंगा कि इनके बनाने में कोई रेड-टेपिज्म न हो या फाइलों की उलट-पुलट में वर्षों न लगें बल्कि शीघ्र काम करने की पालिसी अपनाई जाय तो अच्छा होगा ।

इस बिल में जो कान्स्टीट्यूशन दिया हुआ है उसके इधर उधर पलटने के बाद मैंने देखा कि वाइस-चांसलर जो होगा, जैसा कि खंड ११ के उपखंड २ में कहा गया है "उसके ऐमोल्यूमेंट्स और सेवा की शर्तें वही होंगी जो नियत की जायं ।" इसके बारे में मैं थोड़ा इशारा कर दूं कि यद्यपि ये वाइस-चांसलर बहुत ही अनुभवी और योग्य व्यक्ति होंगे लेकिन यहां पर वे एक निर्धन देश की कृषि की उन्नति के लिये रखे जायेंगे और उनका संबंध ग्रामीण जनता से होगा । यदि ऐसा है तो वाइस चांसलर भी कृषक हो या कृषकों के रूप का हो । यह तभी हो सकता है जब आप उसके लिये वही एमोल्यूमेंट्स न रखें जैसे कि दूसरी यूनिवर्सिटीज के वाइस-चांसलरों के रखे जाते हैं जिन्हें १,५०० या १,२०० रुपया प्रति माह दिया जाता है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक कीमती सजेशन रख रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी बिल को बड़ी भारी अहमियत भी दी जा रही है फिर क्या कारण है कि माननीय मन्त्री जी इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय कृषि मन्त्री जी इस समय कहां हैं ?

समाज-कल्याण मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---उनके स्थान पर मैं यहां मौजूद हूं और मैं माननीय सदस्य की बात नोट कर रहा हूं । वे अभी आने ही वाले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष- कृपया आप उनको जल्दी बुलवा लें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी, बहुत अच्छा । उनके स्थान पर मैं यहां पर मौजूद हूं और इसके संबंध में जो मेरे मित्र चर्चा कर रहे हैं, जो भी बात मेरे मित्र कह रहे हैं, वह व्यर्थ जा रही है ऐसी बात नहीं है । मैं उनको नोट कर रहा हूं ।

श्री प्रतापसिंह---लेकिन वह नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---उनके स्थान पर समाज-कल्याण मन्त्री रिप्रेजेन्ट कर रहे हैं लेकिन यह मुनासिब होगा यदि उनको जल्दी बुलवा लिया जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह विषय जो इतना महत्वपूर्ण समझा गया है, उसको उपस्थित करने के लिये माननीय कृषि मन्त्री जो चन्द मिनट ही बोले और इस समय वे यहां उपस्थित नहीं हैं ।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इस विधेयक में उप-कुलपति और काम्पट्रोलर आदि पद रखे गये हैं, जैसे कि अन्य यूनिवर्सिटियों में हैं । उनको देखकर मुझे संदेह होता है कि इसका भी वही हाल होगा जो अन्य यूनिवर्सिटियों का होता है । इस विश्वविद्यालय के उप-कुलपति भी अन्य यूनिवर्सिटीज की भांति एक्सपीरियेंस्ड होंगे और फारेन यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट्स होंगे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इतना हाईली पेड स्टाफ किस प्रकार से इस गरीब और कृषि प्रधान देश की उन्नति कर पायेगा ।

इस विश्वविद्यालय के द्वारा विशेषरूप से अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन दिया जायगा । आजकल वह कार्य कृषि विभाग और कृषि कालेजों द्वारा किया जाता है । यह विश्वविद्यालय ऐसे मीन्स भी अपनायेगा जिससे कृषि के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ वहां से निकल सकें । इसलिये यह आवश्यक है कि उसको कुछ ऐसी लाइन्स पर चलाया जाय कि उस विश्वविद्यालय से जो छात्र निकलें वे अपनी कुछ विशेषता रखते हों ।

इसमें एक फैकल्टी छात्र कल्याण की फैकल्टी के नाम से कायम की गई है यह एक प्रश्न बड़ा सुन्दर हमारे सामने है । यूनिवर्सिटीज में आज हम आमतौर से देखने लगे हैं कि डीन आफ स्टुडेन्ट्स वेलफेयर बनायें जायेंगे । यह विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा । लेकिन इतना होते हुए भी यूनिवर्सिटी बनाम छात्रों का संघर्ष कम नहीं हुआ है । मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि अभी बनारस विश्वविद्यालय का प्रश्न हमारे सामने है । वहां भी यही प्रमुख समस्या बन गयी है, विद्यार्थी बनाम पदाधिकारी या वाइस-चांसलर बनाम विद्यार्थी, यह चीज आज हमारे सामने नग्न रूप में मौजूद है । आज हम वाइस-चांसलर को विद्यार्थियों के सम्बन्ध में एडैप्टेबिल नहीं पाते या उनकी रुचि लायक नहीं पाते । कहीं तो कुछ खराबी है, या तो खराबी चुन कर आये हुए लोगों में है या उनके क्वालिफिकेशन्स में है या यह कहें कि वे आउट आफ डेट हैं, असमयानुकूल हैं और उनमें कुछ कमी है जिससे वे अपने कार्य में असफल हैं । बजाये इसके कि वे दूसरों की कमी बतलावें, उन्हीं में कुछ कमी जरूर है । कहा जाता है कि एक नाजानकार कारीगर अपने औजारों से लड़ता है, आज इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज हमारे वाइस-चांसलर अपनी विद्या को जानते नहीं हैं, वे अपने पेशे को नहीं जानते हैं ।

खंड १५ के उपखंड (३) में दिया गया है कि डीन आफ स्टुडेन्ट्स वेलफेयर के कार्यक्षेत्र क्या होंगे । उनका कर्तव्य होगा छात्रों के निवास के लिये प्रबन्ध करना, छात्रों को परामर्श देने के कार्यक्रम का संचालन करना और उप-कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के इम्पलायमेंट का प्रबन्ध करना । यह चीज बहुत अच्छी है तथा उत्साह देने वाली है कि वे विद्यार्थियों को बतलावें कि उनको क्या काम करना है । आज हमारी यूनिवर्सिटियां सिवा इसके कि एक्जामिनेशन्स लें, विद्यार्थियों को प्रोड्यूस करें और कुछ करती ही नहीं हैं । उनके विद्यार्थी बाद में किसी काम में लगे या नहीं लगे इससे उनको कोई मतलब नहीं रहता है ।

आज हमको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि हम उसी वर्ग के विद्यार्थी को लें जो अपने वर्ग में लौट कर अपने पेशे को अपना सके । यदि ऐसा हो कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय की शिक्षा पाने के बाद अपने पेशे में लौटने से सकुचावे या उसकी इच्छा आफिसर बनने की हो, या और कोई काम करने की हो तो और विश्वविद्यालयों की तरह यह विश्वविद्यालय भी असफल हो जायगा । इसकी पहली कसौटी यह है कि विद्यार्थियों के चयन में हमको इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा और उन्हीं के अनुसार पठन-पाठन का होना भी आवश्यक है जो हमारे देश के अनुकूल और उपयुक्त हो । इसके अलावा इस बात की भी आवश्यकता है कि आज हमारे देश में कृषि के संबंध में अनेक स्कीमें बनती हैं लेकिन बनाने वाले यहां के अनुसार पठन-पाठन का कार्य-क्रम नहीं बनाते जिससे वे सफल नहीं हो पाते । आज हमारा देश जो कृषि प्रधान है, कहा जाता

है कि हम वैज्ञानिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मैं मानता हूं कि हम वैज्ञानिक रूप से पिछड़े हुए हैं और कोई नया औजार या नया तरीका खेती का नहीं अपनाते हैं। लेकिन क्या यह हमारा अपराध है? इस तरह से हमको अपराधी करार देकर टाल देने से काम नहीं चलेगा। आज कौन ऐसा किसान है जो नहीं चाहता है कि हमारा कृषि उत्पादन अधिक हो? और अधिक करने के लिये वह केवल उपाय ही नहीं करता है बल्कि हर एक कृषक इसके लिये कटिबद्ध है, तो भी वे कृषि का उत्पादन अधिक नहीं कर पाते, इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा देश निर्धन है, उसकी पूंजी सीमित है। न तो उसके पास पूंजी ही है, और न सहयोग ही किसी तरफ से मिलता है और न सरकार की सदाशयता ही मिलती है। इन सब बातों को लेकर हम कह सकते हैं कि आज का कृषक अपनी विद्या में अपूर्ण है और उस अपूर्णता का दोष हम उसके सर पर मढ़ते हैं और वह सुधारकों पर इसका दोष मढ़ता है। सुधारक कहते हैं कि वह कंजरवेटिव है। होता यह है कि देश में हमारा कृषक समाज आगे नहीं बढ़ पाता है। हम आशा करें कि यह विश्वविद्यालय कायम होकर उन्हें नया मार्ग निर्देश कर सकेगा। मुझे आशा है कि कृषि से सम्बन्धित जो अनुसंधान कार्य है उसके साथ-साथ उपयोगी ढंग से कार्य के सम्बन्ध में भी सोचा जायगा। लेकिन इस सम्बन्ध में हमें एक बात पर ध्यान देना होगा कि जब पाश्चात्य देशों की नकल करने में हम बिलकुल ही ब्लाइंड फेथ रखने लगते हैं तो नतीजा यह होता है कि देश की वास्तविक स्थिति को हम भुला देते हैं और उस हालत में देश का लाभ हम नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार की खेती कैनाडा या अमेरिका में हो रही है--बड़े पैमाने पर होती है, वैज्ञानिक रूप से और पूंजी के साथ होती है--इन सब बातों को लेकर अगर हम अपने देश में लागू करें तो स्थिति उल्टी हो जाती है और कृषि के सम्बन्ध में वास्तविक योजना हम नहीं सोच पाते हैं और स्थिति और अधिक बिगड़ती नजर आती है।

आज हमारे देश में हमको शिकायत है कि हमारी आबादी बढ़ रही है। यह हम मानते हैं कि कृषि प्रधान यह देश है और हमको इंटेंसिव व एक्सटेंसिव खेती दोनों करना चाहिये ताकि हमारे देश की सम्पन्नता बढ़ सके और फूड प्राब्लम में हम सेल्फ सफोशियेंट हो सकें। खेती की टेक्निक में सुधार हो इसके लिये हमको विदेशों का नमूना ही लेना होगा, यह विवादास्पद बात है और यह बात और भी कटु बनने जा रही है जब कृषि सम्बन्धी विश्वविद्यालय बनें तो उनमें भी वही नुक्स हों जो अन्य यूनीवर्सिटीज में घुसे हों और जिनको प्रत्यक्ष देखते हुये हम सुधार नहीं कर पाते हैं। सब कहते हैं कि शिक्षा में सुधार होना चाहिये। यहां से निकले हुये विद्यार्थी बेकारों की संख्या बढ़ा रहे हैं, देश में अशांति व अनुशासनहीनता को बढ़ा रहे हैं, यह सब कहते हैं लेकिन हम किंकर्तव्य-विमूढ़ हो जाते हैं। कोई नई चीज नहीं ला पाते। इसलिये नहीं कर पाते कि हम बुरी तरह से फंस गये हैं।

इन सब बातों के सम्बन्ध में हमारी सरकार को ध्यान देना होगा अन्यथा हमारे कार्य चाहे कितने ही सदुपयोगी हों सब निरर्थक होंगे और उसका सारा दोष आप पर आ जायगा। इस विधेयक के पास करने मात्र से ही हमारे मंत्री जी यह न समझ लें कि उन्होंने अपना कर्त्तव्य पूरा कर लिया और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी और बढ़ा दी जहां पर नये ढंग से नये तरीके पर नये लोगों को खेती करना सिखाया जायगा। हो सकता है कि जंगल में मोर नाचे और कोई देख पाये और कोई न देख पाये। आपकी यूनीवर्सिटी से निकले हुए स्नातक इस देश के कोने कोने में फैल कर कृषि की उन्नति कर सकें और जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है वह खर्चा बच सके और लोगों की आवश्यकताओं की वे पूर्ति कर सकें। लेकिन जब उस तरीके को हम देखते हैं जिनसे ये सब चीजें पूरी होनी हैं तब संदेह पैदा होने लगता है। आज हमें यह महसूस करना चाहिये कि विश्वविद्यालयों की ताइद आगे न बढ़ाते जायं, बल्कि जो विश्वविद्यालय बनें वे नये आधार ले कर बनें और नई व्यवस्था को ले कर बनें जिनका मुख्य लक्ष्य हो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आज यह जो विधेयक सामने उपस्थित है इसमें यह भी कहा गया है, कि "प्रस्तावित विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के 'लैन्ड ग्रांट कालेज' के सदृश्य होगा।" मुझे खेद है कि आज इस बिल के पेश होने के साथ कनसर्निंग पेपर्स भी हमारे सामने

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

होने चाहिये थे। इस लैन्ड ग्रांट कालेज के संबंध में मेरी तो कुछ जानकारी है नहीं। क्या अच्छा होता कि मंत्री जी जिसके आधार पर यह सब चीज बनाने की सोच रहे हैं, सदृश्य होने की बात सोच रहे हैं, वह कल्पना हमारे सामने भी होती और इस संबंध में कोई लिट्रेचर, कोई नोट हमारे सामने होता। मालूम होता है कृषि मंत्री जी एक जादूगर की तरह हैं जो अपना पिटारा छिपाये हुये हैं और लोगों को अवाक् जब पावेंगे तो खोल कर दिखायेंगे कि देखो यह चीज है, यह लैन्ड ग्रांट कालेज इस प्रकार का होगा। वह मुमकिन है कि इस प्रस्ताव के बाद अपना रिप्लाई देने में तमाम नई बातें बतलावें। लेकिन यह तो इस प्रकार से हुआ कि सदस्यों को अपरिचित स्थान में पकड़ लेना। थोड़ी देर के लिये हम मान लेते हैं यह लैन्ड ग्रांट कालेज सचमुच एक सुन्दर ढंग का होगा और उसके सदृश्य होने की बात सोची जा रही है। यह भी मान लेते हैं कि इस विश्वविद्यालय के खोलने में हमें बाहर से सहायता मिल रही है और देश में यह एक नई चीज होगी। लेकिन तब भी हमें संदेह है कि देश की आवश्यकताओं और इन नई आयी हुई वस्तुओं का दोनों का एडेप्टेशन किस प्रकार से सोच पाये हैं मंत्री जी। उनको इस बात को स्पष्ट रूप से रखना चाहिये, जितनी भी उनके पास कल्पनायें हों, बातें हों, उन सब को सदन के सामने रखना चाहिये। जो थोड़ा बहुत इस बिल में पेश किया है उसमें कोई नवीनता नहीं है। एक भी ड्राफ्ट्समैन दफ्तर में बैठकर के दो, तीन विश्वविद्यालयों के कांस्टीट्यूशन को उठा ले और रख दे कि इसमें इस प्रकार के अधिकारी होंगे, प्राधिकारी होंगे, और उपकुलपति होंगे। लेकिन इसके अन्दर जीनियसनेस किया है, विशेषता क्या है। इसके अन्दर मंत्री जी के दिमाग की नई चीज क्या है जिसको ला करके हमें कुछ नया कदम दिखाना चाहते हैं कि इस कृषि प्रधान देश में कृषि के संबंध में शिक्षा दिला कर कृषि के उत्पादन में बढ़ाव करना चाहते हैं।

हम आज फूड के मामले में डेफिसिट हैं, हम लोगों को भूखों मरने से नहीं बचा पाते। क्या हम सोचें जिस समय हमारा फूड इतना कम है उसकी पूर्ति के लिये कोई ऐसी चीज सोच रहे हैं इस विश्वविद्यालय के द्वारा जो निकट भविष्य में हमको उस पूर्ति को दे सके? माना कि किसी वक्त यूनीवर्सिटी कायम होगी, पांच-पांच कालेजेज उसके साथ होंगे और उनमें बड़े सुन्दर ढंग से अनुसंधान होंगे और देश में नये प्रकार से खेती की बात सोची जायगी। लेकिन जब एक कालेज १९६० में खुलेगा दूसरा १९६१ में खुलेगा और दूसरी चीज होम साइंस की तृतीय प्लान में होगी, तो ऐसा मालूम होता है फूड स्केयरसिटी कुछ साल और चलने वाली है और इस बिल से उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है।

यह बिल धीरे-धीरे पास होता रहेगा मेरा अनुभव है कि और बिलों की भांति इसका भी वही हाल होगा, यों तो सरकार पास कराने में जल्दबाजी दिखाती है, मालूम होता है बड़े उत्साही हैं, लेकिन पास होने के बाद वह चीज अल्मारी में बन्द हो जाती है, डिपार्टमेंट्स में जाती है जहां आफीशियल्स कभी भी कोई बात सोच नहीं पाते हैं। इसका नमूना डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का बिल है, इसका नमूना कार्पोरेशन बिल है और इनके अलावा अनेक शिक्षा मंत्री जी के बिल इस का नमूना हैं। आज तक सेकेंडरी एजूकेशन के बारे में वह नहीं सोच पाये और मैं तो खुले शब्दों में कहता हूं कि वर्तमान मिनिस्ट्री जहां ऐसे-ऐसे विद्वान शिक्षा मंत्री हों, इतनी योग्यता रखते हों, जहां इस तरह के मिनिस्टर्स हों वहां हमने उनकी क्षमता देख ली, हम कह सकते हैं कि वह अपनी मिनिस्ट्री के पीरियड में कोई सुधार नहीं कर पायेंगे। उनके दिमाग में कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है—नो थिंकिंग—नो जीनियस—— कोई ठीक बात सोचना उन के दिमागों के बाहर की बात है। वह तो ड्रेफ्ट्समैन और लीगल रिमेम्ब्रेंसर वगैरह पर ही निर्भर रहते हैं और उन्हीं के हाथ की कठपुतली हैं। कुछ इधर-उधर से मंगाकर पुराने ऐक्टों को देखकर कुछ थोड़ा-सा हेर-फेर कर के रख दिया, कहीं कुछ बम्बई से ले लिया, कहीं कुछ कहीं और से ले लिया। जब इस तरह का यहां मिनिस्टीरियल सर्किल में स्टाफ है तो वह क्या

उन्नति कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं और क्या वह देश की या नेशन की प्राब्लम को साल्व कर सकेंगे और वह क्या और कौन सी ऐसी नई चीज कृषि यूनिवर्सिटी में कर के दिखा सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप भी तो कोई सुझाव दें जिनसे वह लाभान्वित हो सकें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---हमें भी अधिकार हो तो हम अपने सुझावों को कार्यान्वित करके दिखावें लेकिन अगर हम अपनी चीज समय से पहले रख दें तो उसका उपहास ही किया जायगा और कहा जायगा कि यह तो हमें पहले से ही मालूम था और कहा जायगा कि वाह बस इतनी सी ही बात थी, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। इसलिये जबतक हम उस जगह पर न हों, जब तक हमारा कहना सुने जाने लायक न हो तब तक क्या हम अंधे-बहरों के सामने कहें जिनके नाक कान नहीं और समझने को दिमाग नहीं। मुझे यह कहकर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अनेक बार आवाहन किया। मैं तो अब विशेषकर माननीय कृषि मंत्री जी के लिये कहता हूं कि उनका तो यह दावा है कि मैं तो अपोजीशन की बात को सुनने को हमेशा तत्पर रहता हूं, जब कभी वह बजट पेश करते हैं तो बड़े दिल के साथ वह सीना खोल देते हैं, कहते हैं कि आइये अपनी बात कहिये मैं सुनूंगा और करूंगा लेकिन माननीय कृषि मंत्री श्री गौतम जी से जो हम ने आशा की थी उस में से हजार अंश में से एक भी अंश मैं नहीं पाया और वह हमेशा विरोधी दल की बात को निरा विरोध ही मानते हैं ठीक उसी तरह से जैसे हमारे अन्न मंत्री जी भी मानते हैं। उनसे तो मुझे कोई विशेष आशा नहीं थी लेकिन माननीय गौतम जी से मुझे अवश्य काफी आशा थी क्योंकि मैं उन का को-वर्कर रहा हूं, मैं भी एक जमाने में उनके साथ किसान वर्कर था। जब मैं मिनिस्टीरियल लेविल पर ऐसा स्टफ देखता हूं तो हमें बड़ा दुख होता है और उनकी इस तरह की मनोवृत्ति को देखकर कभी-कभी तो हमारा दिल बैठ जाता है। चाहे विरोधी दल के द्वारा कोई भी कांस्ट्रक्टिव चीज पेश की जाय लेकिन वह रिजेक्ट कर दी जाती है चाहे वह सम्पूर्णानन्द जी हों, चाहे जहीर साहब हों या चौधरी चरण सिंह जी हों सारे मिनिस्टीरियल सर्किल का यही हाल है। मैंने सोचा कि उन में से कोई तो कुछ उदार दिल के होंगे और सभी हाट हेडेड न होंगे लेकिन जिन को हम ने उदार समझा था वह तो और भी सख्त निकले। उन से आशा थी कि वह कोई नई चीज करेंगे और कुछ चमकेंगे, उनके पास विभाग भी कम हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं और एक ही चीज को बार-बार कहे जा रहे हैं, न आप कोई ठोस सुझाव ही दे रहे हैं और न खंडन ही कर रहे हैं, आप उसी बात को दस मिनट से दोहराये जा रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आप की आज्ञा शिरोधार्य है। मैं प्रार्थना करूंगा कि यह बिल प्रवर समिति में जा रहा है और वहां मुझे सुझाव देने का मौका मिलेगा। मुझे मिले या जो मेरी पार्टी से कोई व्यक्ति हो उसे मिले। आज तो हम इस विधेयक के उन्हीं अंशों को पढ़कर बता सकते हैं जिनको लेकर के यह समूचा बिल बना हुआ है और यही दिखा सकते हैं कि बिल ऐज ए होल कैसा है और यह हमें किस ओर लिये जा रहा है। अगर मैं इसके एक-एक सेक्शन की बात कहूं तो आपको भी एतराज होगा कि अभी वह अवसर नहीं है। प्रवर समिति से वापस आने पर मौका मिलेगा और प्रवर समिति में ही कहना उचित होगा। ऐसे ही आफ हैंड बात कहने लग जाऊं तो एक घंटा लग जायगा और मैं इस विश्वविद्यालय का सारा सर्वांग नये ढंग से बता सकता हूं कि यह होना चाहिये, लेकिन इस रूप में कहने का भी अधिकार आप शायद स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिये मैं तो ऐज ए होल इस बात को रख रहा था कि यह बिल जिस ओर हमको ले जा रहा है उस सम्बन्ध में मैं अपना दृष्टिकोण आपके सामने रखूं।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

हमारे कृषि-विश्वविद्यालय जो रूरल टाइप के हों जिनका आधार हो कृषकों के बीच में उन सभी बातों का सुधार करना जैसा कि दफा ४ में कहा गया है कि हम इसके द्वारा जनता में विभिन्न विषयों की, विशेषतौर से कृषि, ग्रामोद्योग तथा व्यवसाय और अन्य सम्बन्धित विषयों में शिक्षा देने के लिये व्यवस्था करेंगे, यदि सचमुच ही इसका लक्ष्य यह है तो यह विश्व-विद्यालय ऐसे स्थान में पहले होना चाहिये जो हमारे केंद्र का स्थान हो। यह विश्वविद्यालय इस रूप का होना चाहिये, इसकी मैनेजिंग बाडी और इसके प्राधिकारियों में नये ढंग की रोशनी होनी चाहिये। देश की निर्धनता को देखते हुये निर्धन विद्यार्थियों को स्थान देने के लिये इसमें दरवाजे खुले होने चाहिये। इसमें यह बाहुल्य, खर्चे का आडम्बर, दिखावा कि ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिये, नहीं होना चाहिये बल्कि वह सिम्प्लीसिटी होनी चाहिये, बिल्डिंग और पैराफर्नेलिया की जो देश की आर्थिक अवस्था को देखते हुये उपस्थित हो। वह १ करोड़ २० लाख रुपया बजाय इसके कि बड़ी ग्रैण्ड बिल्डिंग बनाने में खर्च हो जाय, लेबोरेटरी की बात कह दी जाय मैं मानता हूं कि लेबोरेटरी की बहुत जरूरत है, लेकिन क्या मैं उम्मीद करूं कि लेबोरेटरी के लिये क्या वह कोई ग्रैण्ड बिल्डिंग बनाना पसन्द नहीं करेंगे, १० हजार की जगह ५० हजार खर्च नहीं करेंगे? क्या वह यह सोचेंगे कि यह यूनिवर्सिटी एक भव्य यूनिवर्सिटी न होकर देश की साधारण जनता के अनुकूल साधारण ढंग की हो जिसमें रुपये का सदुपयोग हो? माना कि यह रुपया केंद्र से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, लेकिन यह रुपया है तो जनता का ही, इसलिये उसका उचित उपयोग होना चाहिये। विशेषतौर से मैं विद्यार्थियों की बात दोहरा रहा हूं कि इसके संबंध में विद्यार्थियों की योग्यता में कुछ ऐसी बातें होनी चाहियें कि जिससे निर्धन विद्यार्थी शरीक हो सकें। जितनी आज यूनिवर्सिटियां हैं उनमें यह नियम है कि हम थर्ड डिवीजन नहीं लेंगे। आज थर्ड डिवीजन पास होने वालों का अनुपात कितना है? आप जानते हैं कि ७०-८० फीसदी ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो थर्ड डिवीजन पास होते हैं और २० फीसदी अन्य होते हैं। आप सोचिये कि थर्ड डिवीजन पास जो ७० फीसदी होते हैं वह कौन होते हैं? वह साधन-विहीन, निर्धन, असहाय देश के विद्यार्थी होते हैं और सही प्रकार के वही कृषक बन सकते हैं। उनको अगर आपने रिजेक्ट किया और वहां धनवान, सम्पन्न विद्यार्थी पहुंचेंगे तो उससे देश को क्या लाभ हो सकता है?

मेरा सुझाव है कि इन यूनिवर्सिटियों में ऐसे नियम न रखें, इस प्रकार की चीज न हो जिससे निर्धन विद्यार्थी न आ सकें। उनमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि निर्धन विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में स्थान पा सकें, आप उनको स्टाइपेण्ड दे सकें, स्कालर्शिप दे सकें, एक पैसे की फीस न लगे। अगर आप सचमुच ही किसान के बेटों को शिक्षा देना चाहते हैं, किसानों द्वारा की गई उपज में वृद्धि करना चाहते हैं तो उनके बेटों को वहां आने देने की उनको सुविधायें दें। उनके लिये सुविधायें यह हों कि वे शरीर से बलिष्ट हों। यह न हो कि वे शौकीन, सिनेमापरस्त, खर्चीले, बाप की कमाई को बर्बाद करने वाले हों बल्कि कुदाल, फावड़ा चलाने वाले और लम्बी लम्बी जमीनों को जोतने वाले हों। आज यदि कृषक का बेटा इतनी क्षमता न दिखा सके तो ऐसी यूनिवर्सिटियां निरर्थक हो जायंगी।

यह भी मेरा सुझाव है कि बहुत काम्प्लीकेटेड स्टैट्यूट्स न हों जिससे कि एलेक्शनबाजी हो। यह ठीक है कि इसमें एक विधान परिषद का सदस्य होगा और दो विधान सभा के होंगे जिससे हमारी आवाज भी वहां हो पायेगी, लेकिन कृषि की शिक्षा तथा उसके विकास में अभिरुचि रखने वाले दो व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार नामनिर्दिष्ट करेगी, इससे ऐसा मालूम होता है कि जिन यूनिवर्सिटियों में एकेडेमिक पढ़ाई होती है उनकी बिल्कुल नकल इसमें की गयी है। लेकिन एकेडेमिक और एग्रीकल्चर की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें तो बिल्कुल नये ढंग से यूनिवर्सिटी को बनाना चाहिये और इसमें मुख्य-मुख्य पदाधिकारी, वाइस-चांसलर से लेकर रजिस्ट्रार तक ऐसे लोगों में से होने चाहिये जिनका देश में बाहुल्य है, जो पिछड़े हुये हैं, जिनके पिछड़े हुये होने के कारण अन्न की कमी है।

एक आध बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। पहले तो मेरी प्रार्थना है कि कृषि मंत्री जी इस विधेयक को वापस ले लें। लेकिन अगर इसे प्रवर समिति में रखना चाहते हैं तो उस प्रवर समिति को यह अधिकार हो कि इसकी परिधि को बढ़ा सकें। मैंने मूल संशोधन में यही रखा था, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने मुझको बुलाकर कहा था कि चूंकि यह नया बिल है, किसी का संशोधन नहीं है अतः इसकी परिधि बढ़ाने का यों ही अधिकार होगा। यदि कृषि मंत्री जी दूसरा विधेयक लाने की क्षमता नहीं रखते, इसी में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं तो प्रवर समिति को परिधि बढ़ाने का अधिकार मिलना चाहिये।

इसके साथ-साथ तीन दिन का समय तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं दीख पड़ता है। दो दिन में आप इसको पास करेंगे, समिति के सदस्यों के नाम आदि बुलेंगे। एक दिन तो उचित ढंग से आपका डिबेट छपाई आदि में ले लेगा। तो मेरे खयाल में तीन दिन का समय बहुत कम है और इसीलिये मैंने सात दिन का समय रखा है।

मैंने थोड़ा सा इशारा कर दिया। जब यह प्रवर समिति से लौट कर आयेगा उस समय मैं अपने सुझाव रखूंगा। अन्त में मैं एक बार फिर कहता हूं कि प्रवर समिति को इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और काफी समय हो जिसके अन्दर हम ठंडे दिल से सोच कर इसको नया रूप दे सकें और वह नया रूप ऐसा हो जो देश के लिये उपयुक्त हो।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, आज ५ बजे तक इस पर सामान्य विवाद होना चाहिये था . . . .

श्री उपाध्यक्ष--आज ४ बजे तक है। उसके बाद ऐडजर्नमेंट मोशन होगा और कल ५ बजे तक इस पर फिर विवाद जारी रहेगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--जो ठीक है।

***श्री जरगाम हैदर** (जिला बहराइच)--जनाबवाला, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने इतने अहम मसले पर अपने खयालात को पेश करने का मुझे मौका अता फरमाया है। जो बिल आपके सामने है. . . . .

श्री उपाध्यक्ष--पहले अपनी तरमीम पेश कर दें।

श्री जरगाम हैदर--मेरी तरमीम सिर्फ इतनी है कि 'तीन दिन' के लिये जो समय है उसको बढ़ा कर '१५ दिन' कर दिया जाय।

जो बिल हमारे सामने है उसके जरिये यकीनन उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में एक नई यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली जा रही है। इससे पहले हमारे देश में इस तरह की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं रही है। इस वास्ते हमारे लिये और उत्तर प्रदेश के लिये और विधान सभा के लिये यह एक बड़े फख्र की बात है कि हम उत्तर प्रदेश में इस यूनिवर्सिटी को नहीं बना रहे हैं बल्कि पूरे मुल्क को एक रोशनी दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं और सब को बतला रहे हैं कि इस तरह से देश की तरक्की हो सकती है। इसलिये इस बिल को पेश करते वक्त हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसकी मुद्दत जो यह सेलेक्ट कमेटी में पेश किया जाय, वह ३ दिन से बढ़ाकर १५ दिन कर दी जाय, इसका खास मतलब यही है।

जनाबवाला, अगर मुझे इजाजत दी जाय तो मैं अर्ज करूंगा कि इससे पहले जो हम हेस्टी लेजिस्लेशन करते रहे हैं, जल्दी-जल्दी में कानून बनाते रहे हैं, उससे इस ऐवान के विकार को अच्छा रुतबा हासिल नहीं हुआ है। आप अपने बनाये हुये कानूनों में जल्दी जल्दी तरमीम कर के अपने विकार को बुलन्द नहीं करते रहे हैं बल्कि गिराते हैं। हमारे मंत्री जी ने इस वक्त बयान किया कि क्यों यह सेलेक्ट कमेटी से तीन दिन में आजाय। उन्होंने यह इरशाद फरमाया कि हमें इसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जरगाम हैदर]

जल्दी पास करना है क्योंकि जिन जराया से रुपया फराहम होने वाला है, अगर पास करने में ताखीर हुई तो रूपया नहीं मिल सकेगा।

हमारे लिये दुश्वारी पैदा हो जाती है और इसके साथ ही साथ हमें ऐसी सूरत में डालकर मजबूर करते हैं कि हम आप की बातों पर अमल करें। यह चीज कि हम मजबूर हो कर आपके कौल पर अमल करें तो यह दानिशमन्दी का फेल नहीं है।

जनाबवाला, असेम्बली का सेशन पहले १७ नवम्बर से होने वाला था। उसको बढ़ाकर पहली दिसम्बर से कर दिया गया। आखिर यह क्यों बढ़ाया गया जब आप के सामने इतना बड़ा अहम मसला था। यह इससे पहले भी हो सकता था। इस वास्ते मेरी गुजारिश है कि जो यह तीन दिन का वकफा दिया जा रहा है वह किसी भी तरह से काफी नहीं है। अभी इसमें एक दुश्वारी और पड़ रही है कि असेम्बली के सैशन के दौरान में यह पूरा हो जायगा। मेम्बरान से यह तबक्को करना कि वह असेम्बली में भी शरीक होते रहें और इसके काम में भी दिलचस्पी लेते रहें और प्रवर समिति में भी शरीक होते रहें यह हमारे अखतियारात के ऊपर भारी एंक्रोचमेंट किया जा रहा है। हमें इतना मौका मिलना चाहिये कि हम असेम्बली के काम में दिलचस्पी लेते रहें।

इतना अर्ज करने के बाद जैसा कि उन्होंने फरमाया कि हमारा मकसद इतना ही नहीं है कि हम अपने एतराजात पेश कर दें बल्कि हम सुझाव पेश करना चाहते हैं। इस बिल के एम्स एंड आब्जेक्ट्स के आखिरी पार्ट के देखने से मालूम होता है कि --

"The proposed university will resemble the Land Grant College in the U. S. A. and comprise five colleges".

और हमारे मंत्री जी ने भी फरमाया है कि जैसे लैंड ग्रांट कालेज अमरीका में हैं हम उन्हीं की नकल कर रहे हैं और उन्हीं के मुताबिक अपने यहां युनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। हम बावजूद इसके कि अमरीका में यह १८६० से कायम हैं और जिन उसूल पर वह कायम हैं तो आज इतने साल बाद हम उनकी नकल करने जा रहे हैं तो ठीक तरह से नकल भी नहीं कर सकते हैं वह बुलन्द मकासिद जिनकी खातिर उन्होंने १८६० में लैंड ग्रांट्स कालेज कायम किये हैं, उनकी वकिग देखने के बाद, एक स्पेशल कमीशन भेजने के बावजूद जिस पर यकीनन गवर्नमेंट का बहुत पैसा खर्च हुआ होगा ठीक तरह से हम उसकी नकल भी नहीं कर सके और वह मकासिद जिनकी खातिर लैंड ग्रांट्स कालेज कायम हुए हैं इस यूनिवर्सिटी से पूरे होने वाले नहीं हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें कि जिस मकसद का खातिर लैंड ग्रांट्स कालेज कायम हुये थे और जो तकरीर उस वक्त के अमेरिकन प्रेसीडेंट ने उनका जिक्र करते हुये दी थी उस को आप के सामने पेश करूं। उस समय के प्रेसीडेंट हिल ने १८६७ में जब फाउंडेशन स्टोन रखा तो अपनी तकरीर में यह इरशाद फरमाया--

"There seems to be nothing in the will of the founder which should prevent the Institution from being an Agricultural College of the highest class, not educating farmers' sons in a knowledge of their fathers' trade . . . but an institutuion recognizing the high and difficult character of the art of husbandry which lays all the mechanical, chemical, and physical sciences, including botany and zoology, and even comparative psychology, under contribution, in order to learn how best to cultivate and improve plants and animals."

यह मकसद अमेरिका का १८६७ में था जब कि लैंड ग्रांट कालेज कायम हुये थे। मकसद यह था कि इनके जरिये जरात को बढ़ाने की तरफ कदम उठायेंगे और जरात के साथ एनिमल हस्बेंडरी, बोटनी, जूलोजी वगैरह की तरक्की की तरफ भी कदम उठायेंगे। अगर आप

मुझे इजाजत दें तो मुख्तसरिन जो मकसद हमारी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए और जो कि अमेरिका के पुराने लैंड ग्रांट कालेज से हमको मिलता है वह यह है --

"to prepare the youth through scientific education to become successful farmers".

यह हमारा मकसद होना चाहिये। जब मैं इस रोशनी में ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पर नजर डालता हूं तो निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह मकसद हमें इसमें पूरा होता नहीं मालूम होता। श्रीमन्, इस यूनिवर्सिटी बिल के पास होने से, हालां कि चाहे मिनिस्टर साहब का मकसद इन अल्फाज में हो या न हो, लेकिन नतीजा वही होगा जो लार्ड मैकाले ने अंग्रेजी पढ़ाने के लिये कहा था कि हम देश के लिये थोड़े से क्लार्क्स पैदा कर दें। इस बिल के जरिये से, जो यूनिवर्सिटी का मौजूदा पैटर्न है उस के जरिये से हो सकता है कि थोड़े से काबिल ऐग्रीकल्चरल आफिसर्स पैदा कर दें, हो सकता है कि थोड़े से लायक इंस्पेक्टर्स पैदा कर दें, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी खुल जाने के बाद हमारे यहां के लड़कों को हायर एजूकेशन के लिए और हायर ट्रेनिंग लेने के लिये अमेरिका और आस्ट्रेलिया न जाना पड़े, लेकिन जो सही मकसद है कि मुल्क के लोगों के दिल में जरात की तरफ एक ऐसा जोश पैदा कर दें, उन को कल्टीवेटर माइंडेड बना दिया जाय वह मकसद इस बिल के पास होने से पूरा होने वाला नहीं है। मैं इस सिलसिले में आपकी तवज्जह इस तरफ दिलाऊंगा, दफा ६ की तरफ दिलाऊंगा जिसमें पावर्स दी गई हैं। उसमें सब तरफ रोशनी डाली गयी है, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जह नहीं की गई है, कोई कोशिश नहीं की गयी है कि हम अवाम के दिलों में तालिबइल्मों के जरिये किस तरह से उन को इस बात का यकीन दिलाएं कि ग्रो मोर फूड कम्पेन में हमारी यूनिवर्सिटी उनकी पूरी मदद कर सकेगी। इस सिलसिले में भी आपकी तवज्जह मैं आप की इजाजत से फिर अमेरिका की तरफ ले जाऊंगा क्योंकि देखने से यही पता चलता है कि लैंड ग्रांट्स कालेजेज की बिना अमेरिका से ही पैदा हुई और उसके बाद किसी और मुल्क ने तवज्जह दी है तो डेनमार्क ने दी है। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि हमारी यूनिवर्सिटी के फंक्शंस सिर्फ डिग्री कालेजेज और लड़कों को डिग्री देने पर ही नहीं खत्म हो जाना चाहिए। बल्कि कोई ऐसा कोर्स शुरू करना चाहिए जिससे मुल्क की मदद हो। बहुत से काश्तकारों के लड़के जो आज यूनिवर्सिटियों या कलेजों में पढ़ते हैं, उनको यह एहसास हो चला है कि हमारे यहां मुलाजमों में जगहें बहुत कम हैं क्योंकि आदमी इतने ज्यादा हैं कि वे सब जगहें उनको नहीं मिल पातीं। तो वे लड़के यह अहसास करने लगे हैं कि उनको अपने वालदैन की जमीन पर काश्तकारी करनी चाहिये, लेकिन लोगों के दिलों में हमारे देश में यह खयाल पैदा हो गया है कि काश्तकारी के काम को कुछ डिगनिटी का काम नहीं समझते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के सही तरीके से अभी हमारे यहां पैदावार नहीं हो रही है। इसलिए इस यूनिवर्सिटी के जरिये से ऐसा एहसास हमें पैदा करना चाहिये जिससे काश्तकारी की तरफ हमारे दिल मबजूल हों। उसी तरह से इसको डिगनिटी का काम समझें जैसे कि किसी जमाने में इस मुल्क में यह काम समझा जाता था। इसलिये हमको यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा तरीका पैदा करना चाहिये जिसके जरिये से हम कुछ यहां पर ट्रेनिंग शुरू कर सकें और वे लड़के देहात में जाकर अपनी जमीन से ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करें। इस सिलसिले में मैं इन्साईक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के चन्द अल्फाज पढ़ना चाहता हूं--

"Other Systems—Broadly speaking and with considerable variations due to differences of national character and environment, continental systems tend to fall into the main divisions already enumerated, of two or three years at universities or agricultural colleges ; in the second place, there are short courses of a few weeks or months in the dead season, or of a year at most, at a residential institution sometimes a college, more usually a farm institute or farm school".

मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अमेरिकन पैटर्न की तरफ तवज्जह देना है और अगर आप अमेरिका के लैंड ग्रान्ट कालेज की तरह से इसको बनाना चाहते हैं तो बराये मेहरबानी उसकी इतनी नकल मत कीजिये कि आप एग्रीकल्चरल आफिसर बना सकें, एग्रीकल्चरल

[श्री जरगाम हैदर]

इन्स्पेक्टर बना सकें, बल्कि आप उस जुज़ की भी नक़ल कीजिये जिसके जरिये से हमारे देहात के उन नौजवान लड़कों को कुछ फायदा हो सके जो वाक़ई मेकेनिकल फार्मिंग सीखना चाहते हैं, जो वाक़ई एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं और जो वाकई यह चाहते हैं कि एडवान्स्ड कन्ट्री के तरीक़े पर अपने मुल्क में काश्तकारी करें। उनकी ट्रेनिंग की तरफ आपको तवज्जह करनी चाहिये। आज जो एग्रीकल्चर का तरीका है वह उसी जमाने का एक पुराना तरीका चला आ रहा है। मैं यह समझता हूं कि आप इसी तरीके के एग्रीकल्चर इन्स-पैक्टर की तरह के लोग पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इस सिलसिले में मैं यह अर्ज़ करूंगा कि इस तरफ आप को खासतौर से तवज्जह देनी चाहिये। जिस तरह से आप रिसर्च की तरफ तवज्जह दे रहे हैं वह काफी नहीं है। मेरी गुजारिश यह है कि आज भी रिसर्च होती है। हमारी यूनिवर्सिटीज में आज भी बहुत से लड़के अपनी मर्ज़ी से बहुत से सब्जेक्ट्स में डाक्टरेट के लिये रिसर्च करते हैं। जो लड़का जिस सब्जेक्ट में इन्टरेस्टेड होता है वह उसी तरफ अपनी तवज्जह करता है और उसी में अपनी डिग्री हासिल करता है, लेकिन उससे उसका अपना फायदा होता है और उसका एक ज़ाती ताल्लुक होता है, लेकिन इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एजूकेशन इस तरह का है कि जिससे सारे मुल्क पर असर पड़ेगा। इस वास्ते इसकी तरफ आप को खासतौर से तवज्जह देना है। हो सकता है कि डाक्टरेट की डिग्री लेने वाला कोई कांस्टीट्यूशन बना दे या और कोई कायदे कानून बना दे जिससे कुछ मदद मिल सके, लेकिन एग्रीकल्चर की रिसर्च वह होगी जिससे इस मुल्क के हर शख्स पर असर पड़ेगा और उसकी रिसर्च की जितनी ज्यादा जरूरत हमारे मुल्क में है उतनी किसी मुल्क में नहीं है और वह खासतौर से इसलिये कि हमारे मुल्क में जमीन बहुत है और सब से पुराना तरीका एग्रीकल्चर का हमारे हिन्दुस्तान का है। इसी वजह से यहां पर सब से कम पैदावार होती है और इस मुल्क में कम इस सूबे में होती है और इस गंगा जमुना के बीच में तो बहुत कम होती है। यह देख कर कि और मुल्कों में पैदावार ज्यादा है और हमारे मुल्क में कम है हमको शर्म आती है। हमारे मुल्क में भी हमारे सूबे में जो कम पैदावार है उसको देख कर मुल्क के सामने हमारी निगाह झुक जाती है इस वास्ते एग्रीकल्चरल रिसर्च की तरफ खास-तौर से तवज्जह होनी चाहिये। मैं इत्तफाक से ज्यादा काश्तकारी के हालात से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन जो रोजाना की दुश्वारियां हैं उनको मिसाल के तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूं। हमारे यहां का एग्रीकल्चरल सिस्टम कुछ इस प्रकार का है कि लोग एक ही वक्त में कंट्रैडिक्टरी फसलें बोते हैं और सोचते हैं कि कुदरत हमारी मदद करेगी। किसी के लिये पानी मुजिर होता है और किसी के लिये जरूरी। मसलन धान और ज्वार लोग एक ही साथ बोते हैं। पानी ज्यादा बरसे तो ज्वार को नुक्सान पहुंचता है और कम बरसे तो धान को नुक्सान होता है। यह मैं मिसाल के लिये बतला रहा हूं। तो डेलीयूज की दिक्कतों के लिये रिसर्च होनी चाहिये। अगर मैन्योर के लिये रिसर्च हो तो वह फायदेमन्द जरूर होगा, लेकिन रोजाना की जो जरूरतें हैं उनकी तरफ भी खास ध्यान देना चाहिये। इसके लिये रिसर्च में एक परमानेन्ट डिपार्टमेंट होना चाहिये। केवल फेलोशिप देने से ही काम नहीं चलेगा। जो रिसर्च में काम करने वाले हैं वे स्वयं ही उन दिक्कतों को देखें यह नहीं कि बाहरी आदमी उनकी तवज्जह दिलायें और तब काम हो। रिसर्च करने वालों का फर्ज़ होना चाहिये कि वे ही उस तरफ तवज्जह दें। मिसाल के लिये ड्रग इंस्टीट्यूट है। इसी तरह का कोई इंस्टीट्यूट हमें कायम करना चाहिये और उसमें लोगों को इसी मकसद के लिये रखा जाय कि वे रिसर्च करें। हम को इसका मोहताज नहीं होना चाहिये कि कोई लड़का आये और कहे कि हम धान पर रिसर्च करेंगे या दूसरा कहे कि हम गेहूं पर रिसर्च करेंगे। इसके लिये हमारा एक परमानेन्ट डिपार्टमेंट हो और वह रिसर्च करे और जो प्राबलम्स हमारे प्रदेश में हों उनके लिये काम करें।

लेकिन रिसर्च करने से ही हमारा काम नहीं चलेगा। इसके लिये जैसा मैंने कहा कि हमें जैसे किसी लड़के ने पोलिटिकल साइन्स में या इकोनामिक्स में रिसर्च किया, तो जरूरी नहीं है कि

उसकी रिसर्च को गांव-गांव में पहुंचाया जाय। वह किताबों में छप जायगी और लोग उस को पढ़ लेंगे। लेकिन इस मामले में जरूरी है कि जो रिसर्च हो उसे गांव गांव तक पहुंचाया जाय। इसके लिये हमें कोई तरीका इवाल्व करना पड़ेगा। केवल किताब में छापने से ही हमारा काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको यूनिवर्सिटी के फंक्शन्स में होना चाहिये कि वह रिसर्च को सारे देश और प्रदेश में फैलाने की तरफ तवज्जेह करें। अगर यह काम नहीं होता तो हमारा मकसद पूरा नहीं होता और जो आपका अमरीकन इंस्टीट्यूशन है, जिसकी तरफ ऐक्ट में इशारा किया गया है उसमें एक एक्सटेंशन डाइरेक्टोरेट खासतौर से इसी काम के लिये कायम किया गया है और हमारे ऐक्ट की सेक्शन १८ और २० उसी के लिये है। लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि इसकी तरफ हमारी खास तवज्जेह होनी चाहिये।

आपने इसमें एक डिपार्टमेंट कायम कर दिया है स्टूडेंट्स वेलफेयर का और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ऐसा लगता है कि आप कुछ इस यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर आफिसर पैदा करना चाहते हैं। इसकी सेक्शन १५ इस तरह पर है कि:

15. ".....The Dean of Student Welfare shall have the following duties :

(i) to make arrangements for the housing of students ;
(ii) to direct a programme of student counselling ;
(iii) to arrange for employment of students in accordance with plans approved by the Vice-Chancellor ;
(iv) to supervise the extra-curricular activities and needs of students ;
(v) to assist in the placement of graduates who leave the University; and
(vi) to organize and maintain contact with the alumni of the University".

तो मेरी गुजारिश यह है कि यह जो आप ने स्टूडेंट वेलफेयर सेक्शन खोला है गोया कि उसका काम यह होगा जो फर्ज कि हर जिले में एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज का होता है। आपकी इस यूनिवर्सिटी के निकले लड़को को यह फैकल्टी एम्प्लाय कराने की कोशिश करेगी और एक प्रकार से इसी यूनिवर्सिटी में वहां के लड़कों के लिये इस फैकल्टी के जरिये आपने उनके लिये एक अलाहिदा एम्प्लायमेंट एक्सचेंज खोल दिया है। क्या आप समझते हैं कि इस एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को कायम कर के इस प्रदेश की और इस देश की सेवा किसी खास तरीके से कर सकेंगे सिवाय इसके कि महज़ थोड़े से लड़कों को आप इस यूनिवर्सिटी में तालीम दिला दें? सिवाय इसके मेरे खयाल में आप और कोई नुमायां काम इसके जरिये से हासिल न कर सकेंगे। बजाय इसके कि उन लड़कों की मुलाज़िमत का इन्तजाम इस फैकल्टी के जरिये से करें आप को उनके लिये जमीन का इन्तज़ाम करना चाहिये ताकि वे अपने माडिल फार्म्स बना सकें और अपने देश और जिलों के लोगों को यह बतला सकें कि इस तरीके से खेती करने से तरक्की हो सकती है और लोगों की इस तरह से मदद की जा सकती है।

इसीके साथ ही लैंड टेन्योर सिस्टम भी सख्ती के साथ बाबस्ता है। इस वक्त सीलिंग का सवाल भी हमारे सामने है, कोआपरेटिव फार्मिंग का सवाल भी हमारे सामने है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो इस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। इस यूनिवर्सिटी का एम सिर्फ यही नहीं होना चाहिये कि वह लड़कों को पढ़ाये बल्कि ऐग्रीकल्चर के मामलात में जो भी एडवाइस की गवर्नमेंट को ज़रूरत हो या ज़िलों के और मुहकमों को ज़रूरत हो वह उनको ऐडवाइस करें।

आपने यूनिवर्सिटी का जो कम्पोजीशन बनाया है उसके बारे में भी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो कौंसिल्स आपने बनायी हैं, उनके बारे में मेरी गुजारिश यह है कि आपने लिखा है कि लेजिस्लेटिव असेम्बली और लेजिस्लेटिव कौंसिल के तीन सदस्य होंगे। यह रिप्रेजेन्टेशन बहुत कम है। मेरी राय में विधान सभा और विधान परिषद् के कम से कम ५ नुमायंदे होने लाजिमी

[श्री जरगाम हैदर]

हैं। इसके अलावा अंतरिम जिला परिषदें जो कुछ दिनों में इलेक्टेड बाडीज होने वाली हैं और जिनका वहां के लोगों से बेहतर कंटैक्ट होगा, वह पब्लिक से एग्रीकल्चर के मामले में ज्यादा करीब होंगे, उनके बारे में मेरी गुजारिश है कि हर डिवीजन में अन्तरिम जिला परिषद् का एक नुमाइंदा होना चाहिये। इसके अलावा कुछ ऐसे आदमी भी होते हैं जो कि मुख्तलिफ चुनावों से अलग रहते हैं, लेकिन जिनके बारे में यह समझा जाता है कि वे ऐग्रीकल्चर के काम के हो सकते हैं, उनको कोआप्ट करने की पावर्स भी होनी चाहिये। ऐसे लोग हमारी यूनिवर्सिटी और कृषि के कामों में हमारे मददगार हो सकते हैं?

ये सब सुझाव मैंने मुख्तसरन दे दिये हैं और मुझे यकीन है कि जिस बुलन्द मकसद को लेकर इस बिल को इस ऐवान में पेश किया गया है, जो उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में एक नयी यूनिवर्सिटी है और एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, इसमें शुबहा नहीं है लेकिन मैंने जो सुझाव पेश किये हैं वे आप के मकसद में इम्दाद करेंगे और जो एक्सपर्ट्स आपने अमेरिका भेजे हैं, अगर उनका मशविरा भी आप लेंगे तो भी आप को यही मालूम होगा कि जो सुझाव मैंने पेश किये हैं आपके उस बुलन्द मकसद को पूरी पूरी तकवियत उनसे हासिल होगी आप इत्मीनान कर लें और उसके बाद मिनिस्टर साहब इसको हाउस के सामने लावें। इस बात से मैं मुतफिक नहीं हूं कि बाद में तरमीम आ जायेगी। आये दिन तरमीमात आने से इंटेलिजेंसिया को सख्त सदमा पहुंचता है और उसका कोई क्लियर पिक्चर सामने नहीं आ पाता। इन सब सुझावों के साथ मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मिनिस्टर साहब १५ दिन तक इत्मीनान के साथ इस पर विचार कर लें और फिर उस को इस ऐवान के सामने लावें तो बेहतर होगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक पर अपने छोटे मोटे विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। सन् १९४८ में डाक्टर राधाकृष्णन् यूनिवर्सिटी कमेटी की एक रिपोर्ट निकली थी जिसमें इस बात की कल्पना की गयी थी कि इस देश में रूरल यूनिवर्सिटी के नाम से एक ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। उसमें यह कलपना की गई थी कि हिन्दुस्तान गांवों का देश है और गांवों की समस्या, खेतिहरों की समस्या इस देश के ८०, ९० प्रतिशत लोगों की समस्या है जो कि गांव में निवास करते हैं। इसलिये डाक्टर राधाकृष्णन् ने अनेक सुझावों के साथ इस बात की कल्पना की थी कि एक ऐसा ग्रामीण विश्वविद्यालय बनाया जायगा जिसमें ग्रामीणों की समस्या---जो आज गांवों की तरफ से उदासीन होकर शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो अच्छे-अच्छे विद्वान हैं वे शहरों में रहने के ही इच्छुक हो रहे हैं, जिससे ८०, ९० फीसदी लोगों का कल्याण नहीं होगा और योग्यतम व्यक्ति शहरों में ही चले आवेंगे, इस समस्या को भी हल करना है। डाक्टर राधाकृष्णन् ने यह कल्पना इसलिये की थी जिससे देश को लाभ मिले। और साथ ही साथ जब गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात चली तो उस समय ग्रामीण विश्वविद्यालय की चर्चा बड़े जोरों से चल रही थी। देश के कोने-कोने में इस बात की चर्चा हुई कि इस तरह का ग्रामीण विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में बनाया जायगा जो एक्सपेरिमेंट के तरीके पर होगा। श्रीमन्, हमारे यहां आज जो शिक्षा चल रही है वह विदेशियों की ही देन है जो अपने कर्मचारियों के उपयुक्त ही शिक्षा दिलाते थे। आज इस देश की समस्याओं का समाधान इन यूनिवर्सिटियों द्वारा कोई नहीं किया जाता है। विश्वविद्यालय के स्टेज पर इसकी कल्पना तो की जाती है कि ऊंची शिक्षा हो, लेकिन राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर गांवों की समस्या का हल निकालने के लिये ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय तो यह स्वाभाविक ही है। आज कृषि समस्या को हल करने के लिये, खाद्यान्न को हासिल करने के लिये ऐसे विश्वविद्यालय का होना जरूरी है जिससे देश का कल्याण हो सके। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे यहां के लोग जो अपने को एक्सपर्ट कहते हैं वे किसी योजना को ठीक-ठीक कार्यरूप में पारित नहीं करते, कोई नक्शा उनके सामने नहीं होता। श्रीमन्, कहने के लिये नाम तो कृषि-विश्वविद्यालय हो और वहां का वातावरण शहरी हो तो उसके कोई लाभ नहीं होने वाला है।

शिक्षा-शास्त्रियों के सामने ग्रामीण विश्वविद्यालय की कोई रूपरेखा न हो तो उस समस्या का समाधान ठीक से नहीं हो पाता। साथ ही उससे हमारे ग्रामों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। कृषि मन्त्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करता हूं कि जब उन्होंने कृषि-विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए अमेरिका के लैंड ग्रान्ट कालेज के नमूने को उद्धरित किया है तो मुझे उम्मीद है कि उसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को सामने रख कर कृषि की उन्नति हो सकेगी और इस देश व प्रान्त के धन का उपयोग हो सकेगा।

श्रीमन्, इस विधेयक में मैंने धारा १७ के अन्तर्गत फैकल्टीज की चर्चा देखी है। इस विश्वविद्यालय में कृषि की फैकल्टी के अलावा और भी फैकल्टीज होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के अलावा इस विश्वविद्यालय में कामर्स तथा आर्ट्स की फैकल्टीज भी हो सकती हैं। इस प्रकार पहले जो कृषि को प्राथमिकता देने की बात थी और फैकल्टीज को लाकर उसे खत्म किया जा रहा है और यह विश्वविद्यालय भी इलाहाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर विश्वविद्यालय की शक्ल में हो जायगा और इससे हमारी जो भावना है या राधाकृष्णन् कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार एक कृषि-विश्वविद्यालय की स्थापना की जो सिफारिश है वह खत्म हो जाती है। इस प्रकार इस प्रदेश में बहुत कुछ खेती का उपकार नहीं हो सकेगा और न उद्देश्य की सिद्धि ही हो सकेगी।

कृषि कालेजेज के सम्बन्ध में मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। जिन्होंने वहां शिक्षा प्राप्त की है और जो लोग डाक्टर आफ एग्रीकल्चर हैं या एम० एस-सी० हैं कानपुर कृषि कालेज से, मैं नहीं जानता कि उन्होंने अपने प्रदेश की खाद्य समस्या को हल करने में कहां तक उपयोगी कार्य किया है। वे कृषि के सम्बन्ध में कोई समस्या हल नहीं कर पाये हैं। इस विश्वविद्यालय में भी ५ टेक्निकल महाविद्यालय होंगे, लेकिन किस प्रकार हमारे प्रदेश की खाद्य समस्या हल हो सकेगी इसका कोई ठीक नक्शा विधेयक में नहीं है। मुमकिन है कुछ और विशेष रूपरेखा आये। मुझे तो ऐसी शंका होती है जैसे हमारे प्रदेश में और विश्वविद्यालय हैं उसी प्रकार से उनमें एक और बढ़ती होने जा रही है, नाम तो रहेगा कृषि कालेज, लेकिन उससे उत्तर प्रदेश की कृषि समस्या का हल नहीं हो सकेगा, यह शंका उत्पन्न हो रही है।

हमारे प्रदेश में ६०,००० होल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें ५ एकड़ से कम जमीन है। ऐसी समस्यायें हल होनी चाहिये जिनमें थोड़ी जमीन में ज्यादा पैदावार हो सके। इसके अतिरिक्त हर एक परिवार में जो अधिकांश कृषक हैं और खेती के लिये उनके पास काम नहीं है तो उनको कुछ कृषि के अलावा अन्य काम सिखलाया जा सके और साथ ही थोड़ी जमीन में अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाई जा सके इसकी भी व्यवस्था इस विधेयक में होनी चाहिये।

हमारे देश की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। करोड़ों रुपया देश से बाहर अन्न मंगाने हेतु चला जाता है। उत्तर प्रदेश में साधारण स्थिति को छोड़ कर अगर कहीं बाढ़ आ गई, अधिक वर्षा हो गई या कोई विशेष परिस्थिति पैदा हुई तो पूरा प्रदेश अभावग्रस्त हो जाता है और अन्य देशों से या देश के अन्य प्रदेशों से करोड़ों रुपये का अन्न मांगना होता है। वार के बाद राशनिंग और राशनिंग के बाद सन् १९५२ से अब तक इस प्रदेश की अन्न समस्या हल नहीं हो पाई और प्रदेश का बहुत सा धन खाद्यान्नों को खरीदने में व दूकानों को चलाने में खर्च हो जाता है। माननीय मन्त्री जी का इस कालेज को खोल कर मुझे ऐसा प्रतीत होता है उनका ऐसा उद्देश्य है कि जितना धन बाहर से अन्न मंगाने में खर्च होता है उसका कुछ अंश हम ऐसे विश्वविद्यालय को खोलने में लगा दें जिससे किसानों की समस्या हल हो सके। जमीन का सर्वे व रिसर्च करा कर और कृषि की जितनी समस्यायें हैं उनका बड़े विस्तार से अनुसंधान करके गांव-गांव में पहुंचायेंगे जिससे कृषकों को नवीनतम ज्ञान हो और वह उत्पादन बढ़ा सकें और सुखी हो सकें। आजकल कृषक इसलिये खेती करते हैं कि उनके पास और कोई काम नहीं है। वे यह सोचते हैं कि उनके पास अगर और कोई काम हो तो खेती करना छोड़ दें। कृषकों के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पाते हैं, खेती को ऐज ए प्रोफेशन नहीं करते हैं। जब कि अमेरिका में जो कृषक हैं वह ऐज ए प्रोफेशन उसको करते हैं और अधिक से अधिक आमदनी उससे बढ़ाते हैं लेकिन हमारे यहां खेती

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

मजबूरन करनी पड़ती है। गेहूं को बोते हैं, जब तैयार होती हैं फसल तो गेहूं खुद खाते हैं और भूसा जानवरों को खिला देते हैं, लेकिन उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ कोई तवज्जह नहीं देते कि उनका किस तरह से प्रयोग करें। आर्थिक दृष्टि से हमारे पास उसका कोई मूल्य नहीं है। तो जैसे अमरीका में शुरू से ले कर आखीर तक उसके प्रत्येक अंग का उपयोग करते हैं.....

श्री मोहनलाल गौतम--सब लिखा हुआ है इसमें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--अगर लिखा है तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं कह रहा था कि उसके प्रत्येक अंग को प्रयोग में लायें और कृषि को व्यापार मान कर उसमें अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ायें। इससे मैं समझता हूं कि देश का कल्याण होगा और जिस उद्देश्य से विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है वह भी पूर्ण होगा।

अब मैं इसकी दो धाराओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सेक्शन ४ की तरफ देखा जाय।

4. "The University shall be deemed to have been established and incorporated for the purposes, among others of—

(*a*) making provision for the education of the rural people of Uttar Pradesh in different branches".

"डिफरेंट ब्रान्चेज" से क्या मतलब है? मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा। क्या उसमें आर्ट्स, कामर्स इत्यादि भी है या और कुछ भी है? अगर ऐसा है तो इस विश्वविद्यालय को ऐक्सक्लूसिवली कृषि के लिये रखना चाहिये। नहीं तो प्रदेश के और विश्वविद्यालयों में और इसमें कोई अन्तर नहीं रहेगा और हमारा उद्देश्य भी पूर्ण नहीं होगा। साथ ही जो स्नातक इसमें से निकलेंगे वे बेकारों की संख्या ही बढ़ायेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस कानून में ढिलाई नहीं होनी चाहिये। केवल कृषि के लिये या कृषि से सम्बन्धित विषयों को इसमें रखना चाहिये।

अब धारा ६ में लिखा हुआ है:

6. "The University shall have the following powers:

(1) to provide for instruction in agriculture, rural industry and business and allied sciences and in such other branches of learning as the University may think fit:"

तो इस तरह से इसमें भी ऐसा मालूम होता है कि कुछ ढिलाई सी प्राविधान में रखी गई है जिस से उसमें आर्ट्स और कामर्स आदि के विषय भी बढ़ाये जा सकें। इसलिये मैंने आपके द्वारा मन्त्री जी का ध्यान दिलाया कि स्पष्ट रूप से लिखें कि कृषि के अलावा वहां और कोई विषय न होंगे। धारा १७ में भी लिखा है कि कृषि के अलावा और भी फैकल्टीज रखी जा सकेंगी। इस से मुझे ऐसा लगा कि इस में यह संकल्प नहीं है कि कृषि के अलावा और विषय नहीं रखे जायेंगे इसलिये मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इस में ऐसा संकल्प रखें कि केवल कृषि सम्बन्धित विषय ही वहां आ सकेंगे और विषय नहीं आने दिये जायेंगे और मैं समझता हूं कि तब ही हमारा वह लक्ष्य पूरा हो सकेगा। हमारे यहां जो बड़े-बड़े सरकारी फार्म्स हैं उनमें स्नातकों के काम करने की व्यवस्था भी होनी चाहिये जैसे रूस में है कि वह वर्कर की तरह से ३ दिन खेत में काम करेंगे और ३ दिन विश्वविद्यालय में शिक्षा लेंगे, वह वर्कर भी होते हैं और साथ ही स्नातक भी होते हैं। एक स्नातक को एक अच्छा वर्कर भी होना चाहिये और एक्सपेरिमेंट का भी अवसर उसको मिलना चाहिये। इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट्स की बात उत्तम है, उन की जरूरत भी है, सेक्शन १७ में लिखा है कि कृषि प्रयोग स्टेशन भी बनेंगे, यह बहुत अच्छा है और जिस तरह से अन्य देशों में शिक्षकों को सुविधायें हैं और वहां उनको मोटर आदि तक देते हैं और उन से एक्सपेरिमेन्ट्स में बड़ी सुविधा

होती है वह भी दी जा सकें तो दी जाये, जर्मनी में तो विश्वविद्यालय के सारे अच्छे से अच्छे काम उनके द्वारा ही कराये जाते हैं और उनका समाज में बड़ा आदर किया जाता है। मैं तो चाहता हूं कि इन कृषि प्रयोग स्टेशनों के अन्डर में कुछ सब-स्टेशनों का भी निर्माण किया जाय, ताकि प्रदेश के हर अंचल में उन का एक जाल सा हो जाय और वह छोटे स्टेशन बड़े स्टेशनों से सम्बन्धित हों जहां रिसर्च आदि का काम हो और खाद्य की समस्याओं का हल निकल सके। इस से देश का और यहां के किसानों का बड़ा हित होगा।

एक व्यवस्था गांव के लोगों में प्रचार करने की भी इस में की गई है, उस के द्वारा सिखाया जायगा गांवों में कि किस तरह से खेती की जाय, सामूहिक रूप से विज्ञान के स्तर पर किस तरह से खेती हो सकती है। इस से भी मालूम होता है कि काफी सुधार हो सकेगा।

इस के सेक्शन १८-१९ को जब मैंने देखा तो हमारे सामने बड़े बड़े स्वप्न आ रहे हैं। आज हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था की बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा टीका-टिप्पणी होती है और बड़े-बड़े शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था लक्ष्यविहीन है और वह छात्रों के और देश के अनुकूल नहीं है। इसलिये आवश्यकता यह है कि हम आज अपनी शिक्षा को देश की आवश्यकता के अनुरूप बनायें।

अन्त में मैं एक बात की ओर आपका ध्यान और दिलाऊंगा और वह यह है कि इस में कृषि कालेज की बात रखी गई है और वह यह है कि इस में आप ने जो बोर्ड बनाया है उस में डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज का कहीं भी जिक्र नहीं है। कृषि में बहुत से विषय ऐसे हैं कि जिन का सम्बन्ध उन से आता है, कृषि से उत्पादित वस्तुओं का कैसे प्रयोग हो, कैसे उन को काम में लाया जाय, कैसे उस से बने सामान का बाजार में क्रयविक्रय हो सके और उस उद्योग को दूसरे उद्योगों के साथ साथ कैसे मिलाया जा सके। इसलिये डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज को भी उस में रखा जाय शायद भूल से या किसी कारण से उन को नहीं रखा गया है। मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा जानना चाहूंगा कि डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज की चर्चा क्यों नहीं है और अगर नहीं है तो होनी चाहिये और नहीं होनी चाहिये तो क्यों नहीं होनी चाहिये, यह वह स्पष्ट बतला दें। यह मेरी जिज्ञासा है।

साथ ही श्रीमन्, अन्त में जो एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स हैं उसमें जो ५ तरह के कालेज बताये गये हैं—ऐग्रीकल्चरल कालेज, कालेज आफ ऐनीमल हस्बेंडरी, कालेज आफ ऐग्रीकल्चरल टेक्नोलाजी, कालेज आफ होम साइंस और कालेज आफ साइंस—इन ५ कालेजेज को कहते हैं कि हम इकट्ठे रख कर के एक स्थान पर उच्च शिक्षा का समावेश करेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह जो डाक्टर राधाकृष्णन् की चर्चा की है, क्या उन्होंने यह कहा था कि प्रदेश में एक कालेज के जरिये से सारे देश की समस्या हल हो जायगी और उसी को केन्द्र मान कर जो विभिन्न कृषि कालेज हैं उनको विशेष तरीके से देखेंगे और छोटी-छोटी कृषि समस्याओं को हल करने की बात सोचेंगे? ऐसी बात है या नहीं? अगर नहीं है तो मैं जानना चाहूंगा कि एक कालेज जो तराई में खोल रहे हैं उससे ही विभिन्न क्षेत्रों में कृषि की जो समस्यायें हैं, तरह-तरह की भूमि हैं उनका विशेष समाधान कर सकेंगे या नहीं?

साथ ही यह देखने की बात है कि इसके स्नातकों को क्या सुविधा दी जायेगी, उनका क्या स्तर होगा और अन्य विश्वविद्यालयों के स्नातकों का क्या स्तर होगा। अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ या बनारस का ग्रेजुएट या पोस्ट-ग्रेजुएट जिस स्तर पर माना जाता है उसी स्तर पर आपका ग्रेजुएट माना जाता है तो उस पर कौन पढ़ने जायगा, ये सब बातें स्पष्ट रूप से आनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। समय की ऐसी बात नहीं है थोड़े समय में भी ज्यादा काम हो सकता है और अच्छा हो सकता है और बहुत दिनों काम करते रहने पर भी काम नहीं हो सकता। राधाकृष्णन् कमेटी की रिपोर्ट १९४८ में निकली, १० वर्ष हो गये? शिक्षा शास्त्रियों ने एक लेटेस्ट यूनिवर्सिटी जो गोरखपुर की थी उसमें कौनसी कल्पना विश्वविद्यालय की की है, तो इन बातों का ध्यान करके शिक्षा शास्त्रियों के परामर्श से कम से कम समय में अच्छा और कल्याणकारी काम हो सके, ऐसी कोशिश होनी चाहिये। यह समय जो ३ दिन

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

का रखा गया यह बहुत काफी समय है । इन शब्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूं और उस पक्ष के माननीय सदस्यों को चैलेंज करता हूं कि यह जो हमारी उत्तम भावना है, हमने जो कृषि समस्या को हल करने के लिये संकल्प किये हैं उसमें तो रुकावट नहीं होनी चाहिये और कम से कम समय में पूरा-पूरा सहयोग मिलना चाहिये ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सन्मुख कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक जो प्रस्तुत है उसमें माननीय जरगाम हैदर साहब ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि बजाय ३ दिन के प्रवर समिति का समय १५ दिन के लिये बढ़ा दिया जाय । मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

३ दिन के समय की मांग करते हुए आदरणीय कृषि मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि हमें अधिक से अधिक यह विधेयक १५ दिन के अन्दर पारित कर देना चाहिये क्योंकि उन संस्थाओं का कैलेंडर ईयर ३१ दिसम्बर को समाप्त हो जायगा जिनसे कृषि विश्वविद्यालय के स्थापित करने में आर्थिक सहयोग मिलेगा । यदि हमने इसे पारित करने में देर कर दी तो हो सकता है कि अन्य प्रदेश जो अपने यहां कृषि-विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये प्रयत्न शील हैं यह रुपया उनको दे दिया जाय और फिर हमारे प्रदेश में यह विश्वविद्यालय न खुल सके । ये शब्द उस पार्टी के एक महान् नेता के हैं जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री भी रह चुके हैं। पता नहीं कि यह प्रान्तीयता की लहर उनके दिमाग में किस तरह से आ गयी । जिस उत्तर प्रदेश को भारत की १८ यूनिवर्सिटीज में से ८ यूनिवर्सिटियां चलाने का सौभाग्य प्राप्त है आज उस उत्तर प्रदेश के लिये एक नवीं यूनिवर्सिटी की आवश्यकता और प्रतीत हो रही है । यदि दुर्भाग्य या सौभाग्य से यह यूनिवर्सिटी किसी दूसरे प्रदेश में खुल गई तो न मालूम क्या अनर्थ हो जायगा इस पर वाद विवाद का यह समय नहीं है । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी को कृषि विश्वविद्यालय के नाम पर १ करोड़ ८५ लाख पये लेने का एक लालच सदन के सामने प्रस्तुत करना पड़ा है । लेकिन क्या कृषि मन्त्री को यह पता है कि उनके प्रदेश में इतने धन से अधिक धन कृषि यूनिवर्सिटी खोलने के लिये आगरा जिले में व्यय हो चुका है परन्तु कृषि विश्वविद्यालय चालू करते समय अब वह आगरे की जगह नैनीताल जिले में चालू होगा । इसलिये अब तक वहां जो धन व्यय हुआ है अब उस धन का क्या होगा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ? जब से यह राधाकृष्णन् कमेटी बनी थी आगरे के बलवन्त राजपूत कालेज को कृषि यूनिवर्सिटी या दीपनारायणमणि जी जिसे विलेज यूनिवर्सिटी कहते हैं इसमें परिवर्तित करने का आदेश हुआ और आगरे से कुछ मील दूर बिचपुरी गांव के आस पास हजारों किसानों की जमीन को उस यूनिवर्सिटी को कायम करने के लिये हस्तगत कर लिया गया । किसानों का आन्दोलन चला लाठियां चलीं, जबरन जमीन छीन ली गयी और लाखों रुपये भारत सरकार द्वारा अब तक बलवन्त राजपूत कालेज को यूनिवर्सिटी कायम करने के लिये भवन आदि के निर्माण हेतु दिये गये हैं । लेकिन आज जब इस प्रदेश में कृषि यूनिवर्सिटी कायम करने के लिये एक विधेयक आया तो वह यूनिवर्सिटी आगरा जिले के बिचपुरी गांव में न स्थापित करके नैनीताल के तराई इलाके में स्थापित की जा रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि भविष्य के पये को हड़पने के लिये तो आप इतने प्रयत्नशील हैं कि प्रवर समिति को केवल तीन दिन ही विचाराणार्थ देना चाहते हैं लेकिन उस पये से अधिक धन जो बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा द्वारा कृषि विश्वविद्यालय चालू करने के लिये खर्च हो चुका है, जिसका भवन तथा फार्म भी बन चुका है उसका क्या भाग्य होगा कृषि मन्त्री जी बतलाने की कृपा करें ।

मैं इसके सामने एक और बात कहना चाहता हूं । इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखा है--

"भारत सरकार द्वारा १९४८ ई० में डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् के सभापतित्व में संघटित किये गये विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग ने अन्य बातों के साथ साथ देश में कृषि-विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी । भारत सरकार ने इस सुझाव को मान

लिया तथा अमेरिका और भारत की कृषि संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने और भारत में इन संस्थाओं की उन्नति करने के लिये उपायों का सुझाव देने के निमित्त सन् १९५४ में एक संयुक्त भारत अमेरिकी मंडल की नियुक्ति की। इस मन्डल ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया तथा अपने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ जिला नैनीताल के तराई स्टेट फार्म में एक कृषि-विश्वविद्यालय की स्थापना करने की सिफारिश की। इन सिफारिशों का अनुसरण करके तराई में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है जिस का केंद्र स्थल स्टेटफार्म होगा। प्रस्तावित विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के लैन्ड ग्रांट कालेज के सदृश होगा।"

मैं यह पूछना चाहता हूं कि १९४८ की कमेटी, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक यह कृषि-विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना चली, ठीक १० वर्ष बाद आज १९५८ के अंतिम समय में यह विधेयक आ रहा है। ठीक १० वर्ष के बाद कृषि-विश्वविद्यालय की एक रूपरेखा रखी गई है जिसके संबंध में मंत्री जी ने फरमाया है कि अभी जल्दी में इसको पास करना है। आवश्यक संशोधन बाद में किये जा सकते हैं। ठीक है, आप करें। लेकिन आपको यह भी पता है कि इन १० वर्षों में विश्व में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो चुके हैं। अभी भारत सरकार के कृषि मंत्री चीन का दौरा करके आये हैं १७ नवम्बर से पार्लियामेंट का वर्तमान सेशन शुरू हुआ है। उन्होंने वहां चीन की खेती के बारे में कुछ बातें बताई हैं और बताया कि चीन ने आश्चर्य-जनक प्रगति की है। वहां एक स्क्वायर फीट में ५ पौंड चावल पैदा करते हैं। चीन देश जो पहले दूसरों पर अपने खाद्यान के लिये आश्रित रहता था आज वहां यह नारा बुलन्द है कि "खूब पैदा करो और खूब खाओ"। चीन में बड़े बड़े खेत नहीं हैं। ५ गज से लेकर १४ गज के खेत बनाये जा रहे हैं जहां आदमी अपनी मेहनत से खेती में आश्चर्यजनक तरक्की करके मशीनों को परास्त कर रहा है। लेकिन यहां पर अमरीका के कालेजों के ढंग पर ही अब कृषि-विश्वविद्यालय स्थापित होगा। जहां मशीनों द्वारा खेती करना पढ़ाया या सिखाया जायगा।

अभी २५--२६ सितम्बर को इस विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसके द्वारा हमारे प्रदेश में ३० एकड़ से जोत की सीमा घटाकर साढ़े बारह एकड़ कर दी गई और पता नहीं कि कल कितना निश्चय करना पड़े। जब कि छोटे-छोटे प्लाट्स में खेती करने के नियम बनाये जा रहे हैं और जोत की अधिकतम सीमा कम करते जा रहे हैं। ऐसी हालत में मैं यह पूछना चाहता हूं कि कृषि-विश्वविद्यालय में शिक्षा पाये हुये विद्यार्थियों से खेती कौन करायेगा। यह तो बिल्कुल वही बात हुई कि किसानों को हवाई जहाज चलाने की शिक्षा दे दी तो जाय परन्तु उसके पास हवाई जहाज नहीं होगा तो उस शिक्षा से उसे क्या लाभ होगा? इसी तरह से जब किसान के पास मशीनें नहीं होंगी तो वह कैसे इन विद्यार्थियों के अनुभव से लाभ उठायेंगे। आज हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है कि छोटी छोटी जमीन पर खेती करके अधिक से अधिक अन्न पैदा कर सकें। मैं समझता हूं कि यदि हम चीन की प्रणाली को अपनायें तो अधिक लाभ हो सकता है।

श्रीमन्, आज हम अमरीका की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी ३,४ अक्तूबर को लखनऊ में असिस्टेंट ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स का सेलेक्शन हुआ था। उसमें डेवलपमेंट कमिश्नर, डायरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर तथा मैं स्वयं सदस्य थे। हमने एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों ग्रेजुएट्स को जो इंटरव्यू में आये थे उनसे पूछताछ की और उनकी योग्यता को परखने पर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बताया था कि उनके पास जमीन है लेकिन वह स्वयं खेती नहीं करते हैं। एक साधारण सा सवाल पूछा गया। अगर आपको शक हो तो डायरेक्टर साहब से पूछ लीजिये। मैंने पूछा कि आपके यहां कौन सा हल प्रयोग किया जाता है तो उन्होंने जवाब किया कि देशी हल का प्रयोग करते हैं। हमने पूछा कि जो तुमको दूसरे प्रकार के हल बताये गये हैं उनका प्रयोग क्यों नहीं करते हो तो उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादे कहते हैं कि देशी हल ही ज्यादा अच्छा है। इससे अच्छा और कोई हल नहीं हो सकता है। मैं आपके सामने बी० एस-सी०, ए० जी०, पासशुदा ग्रेजुएट्स की बात रख रहा हूं।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

उनमें से एक भी ग्रेजुएट ऐसा नहीं था जिसके पास कृषि योग्य भूमि न हो, लेकिन वह खेती नहीं करना चाहता था। एक भी ऐसा नहीं था जिसने अपने खेत में देशी हल की जगह कोई दूसरी इम्प्रूव्ड क्वालिटी का हल जो शिक्षा के दौरान में उन्हें बताया गया था उससे खेती करके अपने घर वालों को बताया हो।

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, आपको एक आश्चर्य की बात और बताऊं कि सरकार के पास लखावटी, कानपुर और आगरा आदि जगहों के कालेजों के प्रिंसिपल्स की रिपोर्ट हैं कि जो खरीफ आन्दोलन चला उसमें विद्यार्थियों ने कितना भाग किया, लेकिन आप डेवलपमेंट कमिश्नर या डायरेक्टर से पूछ लीजिये कि इंटरव्यू में आने वाले इन कालेजों के ग्रेजुएट्स में से एक भी यह नहीं बता सका कि खरीफ आन्दोलन किस चिड़िया का नाम है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि कल आप अपना भाषण जारी रखें।

हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर वाद-विवाद होगा। उसमें नियम यह है कि:--

"No speech during such debate shall exceed 15 minutes in duration except with the permission of the Speaker".

त्रिलोकी सिंह जी भाषण देंगे। तो आप कितना समय लेंगे?

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--मैं मान्यवर, शुरू में १२ मिनट लेना चाहता हूं। इससे ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा और यदि आप की आज्ञा हो तो मैं यह भी निवेदन करूं कि यह विषय ऐसा है जिसमें बहुत से माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं। यह भी मालूम हुआ कि मिनिस्टर साहब ४० मिनट लेना चाहते हैं और वह इस बात पर तैयार हैं कि उस पक्ष का उनके अलावा और कोई नहीं बोलेगा। तब मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे लिये १२ मिनट का समय मिनिस्टर साहब के लिये ४० मिनट का समय लेकिन शर्त वही है ...

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अगर वह ३० मिनट में खत्म कर दें तो ज्यादा अच्छा है और उनकी पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति और बोल लें।

श्री त्रिलोकीसिंह--अन्य सदस्यों के लिये १२ मिनट का समय रखा जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मान्यवर, अगर उस पक्ष को आप ४० मिनट दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--नियम में यह दिया हुआ है कि एक भाषण देने वाले को अधिक से अधिक १५ मिनट मिल सकते हैं। लेकिन तीन चार बोलें तो ४५ मिनट और ६० मिनट हो सकते हैं।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मुझे आधे घंटे में कोई आपत्ति नहीं है। आध घंटे में समाप्त करने की चेष्टा करूंगा। मैं चाहता था कि विस्तार से बातें रखूं। लेकिन मैं उसमें कोई इस तरह की शर्त नहीं लगा सकता कि इधर से कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई बोलना चाहेगा तो बोलेगा। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं बोलेगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, हमारा आप खयाल कीजियेगा।

श्री अध्यक्ष---आप १५ मिनट चाहते हैं?

श्री राजनारायण—अगर माननीय कमलापति को आप आध घंटा दें तो हम को भी उतना ही समय मिलना चाहिए उनसे कम जानकारी हमारी नहीं है । हम अपनी हैसियत जानते हैं। हम अपनी हैसियत किसी भी मिनिस्टर से ज्यादा समझते हैं । वह भोगी हो गये हैं, हम त्यागी हैं ।

श्री अध्यक्ष—तो आप समय का भी कुछ त्याग कर दीजिये ।

श्री राजनारायण—धन का त्याग करा लीजिये, और जो चाहे त्याग करा लीजिये लेकिन समय का त्याग नहीं ।

श्री अध्यक्ष—मैं कहता हूं कि अधिक से अधिक १५ मिनट का समय ही दिया जा सकता है और मिनिस्टर दो दफा नहीं बोलेंगे एक ही दफा बोलेंगे इसलिये दो दफा का समय जोड़ दिया जायगा। मैं समझता हूं कि आध घंटे से ज्यादा समय देना उचित भी नहीं होगा।

श्री राजनारायण—मैं समझता हूं कि ऐसा कर दीजिये कि बाद में कुछ प्रश्नों का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष—लेकिन ६ बजे वादविवाद खत्म होगा । आप चाहें तो १० मिनट प्रश्नों के लिये अन्त में दे दिये जावेंगे ।

श्री राजनारायण—मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि बड़ा अहम प्रश्न हो गया है । क्योंकि उनके भाषण में कुछ ऐसी बातें आयेंगी जिसका स्पष्टीकरण जरूरी है तो बिना प्रश्नों के उनकी सफाई कैसे होगी ?

श्री अध्यक्ष—उस वक्त देखा जायगा । (श्री त्रिलोकीसिंह से) अभी आप प्रारम्भ कर दें ।

श्री त्रिलोकीसिंह—मान्यवर, मैं इस आदरणीय सदन का और आप का कृतज्ञ हूं कि आपने इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को वैध घोषित किया और सदन ने उसे पेश करने की अनुमति दी ।

मैं आप की आज्ञा से एक सार्वजनिक महत्व के निश्चित तथा आवश्यक प्रश्न अर्थात् काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ८-१०-५८ को ५ बजे प्रातःकाल से इस प्रकार अनधिकार दखल कि कोई बिना उसकी आज्ञा के न विश्वविद्यालय के अन्दर जा सके और न उससे बाहर निकल सके पर विचार करने के लिये यह प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय।

मुझे इस प्रस्ताव को पेश करने में दुख है। सदन का सेवक होने के नाते उसका कार्य स्थगित किया जाय और साधारण कार्य में किसी प्रकार की बाधा या विघ्न उपस्थित हो कभी प्रिय नहीं होता और न कभी मुझे ऐसा कार्य प्रिय रहा है लेकिन मजबूरी होती है और जनहित में ऐसा कार्य हमको करना पड़ता है। आज ऐसा ही एक अवसर यहां इस सदन के सामने है।

कहा जाता है और यह मान्यवर, एक निर्विवाद बात है कि काशी विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने वहां शांति कायम करने के लिये पुलिस की मदद चाही। कोई यह गलत बात नहीं थी मुनासिब बात थी। पुलिस उनकी मदद के लिये गई यह मुनासिब बात थी। मुझे इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है और न मैं समझता हूं कि किसी को हो सकती है। किन्तु इस बात को भी हम ध्यान में रखें जैसा कि गृह मंत्री जी ने इस आदरणीय सदन में कहा कि पुलिस की मदद का कारण एक तो आगे का अन्देशा और दूसरे कुछ पिछले वाक़यात जिनका एक सिलसिला था पिछले महीने डेढ़ महीने का। जब यह बात पुलिस के अधिकारियों को मालूम थी कि उन बातों के होते हुये भी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने पुलिस

[श्री त्रिलोकीसिंह]

की मदद नहीं चाही तब जिन बच्चों से व्यवहार करने में खुद विश्वविद्यालय के अधिकारी इतने ज्यादा परेशान थे कि उनकी समझ में नहीं आता था कि क्या करें, तो पुलिस को छूट नहीं थी कि वह जो चाहे करे।

मान्यवर, किसी सभ्य समाज में विद्यार्थियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाय, यह देखने की बात है। यदि विद्यार्थियों के साथ ऐसा बर्ताव हो कि उन पर जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने अपने प्रस्तावों में कहा है कि लाठी चलाने की नौबत आई। तो क्या सके लिये पुलिस बुलाई गई थी या शांति कायम करने के लिये बुलाई गई थी।

८ तारीख से पहले यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? न तो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने पुलिस से कोई शिकायत की और न पुलिस उन वाकयात की बिना पर वहां गई। वह केवल शांति स्थापित करने की गरज से वहां पर गई। जब वहां पर लगातार ऐसी घटना हो रही थी उस समय विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने पुलिस की मदद नहीं मांगी। ऐसी दशा में जब मदद मांगी तो पुलिस को छूट नहीं दी। एक बरदाश्त के साथ और जिम्मेदारी के साथ उसको काम करना चाहिये था लेकिन होता क्या है? पुलिस वहां पर सुबह ५ बजे पहुंची। यूनिवर्सिटी के खुलने का समय सुबह ७ बजे है। उपद्रव तो खुलने के बाद ही होते। उस समय तो यूनिवर्सिटी बन्द थी। बन्द होने पर तो कोई उपद्रव होते नहीं हैं और न इसका कोई अन्देशा था जिसको रोकने के लिये पुलिस दखल दे। यूनिवर्सिटी के खुलने पर ७ बजे ही उपद्रव शुरू होते। पुलिस ने पहुंचते ही क्या किया? जिला मैजिस्ट्रेट का बयान है कि पहुंचते ही फाटक पर कब्जा किया। क्या इस फाटक पर कब्जा करने से वहां पर शांति स्थापित हुई? यदि लड़के वहां पर उपद्रव करते मिलते तब कब्जा हो सकता था। कहा जाता है कि ५०,६० लड़के थे। पुलिस के ५००, ६०० आदमी वहां थे ५०,६० लड़कों पर काबू पाने के लिये। फिर लड़कों पर लाठी चलाना पड़े और फाटक पर कब्जा करना पड़े यह क्या है? स्वयं मैजिस्ट्रेट ने माना है कि पुलिस ने वहां जाकर फाटक पर पहले कब्जा किया और फाटक पर पहरा बैठा दिया गया कि न कोई अन्दर जा सके और न कोई बाहर जा सके इस कार्य से एक नागरिक के स्वत्वों का अपहरण हुआ। ३,५०० विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के कैम्पस के अन्दर रहते हैं और कुछ बाहर से भी जाते हैं। दूसरी आबादी भी साढ़े तीन चार हजार की है। ८,००० आदमियों की जहां आबादी हो, उनके खाने पीने का सामान आता जाता हो, सैकड़ों आदमी उसमें के जरूरत से शहर जाते होंगे, स्टेशन जाते होंगे, वह सवारी कहां से पायें, फाटक पर तो पहरा लग गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि लड़कों को सवारी पुलिस ने दी। साढ़े तीन हजार लड़कों की आबादी और सवारी नहीं। हुक्म है एग्जीक्यूटिव कौंसिल का कि लड़के जल्दी से जल्दी घर जायं। जब फाटक बन्द है तो जायं किधर से? आसमान से जायं या गंगा में डूब मरें।

सारा झगड़ा इस फाटक पर पहरा लगाने के कारण हुआ और जिस समय पहरा लगा स्वाभाविक है कि लड़के सो रहे थे। ५ बजे सुबह सारे लड़के जग रहे थे यह अनुमान के बाहर की बात है। जब जगने पर मालूम हुआ कि फाटक पर झगड़ा हुआ, वे जा बजा इकट्ठे हुये, कहीं १०, कहीं १५ और कहीं २० की तादाद में। दफा १४४ द्वारा रोक लगायी गयी थी कि जलूस न निकालो, सभा न करो और हथियार ले कर न चलो। फाटक पर पहरा लगाने का कोई अधिकार पुलिस ने नहीं लिया था और न मैजिस्ट्रेट ने इसका अधिकार लिया था। स्वयं मैजिस्ट्रेट मानते हैं कि तीन बार माइल्ड लाठी चार्ज हुआ उन लोगों पर कि जिन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। यह नहीं लिखा कि कितने बड़े मजमे थे।

मैं यह निवेदन करूं कि यह बड़ी नाजुक बात है, दुख की बात है, अफसोस की बात है कि हमारे देश में पुलिस और विद्यार्थियों के बीच इस प्रकार का झगड़ा होता है। खुद वह मानते हैं कि सवारियां उनको नहीं मिलीं। लड़कियों को मानते हैं कि पुलिस ने अपनी

सवारियों पर स्टेशन पहुंचाया। पहले तो सवारियां जाना वहां रोकें और फिर उनको इस तरह से स्टेशन पर पहुंचायें यह शर्म की बात है। उन्हें क्यों पुलिस की मदद लेने के लिये मजबूर किया गया? क्या वहां के सारे रिक्शे वाले भाग गये थे? क्या सारे इक्के और तांगे वालों ने हड़ताल कर रखी थी? ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऐसी असाधारण परिस्थिति पैदा कर दी कि जिसके कारण इस प्रकार की घटना घटी। मेरे पास इत्तला है और वह अखबारों की नहीं, जो लोग वहां थे उनकी इत्तला है कि वहां सैकड़ों आदमी भूखे रहे, जो अपने खाने का सामान बाहर से मंगाते थे। कितने जो बीमार थे और जिनको डाक्टर, वैद्य या हकीम की दवा की जरूरत थी, वे बिना दवा के रह गये, क्यों? इस पहरे की वजह से। एक भगदड़ मच गयी। बड़ी शान से कहा है जिला मैजिस्ट्रेट ने कि महज तीसरे दिन २०० विद्यार्थी रह गये। कौन ऐसा आदमी है कि जिसको बच्चों और विद्यार्थियों का अनुभव न हो। ५,००० विद्यार्थियों को हुक्म यह है कि ११ तारीख तक चले आओ। और ८,९ और १० तारीख को ४,८०० छोड़कर भागे। कुछ असाधारण बात थी और वह यह कि इन्होंने वहां जाकर इकट्ठा हो कर छः सात सौ सिपाहियों द्वारा पहरा लगा दिया, मारपीट की, उनको डराया, धमकाया और इसी कारण से वहां लोग भूखे रहे, बीमार रहे बिना किसी औषधि के और भागे। मैं दुख के साथ कहता हूं कि इस से बढ़ कर निन्दनीय कार्य किसी सरकार और उसके कर्मचारियों के लिये हो नहीं सकता था जो कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हुआ है।

माननीय मंत्री जी ३० मिनट भाषण देंगे। मुझे मौका मिलेगा जवाब देने का। इसलिये जो बात वह कहेंगे उस सिलसिले में मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं बहुत नम्रतापूर्वक कि यह इतना नाजुक मामला है कि माननीय मंत्री इस बात का ध्यान रखें कि जिस घटना को इस सदन के तमाम विरोधी दल के नेता और सदस्य निन्दनीय समझते हैं। तो उसकी सफाई के लिये कि यह कार्य उनका निन्दनीय है या नहीं एक इनक्वायरी हाई कोर्ट के जज के द्वारा होनी चाहिये। मैं यह उम्मीद करता हूं कि सरकार को अपनी और उसकी पुलिस की सफाई के लिए, एक बड़ा रतर कायम करने के लिए, जब कभी विद्यार्थियों पर ऐसी व्यवस्था हो, और विशेषकर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के मामले में, हाई कोर्ट के जज द्वारा पब्लिक इनक्वायरी हो। इससे बहुत कुछ सफाई हो जायगी और जनता के सामने बात साफ तौर पर यह आ जायगी कि कौन इसमें अपराधी था और किसने अपने अधिकारों के बाहर काम किया।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन को स्थगित किया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिलोकीसिंह जी, नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जो निर्विवाद हैं, जो सर्वसम्मत हैं। इस बात में तो मतभेद हो सकता है और है कि लाठी चार्ज गहरा था या हलका था। इस बात में मतभेद हो सकता है कि वह आवश्यक था या अनावश्यक था, उचित था या अनुचित था। लेकिन यह बात कि पी० ए० सी० का प्रयोग किया गया और पुलिस द्वारा लाठी चार्ज हुआ, विश्वविद्यालय में हुआ, विद्यार्थियों के ऊपर हुआ, ये चार तथ्य ऐसे हैं जिनके बारे में कोई सन्देह नहीं है। जिलाधीश और सरकारी पक्ष भी मानता है और जनता और विरोधी दलों के लोग भी इसे स्वीकार करते हैं। इसलिये मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में जनता और सरकारों के सम्बन्ध में प्रशासन की नीति के आधारभूत सिद्धांत का सवाल उठाना चाहता हूं। वह सवाल यह है कि क्या पुलिस को और मैजिस्ट्रेटों को लाठी चार्ज करने के बारे में, पुलिस द्वारा अश्रु-गैस छोड़ने के बारे में और गोली चलाने के बारे में अनियंत्रित डिस्क्रीशन

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

(स्वविचारनुसार अधिकार) देना चाहिये या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, डिस्क्रीशन का सवाल बहुत टेढ़ा है। यों तो सदा से, हजारों वर्षों से, इस बात में कि सही-सही डिस्क्रीशन का प्रयोग किया गया है या नहीं मतभेद रहा है और त्रुटियां भी होती हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि "किम् कर्म किमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता:" क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इस बात में कवि लोग भी उलझ गये हैं, अर्थात् वे भी नहीं जान पाये हैं कि क्या उचित या अनुचित है। तो पुलिस को ऐसा अधिकार देना कहां तक ठीक है? भगवान् कृष्ण की बात पुरानी मालूम होती हो तो आज भी नई बात है कि हम रोज समाचार पत्रों में देखते हैं कि हाई कोर्ट के जजों में आपस में मतभेद है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय में अन्तर है। जब ये मामले इतने सूक्ष्म और गहरे होते हैं तो पुलिस को यह अधिकार देना कहां तक ठीक होगा? हमारे सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है। सन् ३७ में जब कांग्रेस ने मंत्रि-मंडल ग्रहण किया था उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि हम जनता में शान्ति रखने के लिये और जनता को कन्ट्रोल करने के वास्ते पुलिस का प्रयोग न करें तो हमारे लिये अच्छा होगा। इस बात को आज २१ वर्ष हो गये परन्तु इस ऊंचे सिद्धान्त के कहीं नजदीक भी पहुंच पाये हैं? एक अंग्रेजी कहावत है कि यू कैन डू एनीथिंग विद ब्योनेट्स बट यू कैन्नाट सिट अपान दैम (You can do anything with bayonets but you cannot sit upon them) लाठी और गोलियों के द्वारा शान्ति व्यवस्था और अनुशासन आप स्थापित नहीं कर सकते। उनके प्रयोग से थोड़ी देर के लिये शान्ति व्यवस्था हो जायगी, परन्तु कोई उसकी नैतिक क़ीमत नहीं होगी और न उसमें स्थायित्व ही होगा। यह भी महात्मा गांधी जी के ही शब्द हैं कि दोज हू लिव अपान दी सोर्ड शैल पैरिश बाई दी सोर्ड (Those who live upon the sword shall perish by the sword) इसलिये सरकार को सोचना चाहिये कि पुलिस की लाठियों और गोलियों के बल पर यह राज्य कब तक चलेगा। इस प्रकार राज्य करने वाली सरकार बकरे की मां की तरह कबतक खैर मनावेगी। स्वयं सरकार को सोचना चाहिये कि यह कहां तक ठीक है। अब समय आ गया है कि पुलिस द्वारा लाठी चार्ज और गोली चलाये जाने के बारे में एक बोर्ड आफ़ कान्डक्ट, आचार संहिता, बननी चाहिये। मुझे अभी याद आया कि कांग्रेस के महामंत्री श्री श्रीमन नारायण जी ने भी यही बात पहले कही थी कि सभी पार्टियों में आपस में समझौता हो जाना चाहिये और सरकार को भी इस बात पर विचार करना चाहिये कि पुलिस का प्रयोग करने के सम्बन्ध में वह आचार संहिता तैयार करे। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बात पर क्या ध्यान दिया।

दूसरी बात यह भी है, जैसा त्रिलोकीसिंह जी ने कहा, कि पुलिस के लाठी-चार्ज करने या गोली चलाने पर, कम से कम गोली चलाने पर तो अवश्य, इस बात का खयाल होना चाहिये कि जुडीशल इनक्वायरी की जाय कि ऐसा आवश्यक था या अनावश्यक था या यदि आचार संहिता बन जाय, तो उसके बाहर जाकर तो लाठी-चार्ज नहीं हुआ है या गोली नहीं चलाई गई है।

एक बात यह भी है कि लाठी-चार्ज कहां किया गया। यह बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में किया गया। विद्या के मन्दिर में, शिक्षा के मन्दिर में, पुलिस का प्रयोग और उसके द्वारा लाठी-चार्ज, ये सब बातें ऐसी हैं जिन पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि हमारे देश और राष्ट्र की जनता के लिये और हमारी सरकार की सुकीर्ति के लिये इस तरह की बातें कहां तक ठीक हैं। हमें सोचना है कि उस विश्वविद्यालय में जोकि नान-आफीशल प्रयत्नों से बना है, महामना मालवीय जी का स्मारक है, अंग्रेजी राज्य के जमाने में जहां के विद्यार्थियों ने सन् १९४२ में क्रान्ति की और जिसके फलस्वरूप आज हम यहां मिनिस्टर बने बैठे हैं और हमने आजादी हासिल की है, वहां के विद्यार्थियों पर, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और जिनकी पौराणिक कथायें सारे भारत में प्रसिद्ध हुईं और जो स्वर्णाक्षरों में लिखी जावेंगी, ऐसे छात्रों पर लाठी-चार्ज कहां तक उचित है। मैं बार बार कहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे।

माननीय अध्यक्ष जी, यह दीखता है कि हमारी सरकार में एक नई बात आ गई है। वह नयी बात यह है कि बुरे से बुरे काम पर भी, और कांग्रेस और महात्मा गांधी दोनों के पुराने ऊंचे सिद्धांतों के विरुद्ध भी जब वह कोई काम करती है, जिस पर उसे शर्म आनी चाहिये और दुख होना चाहिये, तब भी वह तन कर खड़ी होकर कहती है कि हमें गर्व है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---बेहयाई से।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं किसी ऐसे विशेषण का प्रयोग नहीं करूंगा।

तो सरकार का ऐसी बातों पर गर्व करना जिन पर दुख होना चाहिये, अर्थात् पुलिस द्वारा लाठी और गोली चलाये जाने से अधिक भयावह सरकार की वह मनोवृत्ति है कि इन बातों से उसे दुख नहीं होता और लज्जा नहीं आती बल्कि वह उल्टे पुलिस का अनुमोदन करती है और कहती है कि उसे गर्व है और यह बिलकुल ठीक किया गया है। यह पुलिस द्वारा लाठीचार्ज से भी अधिक खतरनाक है और मैं आप की आज्ञा से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह कांग्रेस के ऊंचे सिद्धांतों के नाम पर, महात्मा गांधी के उपदेशों के नाम पर, देश की भलाई के नाम पर, जनता की भलाई के नाम पर और स्वयं अपनी भलाई के नाम पर इस बात पर विचार करे कि इस तरह से वे कितने दिनों तक चल सकेंगे। और यह भी विचार करें कि संसार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि अगर सरकार अपनी आंखें मूद भी ले तो उसको गलत कामों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा और कोई सरकार उससे आज तक बच नहीं पायी है। यह सरकार भी कोई अनोखी सरकार नहीं है जो जनता के साथ दुर्व्यवहार करती रहे, शांति व्यवस्था न रख पाये और किसी भी तरीके से जितने दिनों तक चाहे डटी रहे। यह स्वयं सरकार को भी सोचना है कि यह कहां तक ठीक है। महात्मा गांधी और श्रीमन नारायण अग्रवाल की बातों पर उस को विचार करना है और उसको सोच कर उन्हें माननीय त्रिलोकी सिंह जी की बात को स्वीकार करना चाहिये कि जो कुछ हुआ है उस की अदालती जांच करायी जाय और उसके निर्णय को सरकार और जनता दोनों स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राजनारायण---श्रीमन्, दो घटनाओं के समाचार लोगों ने एक ही दिन पढ़े होंगे---पाकिस्तान में फौजी शासन और काशी विश्वविद्यालय में पी० ए० सी० शासन। ये दोनों ८ अक्तूबर की घटनाएं हैं। अब यह बात मैं विद्वानों के ऊपर छोड़ता हूं कि वह यह सोचें कि पाकिस्तान के फौजी शासन से काशी विश्वविद्यालय में जो उत्तर प्रदेशीय शासन का पी० ए० सी० शासन हुआ है वह किस मानी में कम है।

मैं वहां का छात्र हूं और कभी-कभी हमारा गला भर आता है जब कभी अपने विद्यार्थियों के ऊपर हुये इस सरकार की पुलिस के व्यवहार के बारे में सोचता हूं। मैं उस समय कारागार में बन्द था। तीन दिन पहले से ही पूरी तैयारियां हो रही थीं। जो मैजिस्ट्रेट मेरा मुकदमा कर रहा था उस की बातों से पहले ही साफ जाहिर हो गया था कि कुछ होने वाला है। ६ तारीख से ही लगातार सीतापुर की पी० ए० सी० और मुरादाबाद की पी० ए० सी० और जहां-जहां पी० ए० सी० थीं, बुलाई जा चुकी थी। मुझसे मैजिस्ट्रेट ने कहा कि ३-४ दिन तक मैं व्यस्त रहूंगा और अब मुकदमा १०-११ तारीख को करूंगा। मैंने कहा कि कल ले लीजिये तो मुझसे कहा गया कि कल नहीं लिया जायगा। जितने भी जुडीशियल मैजिस्ट्रेट थे और जितने भी मैजिस्ट्रेट थे सब ७ तारीख की रात को लगा दिये गये थे। ऐसी नाकाबंदी की गयी थी मालूम होता था कि कोई बड़ा भारी हमला होने वाला है, खतरा आने वाला है। वहां के वकील मंडल के रिजोल्यूशन को अगर आप देखें तो आप को मालूम होगा कि उस दिन सब कचेहरियां बन्द थीं। कोई भी मुकदमा उस दिन नहीं लिया गया। कोसों दूर से जनता आकर वहां पड़ी थी लेकिन उस को कोई यह बताने वाला नहीं था कि उनका मुकदमा होगा भी या नहीं। बाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का बयान निकला कि राम नन्दन सिंह मैजिस्ट्रेट वहां थे। वह तो एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं लेकिन वहां तो कोई भी मैजिस्ट्रेट नहीं था। मैं जानना चाहूंगा माननीय कमलापति जी से जो उस दिन काशी में विद्यमान थे, राज्यपाल महोदय ५--६ तारीख को काशी में विद्यमान थे। ७ तारीख को वहां से आये। वहां के विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से उनकी बातचीत हुई थी और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सनद दी कि विद्यार्थी शांत रहें, कमलापति जी ने सनद दी कि विद्यार्थी शांत रहें, राज्यपाल महोदय ने सनद दी कि विद्यार्थी शांत रहें। यह केवल विद्यार्थियों को धोखे में रखने की बात थी और सारा बन्दोबस्त पहले से ही हो रहा था। अब केन्द्रीय सरकार से कहा जा रहा है कि शांत करो और इस रास्ते से शांत करो। एक ओर तो अधिकारी पुरुषों के बयान निकल रहे हैं और दूसरी ओर उधर ७ तारीख को राज्यपाल आते हैं और यकायक ८ तारीख को विद्यार्थी आग बबूला हो जाते हैं? कहां से बम आ गिरा, कहां से पिस्तौल आ गयी लेकिन किसी को बाहर से बन्द किया, किसी को भीतर से बंद किया, किसी को टेढ़े बन्द किया किसी को आड़े बंद किया। यह बात बिल्कुल अनर्गल और असत्य है और झूठा प्रचार किया जा रहा है कि विद्यार्थी अशांत थे या उन्होंने किसी को कैद किया था। श्रीमन्, आपने एक्जीक्यूटिव कौंसिल के रेज्योलूशन को पढ़ा होगा। आप उसमें देखें कि ८ तारीख से लेकर ११ तारीख तक विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी खाली करने का आदेश था। अगर ११ तारीख को विद्यार्थी नहीं गये होते उसके बाद इस तरह की बर्बरता हुई होती और सरकार की तरफ से कहा जाता कि विद्यार्थी नहीं गये तो इस तरह की बात समझ में आ सकती थी, लेकिन मैं आप के द्वारा पूछना चाहता हूं कि जब ८ तारीख से लेकर ११ तारीख तक विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी खाली करने का आदेश था तो ८ तारीख को प्रातः वहां पुलिस कैसे गयी, क्यों गयी, क्या कारण था? इसका आज तक कोई उत्तर नहीं मिला। हमारा पब्लिक स्टेटमेंट हुआ, वहां के नागरिकों की तरफ से स्टेटमेंट हुआ, जो विश्वविद्यालय की अधिकार रक्षा समिति बनी है, उसका मैं भी एक सदस्य हूं और हमारी खतोकिताबत पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति से हुई है और अभी हो रही है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास इसका क्या उत्तर है?

इसके बाद श्रीमन्, एक असत्य बात की और चर्चा है कि वहां १४४ दफा पहले से लगी हुई थी लेकन वहां पर १४४ दफा हर्गिज नहीं थी जिस समय कि प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा जी पर डंडे पड़े। प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा कोई मामूली आदमी नहीं हैं। सन् ४२ की क्रान्ति में जब कि हमारे मंत्रिगण अपने बंगले और घरों में चले गये थे तो वे हमारे साथ और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर काशी विद्यापीठ के कई सौ विद्यार्थियों को लेकर अंग्रेजी शासन के छक्के छुड़ाये। उस समय मैं ला फाइनल और एम० ए० फाइनल का विद्यार्थी था और उस समय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी जिन्दा थे। मालवीय जी ने कहा था कि "आई विल बी दि फर्स्ट मैन टु लाई आन दि गेट" यानी मैं पहला आदमी हूंगा जो दरवाजे पर हूंगा और मेरे सीने पर पैर रख कर ही पुलिस अन्दर जा सकेगी। विद्यामन्दिर के प्रांगण में प्रवेश कर सकेगी। आज उसी विद्या मन्दिर के प्रांगण में माननीय मुख्य मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय राज्यपाल के होते हुए भी इस सरकार की पुलिस घुसी। मैं उस समय वहां जेल में विराजमान था। विद्यार्थियों को ८ तारीख को सुबह पकड़ लिया गया और उनको २४ घंटे तक एक टूटे हुये कारखाने में बन्द रखा गया और ९ तारीख को करीब साढ़े चार ५ बजे, प्रातः जेल में लाया गया। उस दिन ऐसा मालूम होने लगा जैसे चारों तरफ से घेरा बन्दी होने लगी कि कोई विद्यार्थी राजनारायण से न मिलने पावे। मैं उस वक्त जेल में था, मैंने कह दिया कि अगर विद्यार्थियों के साथ किसी तरह का जालिमाना बर्ताव हुआ तो उस को हम हर्गिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके लिये पानी का इन्तजाम करो, उनके लिये नहाने का इन्तजाम करो और उनके लिये खाने का इन्तजाम करो। मिनिस्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि जब वे कारखाने के अन्दर बन्द थे तो उनको खाना क्यों नहीं दिया गया। हमने कहा कि जब विद्यार्थी हमारे साथ बन्दी

हैं तो उनके साथ किसी तरह की ज्यादती की गयी तो जिस तरह से हम अन्याय के खिलाफ बाहर लड़ते आये हैं उसी तरह से जेल के अन्दर भी अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा हक़ है। २४ घंटे तक उन विद्यार्थियों की पट्टी व दवा आदि का कोई इन्तजाम नहीं किया गया था। चूंकि हमारे एक मित्र वकील अस्पताल में हैं उनके जरिये उनकी दवा आदि का प्रबन्ध किया गया और फिर १० तारीख को करीब चार साढ़े चार बजे भोर में पी० ए० सी० की बटालियन जेल में घुसी और उसने रातों रात उन सब को सेंट्रल जेल में बन्द कर दिया।

यह सब खुराफातें किसके सामने आई हैं, इसकी कोई सफाई हुई हैं ? माननीय कमलापति जी की सदिच्छा रही हो, वे भी वाराणसी के रहने वाले हैं, मानव हैं, सुन्दर हैं देखने भालने में, लेकिन हमको तो किसी व्यक्ति की इच्छा पर नहीं जाना है, उसका जो कार्य हुआ है, परिणाम हुआ है उसको देखना है। इसलिये आपके द्वारा मैं बतलाना चाहता हूं कि पुलिस की हरकतें बिलकुल जालिमाना, बरबरतापूर्ण व जंगली थीं और उनको किसी तरह से माननीय पुलिस मंत्री परदा डालने का प्रयत्न करेंगे तो यह उनकी कुचेष्टा होगी।

जनता जानती है कि अखबार वालों से मैजिस्ट्रेट का झगड़ा हो रहा है। सरकारी जो टिप्पणियां आती थीं उनको जरा देखा जाय। एक संवाददाता ने निकाला कि किस प्रकार से लड़कियां बेबसी की हालत में अपने सामानों को सर पर लाद कर सड़कों पर नजर आईं। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह बिल्कुल असत्य है। संवाददाता ने कहा कि हिम्मत कर के यह खबर छापी गयी है। मैंने स्वयं यह बात देखी है कि लड़कियां बाहर सामान ले कर इकट्ठा हुईं।

माननीय पुलिस मंत्री इसकी सफाई दें कि गोली चली। वाराणसी जिला परिषद् की मीटिंग में जब इस बात को रखा गया तो मैजिस्ट्रेट जो थे वे शान्त रहे, किसी ने जवाब नहीं दिया। एक आदमी को मैजिस्ट्रेट की गोली लगी। चोरी से उस को ले जा कर एक अस्पताल में निकाला गया और उसे ऐसा गुम कर दिया गया कि कहीं कोई न जान पाये कि क्या घटना हुई और क्या घटना नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष--आपने अभी बतलाया कि गोली लगी, तो वह मर गया क्या ?

श्री राजनारायण--मैंने बतलाया कि गोली लगी, लेकिन उसे निकलवा दिया गया। माननीय मुख्य मंत्री काशी विद्यापीठ में गये जरूर थे। विद्यार्थियों ने उनसे कहा कि आपकी पुलिस ने बरबरता से व्यवहार किया है तो माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि मैं कुलगुरु के पद से इस्तीफा देता हूं, पहले वापस भी ले लेता लेकिन अब वापस लेने को तैयार नहीं हूं। जिस संस्था के हम कुलगुरु हों उन्हीं पर इस प्रकार से लांछन लगाया जाय ? यह तानाशाही की मनोवृत्ति हो गयी है। मुझको भी निमंत्रण मिला था लेकिन मैं पहुंच नहीं सका।

तो यह पूर्णतया सत्य है जैसा कि त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि इतनी परेशानियां वहां उठानी पड़ीं, आवागमन के सारे साधन बन्द हो गये। लोगों को निकाल दिया गया। किराया तक लोगों के पास नहीं था। सामान फेंक दिया गया और तितर-बितर कर दिया गया। बाद में जिला मैजिस्ट्रेट सफाई देने के लिये कहते हैं कि हमने किराये का इन्तजाम करा दिया था, हमने फलां इंतजाम कराया लेकिन यह सब अनर्गल बात है।

हमको मौलिक प्रश्न पर आना चाहिये। १९४२ में काशी विश्वविद्यालय का जो कांस्टीट्यूशन था उस कांस्टीट्यूशन में थोड़े से परिवर्तन के साथ आज भी कार्य चल रहा है। उस समय मूवमेंट में विद्यार्थियों ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये थे। फिनले उस समय वहां का कलेक्टर था। उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को तार दिया कि यूनिवर्सिटी पर कब्जा करना चाहिये। उसने तार भेजा मिलिटरी भेजने के लिये। उसमें लिखा था :

"University is the focus of all activities. Awaiting orders."

जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्डर्स नहीं आ गये तब तक मिलीटरी नहीं गयी। उत्तर प्रदेश सरकार को क्या हक था पुलिस भेजने का ? वहां की एक्जिक्यूटिव कौंसिल को क्या अधिकार था कि उसने यूनीवर्सिटी को बन्द करने का फैसला किया ?

श्री अध्यक्ष--आप दूसरी बात में जा रहे हैं। ला ऐंड आर्डर का सवाल विवाद का विषय है।

श्री राजनारायण--ठीक है, समझ गया। पुलिस मांगी गयी और पुलिस दे दी गयी। जब श्रीमाली साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि मैं अपने लोगों से लड़ना नहीं चाहता, राज्यपाल को छोड़कर तत्संबंधी लोगों से पूरा-पूरा मश्विरा हुआ है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं आप पुलिस के कार्य पर ही अपने को सीमित रखें।

श्री राजनारायण--हमारे कहने का मतलब यह कि वाइस-चांसलर महोदय ने वहां पर अशांति पैदा करने का जो काम किया उनकी हिफाजत पुलिस ने क्यों नहीं की? जिनके प्रोवोकेटियर भेजे गये, पुलिस की तरफ से भेजे गये, हाथ में छुरा ले करके भेजे गये, वहां के जनप्रतिनिधियों को और विद्यार्थियों को स्टैब करने के लिये, बलवा करने के लिये। आपको मालूम होगा ८ सितम्बर की जो घटना घटी थी, तो मैं ७ तारीख की शाम को काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से मिल कर आया था, सभा में बोलकर आया था, इसी कारण मेरी गाड़ी भी छूटी थी। तो मैं जानता हूं सारी बात को।

अब भी मैं पूछना चाहता हूं माननीय कमलापति जी से कि कुछ विद्यार्थियों के ऊपर वारन्ट था? कमलापति जी वाराणसी में उनसे मिल कर बातें किये हैं। इसके बाद बात तो करते हैं मिल करके, सारी बात हंस-हंस के करते हैं, मुझे पूज्य गांधी जी की बात याद आ गई है, वह कहते हैं कि शिष्ट व्यवहार और मधुर भाषा से परस्पर विरोधी सिद्धांतों का संघर्ष टाला नहीं जा सकता। आज यह परस्पर दो विरोधी धारणायें हैं कि शिक्षा संस्थायें स्वतंत्र हों या सरकार के हाथ में रहें? तो आज सरकार तानाशाही मनोवृत्ति की आड़ में जा करके शिक्षा संस्थाओं को अपने हाथ में ले रही है, उनके अधिकारों को छीन रही है। मैं माननीय त्रिलोकीसिंह जी की इस मांग से पूर्णतः सहमत हूं कि वहां पर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिये, और अविलम्ब होनी चाहिये, बल्कि अब तक हो जानी चाहिये। अगर ऐसा हो गया होता तो शांति भी हो गई होती। मगर इतने ही से परिस्थिति की सफाई नहीं होगी। मैं चाहूंगा कि काशी विश्वविद्यालय में जिस तरह का दमन चक्र चलाया गया, सरकार के इशारे पर और संकेत पर, उसके लिये गृह मंत्री जिम्मेदार हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिये। हमारे इस मत के समर्थन में मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि जिम्मेदारी मेरी है इसलिये मैं काशी विद्यापीठ के कुलगुरु के पद से इस्तीफा देता हूं। जहां पर कुछ पाना नहीं वहां इस्तीफा है। यहां मुख्य मंत्री पद से क्यों नहीं इस्तीफा दिया? पुलिस मंत्री इस्तीफा दें, माननीय मुख्य मंत्री इस्तीफा दें। और वहां के संबंध में एक जुडिशियल इनक्वायरी हो ताकि इन तमाम बातों पर ठीक तरह से प्रकाश पड़ सके कि दोष किस का है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम जिस विश्वविद्यालय में घटी घटना के ऊपर विचार कर रहे हैं वह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त है। उस विश्वविद्यालय में जो लज्जाजनक घटना घटी है और जिस पर हम आज विचार कर रहे हैं हमें सोचना यह है कि वह घटना क्यों घटी? क्यों पुलिस विश्वविद्यालय के अन्दर बुलायी गई? हमारे मुल्क के अन्दर पुलिस का प्रयोग कब होना चाहिये, शक्ति का प्रयोग कब होना चाहिये? इसके लिये नियम बने हुये हैं, भारतीय दंडविधि संहिता के अन्दर ऐसी धारायें हैं जिनमें कहा गया है कि कब पुलिस का इस्तेमाल करना चाहिये। किस दशा में करना चाहिये। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि कानून का बिल्कुल ध्यान न रख करके पुलिस बुलायी गयी। उस समय विश्वविद्यालय का वातावरण पूर्णतः शांत था। छात्र आन्दोलन अहिंसात्मक ढंग से चल रहा था। उसके पहले कोई भी घटना विश्वविद्यालय के अन्दर या बनारस शहर के अन्दर नहीं घटी थी जिसके अन्दर किसी व्यक्ति पर प्रहार किया गया हो, या किसी की सम्पत्ति को नष्ट किया गया हो। फिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि पुलिस की सहायता ली गई? हमारे पूर्वी

जिलों के एक मुख्य पत्र 'आज' ने जिसे देश में ख्याति प्राप्त है, लिखा था कि विश्वविद्यालय के छात्र पूर्णतः अहिंसात्मक ढंग से, शान्तिपूर्ण तरीके से अपने सत्याग्रह को चला रहे थे। उन की तरफ से कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, मैं तो कहूंगा कि काशी विश्वविद्यालय के छात्र और हमारे इस प्रदेश के छात्र अपने शांतिपूर्ण और अनुशासनयुक्त आचरण के लिये बधाई के पात्र हैं, जिनके ऊपर ऐसे अमानुषिक प्रहार हों, ऐसी घटना घटे और पुलिस बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठी बरसाये और वह अपने शांतिमय व्यवहार का परिचय दें और न्याय की मांग करते जायं। आप देखें कि ५ बजे अंधेरे में ही वहां पुलिस पहुंच कर फाटकों के ताले तोड़ती है, अन्दर प्रवेश करती है और सोते हुये छात्रों को लाठियां मार-मार कर जगाती है। उस दिन काशी शहर में ३ जगह लाठी चार्ज हुआ। काशी विश्वविद्यालय के प्रांगण में, महेंद्रवी लाज के फाटक पर और लंका चौक में। वहां पर विद्यार्थियों पर तो लाठी चार्ज हुआ ही साथ ही बहुत से राह चलते नागरिकों पर भी लाठियां चलाई गईं और २ प्रोफेसर जो शांति स्थापित चाहते थे उन पर भी बर्बरता के साथ पुलिस की लाठियां चलीं। काशी के राह चलते शांतिमय नागरिक भी इस के शिकार हुये। हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन-सी परिस्थिति आ गई थी कि इस तरह की कार्यवाही वहां की गई?

हमें याद है कि सन् ४२ में भी एक बार इसी विश्वविद्यालय पर पुलिस ने कब्जा किया था जब कि इस देश में अंग्रेजी हुकूमत थी, जब कि इस विश्वविद्यालय के छात्र देश को आजाद कराने के लिये कटिबद्ध हुये थे, जब कि यहां के छात्र आजादी की लड़ाई में अपने सर्वस्व की आहुति देने के लिये तत्पर हुये थे और दूसरा मौका उस के बाद उन के सामने यह आया कि जब इस विश्वविद्यालय के छात्र अपने सम्मान की रक्षा के लिये, अपने अधिकारों की रक्षा के लिये और न्याय की मांग को शांति के साथ लेकर खड़े हुये और उन पर उसके बदले में लाठियों का प्रहार किया गया। जब सन् ४२ में अंग्रेजी सरकार ने इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज कराया तो उसने अपनी सर्वनाश की नींव डाली थी और अब की इस सरकार ने दूसरी बार विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करा के अपने सर्वनाश की नींव डाली है।

दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि विश्वविद्यालय की और देश की सभी शिक्षा संस्थाओं की यह परम्परा है और अब तक उसका निर्वाह हमेशा हुआ है। और उस का निर्वाह तो अंग्रेज वाइस-चांसलर तक ने किया था। जब यहां बृटिश सरकार थी तो लखनऊ विश्व-विद्यालय में एक बार आवश्यकता पड़ी, वहां पुलिस भेजी गई लेकिन अंग्रेज वाइस-चांसलर ने भी पुलिस को विश्वविद्यालय के अन्दर नहीं जाने दिया।

उसने एक सीमा निर्धारित की और कहा कि इस सीमा के अन्दर पुलिस नहीं जायगी और आज यह अवसर है कि जब यहां अपने को समाजवादी कहने वाली राष्ट्रीय सरकार है तो उसने विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को कुचलने के लिये पुलिस को भेज दिया और रात को भेजा जब कि वह बेचारे सो रहे थे और उन पर मनमाना लाठीचार्ज हुआ। किन्हीं भी नियमों का, किन्हीं भी मर्यादाओं का पालन नहीं हुआ। विदेशी राज्य की पुलिस ने भी जो बर्बरता नहीं बरती वह बरती गई। यह एक गम्भीर परिस्थिति है, एक गम्भीर विषय है, इसे माननीय मंत्री महोदय भी मानेंगे और स्वीकार करेंगे। हम समझते हैं कि हमारी शिक्षा संस्थाओं को देश में पूरा स्वतंत्रता होनी चाहिये, प्रोफेसर्स को भी जो शिक्षा देते हैं पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये और उस का संरक्षण होना चाहिये। इस को मंत्री जी स्वयं मानेंगे कि आज हमारे विद्यार्थियों को अपने सम्मान की रक्षा करने का हक हो, न्याय की मांग करने का हक हो, अपने अधिकारों के प्रति जागरुक रहने का हक हो तो इस में कौन सी कठिनाई है? पुलिस किस तरह से विद्यार्थियों पर, शांत रहने पर भी बर्बरता का व्यवहार कर सकती है इस का यह एक नमूना है।

मैं उस समय जेल में था, लेकिन जेल से आने पर मुझे एक उच्च सरकारी अधिकारी ने अपनी आंखों देखा हाल सुनाया जिस के सामने घटना घटी थी, उसने कहा कि अनावश्यक लाठीचार्ज हुआ पुलिस ने ट्रक से उतरते ही विद्यार्थियों को मार मार कर गिराना आरम्भ कर

[श्री चन्द्रजीत यादव]

दिया और डंडे मारना शुरू कर दिया और आश्चर्य यह है कि उस समय जिला मैजिस्ट्रेट वहां मौजूद थे, सब अधिकारी मौजूद थे उस समय ऐसी घटना घटी। इसलिये मैं कहूंगा कि आज अंग्रेजी काल की परम्पराओं और मर्यादाओं का भी पालन नहीं किया जाता और निर्वाह नहीं होता। वाइस-चांसलर और वह सरकार जो विदेशी सरकार की भी अच्छी बातों का पालन नहीं कर सकती है, जिस विश्वविद्यालय में फिर न तो ऐसे वाइस-चांसलर को रहने का हक है, और न ऐसी सरकार को ही बने रहने का हक है. . . .

श्री अध्यक्ष--यह असंगत है, वाइस-चांसलर को विवाद में नहीं लाना चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव--ठीक है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। वहां लाठी चार्ज किया गया, विद्यार्थी आहत किये गये, लेकिन इतनी मानवता नहीं दिखाई गयी कि उनको फर्स्ट एड दी जाती। घायल विद्यार्थी उसी अवस्था में प्राइवेट डाक्टर्स के पास दौड़-दौड़ कर गये और मरहम पट्टी कराई, लेकिन सरकार और उसके अधिकारियों ने कोई परवाह नहीं की। उनको जेलों में ठूंस दिया गया और मुकदमे चलाये जा रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं। तो श्रीमन्, मैं नेता विरोधी दल की उन भावनाओं से सहमत हूं और इस बात की मांग करता हूं सदन से कि मंत्री महोदय इस बात को मानें। अगर वह समझते हैं कि उनका पुलिस भेजना और लाठी चार्ज कराना आवश्यक ही था तो इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये। अगर उसमें एतराज हो तो सभी बातों की जांच करने के लिये एक सदन की सर्वदलीय कमेटी बनायी जाय और वह जांच करे। क्योंकि स्थिति गम्भीर है और सरकार एक जनवादी सरकार की तरह से काम नहीं कर रही है, वह हर तरह से जन आन्दोलन को कुचलने के लिये पुलिस का इन्तजाम करती है। चाहे वह कितने ही शांतिपूर्ण आन्दोलन क्यों न हों उन पर हिंसा का आरोप लगाकर और कानून के विरोध करने का आरोप लगाकर उनको कुचलने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी की छाया यह है कि हमारे विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता आज खतरे में पड़ी हुई है। आज इस प्रकार से वहां निर्मम और बर्बर व्यवहार कराया गया है, या तो इसकी न्यायिक जांच करायी जाय या इस सदन की एक कमेटी भेजकर उससे जांच करायी जाय।

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी अस्वस्थता के कारण, यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं वहां जाकर के, खुद जांच करूं, जैसा कि इस सदन के बहुत से सदस्यों ने जांच करने और तथ्यों का पता लगाने के कोशिश की, ताकि वह आपके सम्मुख उपस्थित कर सकूं। कुछ इस आदरणीय सदन के ऐसे भी सदस्य हैं जो उस हिस्से से आये हैं, उनको जहां तक फैक्ट्स का सवाल है, निजी ज्ञान से या लोगों से पूछ-तांछ करके फर्स्ट हैंड नालेज हो सकती है। हम लोग जो दूर के हैं, हमको जो समाचार दूर से मिले हैं उनपर ही हमें अपने को महदूद करना पड़ता है, लेकिन अखबारी समाचार को न लेकर अगर मैं श्रीमन्, आपकी तवज्जह उन स्टेटमेंट्स की तरफ दिलाऊं जो जिलाधीश ने या वहां के 'आज' में जो समाचार प्रकाशित हुये--उनके खंडन में उनके जो वक्तव्य प्रकाशित हुए तो उससे कुछ लाइट पड़ सकती है।

जैसा नेता विरोधी दल ने कहा, यह जिलाधीश ने स्वयं स्वीकार किया है, ९ तारीख के "आज" में जिला मैजिस्ट्रेट ने विज्ञप्ति खुद की है, उन्होंने कहा कि महज ५०-६० छात्र धरना दे रहे थे, यह निर्विवाद है कि उन्होंने पुलिस को नहीं घुसने दिया और धमकी दी। एक वक्तव्य में कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के अन्दर हमें प्रवेश नहीं करना चाहिये और दूसरे अपने वक्तव्य में कहते हैं कि पुलिस को घुसने नहीं दिया। अगर उनको फाटक पर पहरा देना था तो क्या वजह थी कि उनको अन्दर घुसने की जरूरत पड़ गयी? इसी तरह से आप देखें कि उनके स्टेटमेंट में कितना कंट्रेडिक्शन है। अन्दर जाना भी नहीं चाहिये और मुख्य फाटक पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छात्रों द्वारा लगाये गये ताले को तोड़ कर उनको अन्दर घुसना पड़ा। लाठी चार्ज भी करना पड़ा और जिन छात्रों के बारे में कहा गया कि वह सैकड़ों की तादाद में जमा थे, बड़ा उपद्रव कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे तो उनको शांत कर दिया गया—उसके लिये एक हलका-सा लाठी चार्ज हुआ। और उसके बाद कहते हैं कि ६ छात्र एक बार और ६ छात्र दूसरी बार पकड़े गये। "सैकड़ों छात्र" यह बात श्रीमन्, ध्यान में रखें, कहा गया कि सैकड़ों छात्र अनरूली हो गये हैं और ईंट पत्थर पुलिस पर बरसा रहे हैं और उन्होंने उन पर फूल बरसाये लाठियों से। १२ को गिरफ्तार किया, सब शांत हो गया। नीचे फरमाते हैं कि स्थिति अब नियंत्रण में है। कितना बड़ा जलजला आ गया था जिसके लिये एक तरफ तो कहते हैं कि बहुत भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ा जिससे लाठी चार्ज करना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि बहुत हल्का-सा लाठी चार्ज किया। कैसा ज्वालामुखी था जो इतनी छोटी सी रेमेडी में शांत हो गया। यह बात किसी के कयास में आ सकती है? खैर, और लोगों को तो मान लीजिये कि सत्य नहीं बोलते, विद्यार्थी गलत कहते हैं, पोलिटिकल पार्टीज गलत कहती हैं, लेकिन एक प्रोफेसर जिनका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं, जो विद्यार्थियों को केवल पढ़ाते हैं उनके चोटें लगीं, पुलिस के फूल बरसाने से नहीं बल्कि लाठियों की चोटें हैं, डाक्टरी सर्टिफिकेट इस बात का है। तो क्या बात है कि एक टीचर के भी चोट लग जाती है।

मैं उनका दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने रखूं। श्री राधेश्याम शर्मा जी ने जो वक्तव्य दिया उसका जिलाधीश ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह नितान्त असत्य है कि छात्रों पर बन्दूकों के कुंदों से प्रहार किया गया, जब जब लाठीचार्ज किया गया बहुत हल्का किया गया। पहले वाले वक्तव्य में वे कहते हैं कि अन्दर नहीं गये, होस्टल्स में नहीं गये, कोई दखल नहीं दिया, बाहर ही रहे, लेकिन यहां कहते हैं कि छात्रों के साथ जो कि शान्तिपूर्वक हैं पूरी सहानुभूति दिखायी जा रही है, रिक्शा तथा रोडवेज की व्यवस्था कर दी गयी है, यहां तक कि धोबियों से उनके कपड़े पुलिस ट्रकों द्वारा मंगा दिये गये हैं। एक तरफ तो छात्रों को स्वतंत्रता है, कोई रुकावट नहीं है और दूसरी तरफ वे इतने लंगड़े हो गये हैं कि धोबियों के यहां से कपड़े भी नहीं ला सकते। झूठ तो एक न एक बार खुल ही जाता है। शांतिपूर्ण वातावरण की पुष्टि के लिये उन्होंने कितने बड़े झूठ का सहारा लिया, उसको छिपाना चाहा लेकिन उसमें हुआ यह कि "दी कैट इज आउट आफ दि बैग"। इसके दो ही माने हो सकते हैं या तो छात्रों को बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं थी, पुलिस मार पीट रही थी जिसके कारण वे धोबियों के यहां से कपड़े नहीं ला सकते थे या दूसरी पोजीशन यह हो सकती है कि पुलिस ने इतना मारा पीटा था कि वे चलने लायक नहीं थे। यह जिला मैजिस्ट्रेट के वक्तव्य से सिद्ध है कि वे कपड़े तक लाने में लाचार थे।

इसके अलावा बनारस के "आज" में छपा है कि अदालतें बन्द रहीं, मैजिस्ट्रेटों का गश्त रहा। इसको जिला मैजिस्ट्रेट ने कंट्राडिक्ट किया कि फलां मैजिस्ट्रेट अदालत में मौजूद थे। बनारस की अदालतों में दर्जनों मैजिस्ट्रेट हैं। जिला मैजिस्ट्रेट की यह कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि उन दर्जनों मैजिस्ट्रेटों में से एक के अलावा और कोई मैजिस्ट्रेट भी अदालत में मौजूद थे क्योंकि फर्द अहकाम रोज लिखा जाता है। कहीं मिनिस्टर साहब के आने के उपलक्ष में फाटक बनने वाला है तो नहीं लिखा जाता लेकिन यह लिखा जाता है कि दूसरे काम पर थे। तो उस दिन मैजिस्ट्रेटों को और क्या ऐसी जरूरत पड़ गयी कि दिन भर अदालतों से गैरहाजिर रहे। बार एसोशियेशन ने इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पास किया। अब श्रीमन्, वाद-विवाद में न पड़ कर मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वह इस नीयत से इसको न लें कि अगर इधर के लोग गरमा जाते हैं तो उनका गरमाना तो स्वाभाविक है क्योंकि इधर के लोगों के दिलों में आग लगी हुई है और उधर के लोगों के दिलों में भी आग लगी हुई है लेकिन वह कह नहीं सकते हैं, मजबूर हैं। बहुत से सदस्य हम से कह जाते हैं कि भाई तुम यह कह देना, वह कह देना क्योंकि वह स्वयं नहीं कह सकते हैं, इसको विवाद का स्वरूप न बनायें। वह बच्चे चाहे इधर के बैठने वालों के हों चाहे उधर के बैठने वालों के हों उनमें सभी

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

को समान रूप से पुलिस ने लिया और किसी को नहीं छोड़ा। पार्टी के हिसाब से इस पर विचार नहीं होना चाहिये और न यह होना चाहिये कि विरोधी दल की तरफ से कामरोको प्रस्ताव रखा गया है इसलिये उसको इस तरह से न लिया जाय।

श्रीमन्, एक बड़े दुख की बात है कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद प्रदेश की राजधानी लखनऊ सिटी में लाठी चार्ज होता है। पहले हमारे यहां डाक्टर गैंदर पुलिस द्वारा मारा गया था। इसके बाद दुबारा फिर गोली चलाई गई। श्रीमन्, जिस तरीके से वह बात हुई वह माननीय सदस्यों में से अधिकांश सदस्य जानते हैं। इसके बाद जिस पवित्र काशी नगरी से मुख्य मंत्री जी व कमलापति जी आते हैं तथा सुशोभित करते हैं उस पवित्र नगरी में इस तरह से लड़कों के ऊपर लाठी चार्ज हो यह बड़े दुःख की बात है।

आखिर में मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यह निर्विवाद है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तथा एस० पी० कहते हैं कि लाठी चार्ज हुआ इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। बाकी बातों को छोड़ दीजिये। हम इतनी मांग करते हैं कि अगर लाठी चार्ज जस्टीफाइड था और आपकी पुलिस सही लाइन पर थी तो फिर जुडीशियल इंक्वायरी कराने में आपको क्या हिचक है? इसकी जांच होनी चाहिये और उनको कहना चाहिये कि हमारी पुलिस ने ठीक किया। हम इसकी जुडीशियल इंक्वायरी कराये ते हैं। अगर पुलिस ने नेकनियती से काम किया है और कोई ज्यादती नहीं की तो उनकी पुलिस को प्रमाण-पत्र मिल जायगा और अगर जांच नहीं की जाती है तो क्या समझा जायगा? अगर यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज हल्का भी हुआ तो क्या शिक्षा मंदिर में लाठी चार्ज करने के लिये पुलिस जस्टीफाइड थी इस पर मंत्री जी को गौर करना चाहिये। जुडीशियल इंक्वायरी से अगर पुलिस बच जाती है तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उनके विभाग का नाम होगा, बदनामी नहीं होगी।

श्रीमन्, विरोधी पार्टियों के अलावा देश के बड़े-बड़े नेताओं ने भी और बार एसोसियेशनों ने भी जांच की मांग की है तो फिर जनतांत्रिक सरकार कहलाने वाली सरकार को नहीं हिचकना चाहिये। मैं विनम्र शब्दों में आपके द्वारा मन्त्री जी से कहूंगा कि इसकी जांच करायें क्योंकि यह आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। पुलिस का उपयोग देश के डकैतों तथा चोरों के खिलाफ हो। आजमगढ़ में दिन दहाड़े म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को मार डाला वहां पुलिस ने कारगुजारी नहीं दिखाई, बाराबंकी में कितने एम० एल० एक्स० का कत्ल हो गया वहां आपकी पुलिस ने कारगुजारी नहीं दिखलाई। यह तो सारी कारगुजारी गरीब मजदूरों पर और हमारी सन्तानों के ऊपर दिखाती है जो देश के भावी नागरिक होने वाले हैं।

श्री राजबिहारीसिंह (जिला वाराणसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं काशी का नागरिक हूं इसलिये कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं न किसी विश्वविद्यालय का सदस्य रहा हूं और न किसी स्कूल में पढ़ा हूं। जिस स्कूल में मैं पढ़ा था वहां मैं गुरू के प्रति अपने कर्तव्य को मानता था और उनके लिये रोटी बनाता था। यह सीखा था कि अपने गुरू की इज्जत करें। लेकिन काशी का नागरिक होने के नाते जिस विश्वविद्यालय को मालवीय जी ने कायम किया, जिसके हमारे दोस्त राजनारायण जी छात्र रहे और जिसमें बहुत से लोग पढ़ कर आये उस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अपने वाइस-चांसलर को जूतों की माला पहनाएं। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। मैंने सोचा कि ऐसे विश्वविद्यालय को आग लगा दी जाय तो देश का, किसानों का कल्याण होगा। जिस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपने वाइस-चांसलर को जूतों की माला पहनाएं उसको जला देना चाहिये।

श्री राजनारायण—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जैसे वाइस-चांसलर के सम्बन्ध में आपने हमें नहीं कहने दिया, उधर भी रोक दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं रोक ही रहा था।

मेरी व्यवस्था यह है कि जो वहां पर घटनाएं वहां की शांति तथा व्यवस्था कायम करने के सम्बन्ध में हुई हैं सरकार की तरफ से, उस सम्बन्ध में आप जिक्र करें। उसके पहले की जो बातें, विद्यार्थियों ने वाइस-चांसलर के साथ क्या किया और वाइस-चांसलर ने क्या आर्डर दिया, इन चीजों का प्रस्तुत प्रस्ताव से सम्बन्ध नहीं है। जिस वक्त इसकी आवश्यकता पड़ी कि पुलिस द्वारा इंतजाम किया जाय उस वक्त से जो घटना हुई है वह बहस में आप ले सकते हैं। लेकिन इसके पेश्तर की घटनाओं पर आलोचना नहीं कर सकते।

श्री राजबिहारीसिंह—मुझे ठीक तारीख नहीं मालूम है। लेकिन जिस दिन काउंसिल ने प्रस्ताव पास किया कि विश्वविद्यालय बन्द कर दिया जाय और उन्होंने लोकल अधिकारियों से मांग की कि यहां शान्ति कायम करने के लिये पुलिस भेज दी जाय उस दिन भी अगर कोई बनारस का नागरिक हो, कहीं जेलखाने से, कहीं नजूमी के घर से, कहीं हवाई जहाज से, कहीं आकाश से कोई खबर सुन ले उसकी दवा मेरे पास नहीं है लेकिन मैं बनारस का रहने वाला हूं, बनारस की गली-गली में, हरिश्चन्द्र कालेज में, दयानन्द कालेज, काशी विद्यापीठ, हिन्दू विश्वविद्यालय महिला कालेज सब में बात गूंज रही थी कि लड़के अपने घर नहीं जायेंगे यहीं रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है जब त्रिलोकीसिंह जी ने यह बात कही कि वहां पर दवाओं का प्रबन्ध नहीं था। विश्वविद्यालय में दवा है, अस्पताल है। वहां डाक्टर है। दूकानें हैं, रेस्तरां है। इतनी भी जानकारी जिसको न हो उसके लिये मैं क्या कहूं। इतना बड़ा अस्पताल है कि समस्त पूर्वी जिलों के लोग आते हैं और उनकी दवा होती है। (व्यवधान) उसमें यह था कि लोग जा सकते हैं पुलिस की पर्मीशन से। पुलिस ने किनको पर्मीशन नहीं दिया? जो गुंडागीरी करना चाहते थे जो वहां के विद्यार्थी नहीं थे, जो विश्वविद्यालय में जा कर आतंक पैदा करना चाहते थे, जो नेतागीरी करने के लिये लड़कों को बहकाना चाहते थे। उनको रोकना चाहते थे। दवा और खाने का सब के लिये इन्तजाम था। उस समय सारे शहर में इस बात का आतंक था कि लड़के घर नहीं जायेंगे उपद्रव करेंगे इसलिये पुलिस को बुलाना पड़ा।

श्री राजनारायण—खोखी आवै भिनुसहरा मुंह बावै सांझ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यहां पर खड़ी बोली बोलना चाहिये। बनारसी भाषा नहीं चलेगी।

श्री राजबिहारीसिंह—मान्यवर, क्या कहूं किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं राजनारायण के रोकने पर कह रहा हूं। आप क्यों जवाब दे रहे हैं?

श्री राजबिहारीसिंह—तो मैं यह कह रहा था कि वहां के नागरिकों में आतंक था कि लड़के क्या कर डालेंगे। उस समय पुलिस का इन्तजाम किया गया। जबकि लोगों को गड़बड़ की आशंका थी। दयानन्द कालेज, हरिश्चन्द्र कालेज और काशी विश्वविद्यालय में लड़कों की मीटिंग हुई। धीरे-धीरे जब पुलिस को पता लग गया कि लड़के उपद्रव करने वाले हैं तो उन्होंने इस बात का प्रबन्ध किया कि नाके पर बनारस में कारोबार चलता रहे। रोज हड़ताल से, पिकेटिंग से और जलूस से सारे शहर का वातावरण दूषित था। आप पुरानी बातों की इजाजत नहीं देते हैं इसलिये मैं उन सब बातों को कहना नहीं चाहता हूं लेकिन वहां का वातावरण इतना दूषित था कि लोग यह समझते थे कि न जाने क्या होने वाला है। जिस दिन वहां के वाइस-चान्सलर और कौंसिल ने इस बात को लिखा था कि हमको पुलिस की मदद चाहिये तो एक विद्यार्थी अपनी सच्ची बात कहने के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया के गृह मन्त्री से मिलने जाता है। वह यह कहता है कि जो वहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तीन-चार हजार लड़के मैं, उनका प्रतिनिधि हूं और हम लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन जब वह विश्वविद्यालय में जाता है तो उसको मारा जाता है। उस विद्यार्थी ने ३२३ के अनुसार रपट दाखिल किया है। जब ये नेता लोग इस तरह से

[श्री राजबिहारी सिंह]

उनका नेतृत्व करते हैं तो फिर पुलिस क्या करे। इस प्रकार की ये बातें हैं कि जिनके लिये मजबूरी होती है।

मान्यवर, फाटक पर क्यों कब्जा करना पड़ा। दो महीने से जितनी भी यूनिवर्सिटी के गेट हैं सब पर लड़के जा कर मौजूद थे और कोई गोकेतर या लड़का यूनिवर्सिटी में आ जा नहीं सकता था। जो लड़के घर जाना चाहते थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। जब फाटक बन्द है और ताला लगा हुआ है तो फिर उसको खोलने के लिये राजनारायण जी की इजाजत चाहिये। जब ये वहां पर ७ तारीख को पहुंचे तो लड़कों से कहा कि तुम डटे रहो और अपनी मांग पर अड़े रहो। यह उन्होंने उनको सलाह दी थी। लड़के वहां पर डटे हुए थे। वह किसी को अन्दर नहीं जाने देते थे और न किसी को बाहर आने देते थे। इसलिये यह मजबूरी हुई जिसके कारण पुलिस को वहां जाकर ताला तोड़ना पड़ा। यह जरूर है कि जब २ दल टकराते हैं तो किसी न किसी के चोट अवश्य आती है। तो जो वहां पर लेटे हुए थे उनको जरूर वहां से हटाना था तो इसी में उनको चोट लगी होगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। राधेश्याम जी का नाम आया। मैं इस बारे में अपनी बात नहीं कहता हूं। यूनिवर्सिटी के चार प्रोफेसर डाक्टर पांडेय और तीन और हैं जिन्होंने बतलाया है कि यह घटना कैसे हुई और किस तरह से राधेश्याम जी को चोट लगी। दो घंटे तक जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान वहां पर घिरे खड़े रहे। उनके पास न कोई बन्दूक थी और न कोई लाठी थी। यह दोनों आदमी कप्तान और जिला मैजिस्ट्रेट तीन हजार विद्यार्थियों से घिरे हुए थे। वहां पर कई प्रोफेसर भी उस समय मौजूद थे और दूसरे आदमी भी थे। उन लोगों ने लगातार कहा कि आप लोग यहां से हट जाइये और दोनों हाथ उठा कर उन्होंने उनसे कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिये। जब बगल के थाने से पुलिस आई तब भी उन्होंने इस बात को कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिये और न कोई लाठी चलाये। उस समय भी राधेश्याम जी कहते हैं कि हमारी डिमान्ड पूरी होनी चाहिये और हमारी मांग जरूर पूरी होनी चाहिये। फिर जो उपद्रव हुआ तो उसमें उनको चोट लग गई होगी। अगर कोई अखबार वाला यह बात कह दे कि इस तरह से वहां पर हुआ जैसे कि हमारे मित्र कहते हैं तो मैं मान लूंगा। वैसे कहने के लिये बात कह दी जाती है कि खाने को नहीं मिला और दवा नहीं मिली। झूठी बात न कहने के लिये कोई विधान तो है नहीं। गलत बात को कह देने से यह सत्य नहीं हो सकती है। वहां पर हजारों आदमी अस्पताल से दवा लेने जाते हैं तब भी यह कह दिया जाता है कि दवा नहीं की गई तो फिर इसके लिये क्या कहा जाय। जो वास्तविक घटना है वह मैंने काशी का नागरिक होने के नाते कह दी। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—श्रीमन्, हमारे पूर्व वक्ता ने यह विचार व्यक्त किया कि जब वहां सर सुन्दरलाल अस्पताल है तो फिर चिकित्सा की सुविधा कैसे नहीं हो सकी। उनको यह नहीं मालूम है कि जिलाधीश ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी है उसमें जिलाधीश ने स्वयं यह कह दिया है कि ५ बजे ही पुलिस वहां पर चली गई। सर सुन्दरलाल हास्पिटल के डाक्टर हास्पिटल में नहीं रहते। वे बाहर से आते हैं, कम्पाउन्डर बाहर से आते हैं। नाइट ड्यूटी वाले थोड़े से लोग वहां रह जाते हैं, वह भी आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थी हैं और उन्हीं में से कुछ हाउस सर्जन होते हैं। तो यह सारी डिटेल्स की बातें हैं जो उनकी समझ में नहीं आयीं और उन्होंने एक अनोखा तर्क प्रस्तुत कर दिया कि कैसे लोगों को चिकित्सा की सुविधा नहीं मिली।

आप फर्माते हैं कि वहां के नागरिकों को इन विद्यार्थियों के आतंक से इतनी परेशानी हो चली थी कि और कोई चारा नहीं था। मैं उनकी सेवा में आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उन्होंने काशी के नागरिकों के प्रस्तावों को देखा होता, बार एसोसियेशन के प्रस्तावों को देखा होता, नागरिकों की एक कमेटी छात्रों की सहायता के लिये बनी थी, उसके प्रस्तावों को देखा होता तो शायद उनको यह बात समझ में आ गयी होती कि काशी के नागरिक पुलिस ने जो जो यह बर्बर व्यवहार विद्यार्थियों के साथ किया है उसको कितना बुरा मानते हैं। काशी के

नागरिकों की ही बात नहीं, काशी से निलकने वाले वह पत्र, जो स्वाधीन्ता संग्राम के समय का सब से पवित्र पत्र है, का मत है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पुलिस के आतंक से श्मशान घाट की शान्ति हो गई। शर्म नहीं आती जनतंत्र की दुहाई देने वाले लोगों को कि एक ऐसे मौके पर जब कि एशिया के सारे देश इस खतरे से परेशान हैं कि उनके देश में जनतंत्र रह भी पायेगा या नहीं, पुलिस के कुकृत्यों की इस प्रकार वकालत की जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है। मैजिस्ट्रेट ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें कहा है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्सात्मक परिस्थिति हो चली थी, रायट हो रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमन्, आप के द्वारा कि जिस दिन की यह घटना है उस के पहले कितने रायट हुए? उनकी रिपोर्ट क्या किसी पुलिस के आफिस में है? कितनी अशान्ति फैली थी? इसका सब से बड़ा सबूत यही है कि पूरे संग्राम के समय में, जिसको संग्राम कहा जा रहा है, महज दो दिन तक कालेज बन्द रहे। डेढ़ महीने की लड़ाई में महज दो दिन कालेज बन्द रहे। एक साधारण हड़ताल थी और उसमें विद्यार्थियों ने प्रस्ताव पास किये। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फर्माते हैं रायटस कंडीशन थी, रायट हो रहे थे, हिन्सा हो रही थी। कितने लोग मारे गये? इसको भी उनको अपनी रिपोर्ट में देना चाहिए था।

आप फर्माते हैं कि जब हम लोग गेट पर गये तो वहां ५० विद्यार्थी थे। शायद वह भूल जाते हैं कि वह ५० गज लम्बा फाटक है और वहां तीन फाटक हैं उनमें पूर्वी फाटक खुला हुआ था। इसका बयान भेलूपुर के दरोगा ने इस केस के सिलसिले में स्वयं मैजिस्ट्रेट के सामने दिया है और उसने कबूल किया है कि पूर्वी दरवाजा खुला हुआ था। यह भी गलत है कि पुलिस ५ बजे वहां गयी। पुलिस वहां ४ १/२ बजे ही पहुंच गयी थी। कहते हैं कि ताला हम को तोड़ना पड़ा। ताले की चाभी विद्यार्थियों के पास नहीं थी वह तो चपरासियों के पास थी। शान्त सोये हुए विद्यार्थियों पर अमानुषिक प्रहार किया जाता है और फिर उसे अपनी झूठी दलीलों से छिपाने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि महज १०, २० आदमियों को चोटें आयीं। मैं आप से निवेदन करूं कि पुलिस वहां ५ बजे तक इकट्ठा हो गयी थी। तो यह स्वाभाविक था कि विद्यार्थी या अन्य लोग पता लगाने की कोशिश करते कि मामला क्या है। वह कौन सी असाधारण बात हो गयी है कि इतनी पुलिस यहां आ गई। ठीक ऐसा ही विचार लेकर प्रोफेसर राधेश्याम जी वहां गये और उन्होंने देखा कि उनके सामने विद्यार्थी बुरी तरह पीटे जा रहे हैं। उन्होंने जब मना किया तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बेशर्मी के साथ कहता है उस राधेश्याम को कि जिनका नाम १९४२ के जमाने में डाक्टर गैरोला के साथ बड़े आदर से लिया जाता था, कि इस साले को भी पीटो और बुरी तरह से पीटो। तो यह सारी घटनाएं होती हैं। मैं तो यह सोचता हूं कि पुलिस मन्त्री गंगा के नाम पर, विश्वनाथ के नाम पर, अगर उनके नाम वह भूल गये हों तो जनतंत्र के नाम पर, पुलिस ने जो कुकृत्य किया है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश न करें। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कबूल किया है कि छात्रों को मारा गया, उनको सवारी दी गयी, सवारी किस स्थिति में दी गयी? वहां से स्टेशन ८ मील है, हिन्दू विश्वविद्यालय की बाउन्ड्रीवाल ८ मील है, कुछ हेस्टल्स गेट से दो-दो मील की दूरी पर हैं। माननीय मन्त्री जी को यह रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी। इस प्रकार से ले जाये जाने वालों में हमारी मातायें और बहनें भी थीं। मैं मातायें इसलिये कह रहा हूं कि उनमें कुछ ऐसी स्त्रियां भी थीं जो मां बन चुकी थीं लेकिन जिनको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिलना थी। तो हमारी मां बहनों को पुलिस के जरिये से भेजा गया, इसके लिये उन्हें शर्म नहीं आयी और रिपोर्ट को बड़े गौरव के साथ सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया।

मान्यवर, इसके बारे में कुछ और तथ्यों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कहा जाता है कि दफा १४४ की घोषणा हो चुकी थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दफा १४४ ठीक ८ बजे लगायी गयी थी। कहा जाता है कि जो लाठी चार्ज हुआ वह केवल माइल्ड लाठी चार्ज था। मैं उस दिन बलरामपुर अस्पताल में बीमार था। पुलिस मन्त्री जी से मेरी मुलाकात वहां हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि आजकल मेरे कुछ ग्रह बहुत खराब हैं। यह उस घटना की जो प्रक्रिया उन पर हुई, उसके बारे में उन्होंने मुझ से कहा था। उन्होंने

[श्री रामायण राय]

कहा था कि मेरे ग्रह खराब हैं जो मुझसे ऐसे-ऐसे काम इस पुलिस मंत्रित्व काल में करा रहे हैं। इसको वे व्यक्तिगत रूप से स्वयं अनुभव कर रहे थे कि वहां के अधिकारियों ने जो कुछ किया वह अन्याय था। वह ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके विद्यार्थियों और अध्यापकों की सेवायें और बलिदान स्वतंत्रता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जायेंगे, उन विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने यह कुकृत्य किया। गंगा के नाम पर, काशी के नाम पर और जनतन्त्र की रक्षा के नाम पर, आज मैं उनसे अपील करता हूं....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह शपथ दिलाने की पद्धति ठीक नहीं है।

श्री रामायण राय--मैं उनसे अपील करता हूं कि पुलिस ने जो काशी में अत्याचार किये हैं उनको एक बार सदन में ईमानदारी के साथ कबूल कर लें। इससे उनका मंत्रित्व खतरे में नहीं पड़ेगा। इससे उनकी मर्यादा में, देश की मर्यादा में और काशी की मर्यादा में वृद्धि ही होगी। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनको इन घटनाओं को केवल राजनैतिक पुट के रूप में नहीं देखना चाहिये। पुलिस मन्त्री होने के साथ-साथ वे शिक्षा मन्त्री भी हैं। इस प्रकार जो एजुकेशन ब्योरेट्स के बल पर किया जायगा, उससे देश का भविष्य कैसा होगा, इसकी भी उनको कल्पना करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं पुनः मांग करता हूं कि जिन अधिकारियों ने इतने शर्मनाक तरीके से यह कुकृत्य किया है उनके विरुद्ध एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाय। उसकी जांच होनी चाहिये और जो छात्र काशी विश्वविद्यालय से निकाले गये हैं उनको फिर से पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिये।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री महावीर प्रसाद शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--इसको बाद में ले लिया जायेगा, अभी तो मन्त्री जी के जवाब देने का समय है।

श्री त्रिलोकी सिंह--माननीय मन्त्री जी के लिये ३० मिनट का समय निर्धारित हुआ है। मुझे भी उसका जवाब देना है। ६ बजे इसको खत्म होना है। दूसरे एडजर्नमेंट मोशन्स में क्लोजर मूव करने की पुरानी परम्परा है।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, इस सारे वाद-विवाद के सुनने के बाद मुझे हमेशा की तरह जो विरोधी पक्ष की ओर से निराशा होती है, वही आज भी हुई। इस सारे घटनाक्रम को इस आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत करते समय मुझे यह आशा थी कि वह उस भूमिका का उल्लेख करेंगे जिसके कारण प्रदेश की पुलिस को प्रायः मजबूर होकर अपने देश के इन भावी नागरिकों को अनुशासन में ले आने के लिये विवश होना पड़ता है। लेकिन मान्यवर, आप देखते हैं जब कभी भी छात्रों में अनुशासनहीनता का कोई प्रसंग आता है तो किस तरह से छोटे-छोटे मसलों को लेकर वह खड़े हो जाते हैं और विरोधी पक्ष के भाई उसे एक राजनैतिक कैपिटल बनाने की चेष्टा करते हैं। कभी भी यह नहीं उन्होंने कहा इस घटना के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की तरफ से कि उनके अधिकार और मर्यादा की सीमा का उल्लंघन हुआ था अथवा नहीं। क्या इस प्रदेश की पुलिस को, या इस प्रदेश की सरकार को या इस प्रदेश के मन्त्री महोदयों को अपने इस प्रदेश के प्यारे विद्यार्थियों से मुहब्बत नहीं है? क्या इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उनके घरों के छात्र नहीं हैं? क्या इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों में इस कक्ष के बैठने वालों के घरों के छात्र नहीं हैं? हम लोगों को उनके कल्याण की, उनके अभ्युत्थान की, उन्हें अच्छा नागरिक बनाने की चिन्ता नहीं है? परन्तु मान्यवर, जब हम देखते यह हैं कि वह अपने अधिकार की सीमा का उल्लंघन करते हैं, वह वाइस-चांसलर को कैद करते हैं, रजिस्ट्रार को बाहर नहीं जाने

देते, विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं करने देते, अपने घर जाने वाले विद्यार्थियों को घर नहीं जाने देते, विश्वविद्यालय में काम करने वालों को आने नहीं देते, सभी प्रवेश-द्वारों को बन्द कर देते हैं, अपनी सीमा का अतिक्रमण करते हैं, तो अपने घर में भी बालक अगर ऐसा करता है तो हम लोग उसे दण्ड देते हैं और उचित दण्ड दिया करते हैं। ऐसे छात्र वर्ष के आठ महीने अपने मां-बाप के पैसे का अपव्यय करते हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे सामने बैठने वाले लोग जो विरोधी पक्ष में बैठते हैं वह हमारे समाज की इस बीमारी की तरफ ध्यान नहीं देते और जब कभी ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है वह लोग यहां आकर के सरकार की निन्दा का प्रस्ताव करते हैं। माना पुलिस को और फौज को ऐसे कठोर काम करने पड़ते हैं, किन्तु जब तक वह शुभ घड़ी संसार में नहीं आती, मानवता का इतना उत्थान नहीं हो जाता कि पुलिस और फौज की आवश्यकता न पड़े तब तक समाज के बन्धनों की सीमा को लांघने वालों के लिये पुलिस को आना ही पड़ेगा। विद्यार्थी हों, या कोई भी व्यक्ति हो यदि वह अपने अधिकार की सीमा का उल्लंघन करता है तो आखिर किस तरह से दूसरे नागरिकों की स्वाधीनता की रक्षा की व्यवस्था की जाय? वाइस-चांसलर बन्द रहे घर में उसकी किस तरह से रक्षा की जाय? फिर पुलिस किस दिन काम आयेगी? आज भाई राजनारायण जी, या श्री त्रिलोकी सिंह जी को कोई रांगफुल कंफाइनमेन्ट में रख ले और वह पुलिस मन्त्री से सहायता की याचना करें तो पुलिस मन्त्री का कर्त्तव्य होगा कि उनको छुड़ाने के लिये वह पुलिस भेजे। उनकी नागरिक स्वाधीनता की रक्षा करना उनका कर्त्तव्य हो जाता है। इसी तरह विश्वविद्यालय के उस वर्ग की स्वाधीनता खतरे में थी जो कार्यकारिणी के प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालय को छोड़ना चाहते थे, उनको रोकने का कोई अधिकार उन छात्रों को नहीं था चाहे वह २०० रहे हों, ४०० रहे हों या २,००० रहे हों। जो अपने अधिकार का अतिक्रमण करे उसको मर्यादा के अन्तर्गत रखने के लिये पुलिस को सदैव लाना पड़ता है। मैं मानता हूं कि पुलिस ने उस सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है जितने की कि आवश्यकता थी। पुलिस की तरफ से किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है और विरोधी पक्ष के साथियों में से किसी ने भी जाकर के इस बात को जानने की चेष्टा नहीं की है। न माननीय त्रिलोकी सिंह जी गये, न हमारे आदरणीय गोविन्द सिंह जी गये, कोई भी दूसरा व्यक्ति वहां नहीं गया जिसने कि जाकर के तथ्य का पता लगाने की चेष्टा की होती।

मैं तो माननीय चन्द्रजीत जी से जिन्होंने जनतंत्र की बड़ी दुहाई दी है, कहना चाहता हूं कि उस प्रदेश की तरफ भी देखें जहां कि विद्यार्थियों पर भी निर्दयता का व्यवहार हुआ है। केरल की तरफ वह देखें जहां कि मजदूरों के साथ निर्दयता का व्यवहार हुआ है और केरल सरकार ने इंटीमिडेट किया है। जरा उसकी तरफ भी निगाह करें।

मैं मान्यवर, नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारी ऐसी कोशिश रही तो हमारे समाज का बहुत बड़ा अहित होगा। हमारे विद्यार्थी तो हमारे आदर के पात्र हैं। हमें भी उनकी उतनी ही चिन्ता है। हम उनके समय का सदुपयोग हो और उनको सही रास्ते पर ले चलने की प्रेरणा मिले यह चाहते हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री कमलापति त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री त्रिलोकीसिंह—मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि ६ बजे इस पर बहस समाप्त हो जायगी क्या आप उनको ऐसा मौका देंगे कि उनका भाषण ऐसे समय से समाप्त हो जाय कि इस प्रश्न के ऊपर इस सदन की राय ली जा सके।

श्री अध्यक्ष—क्लोजर के लिये वोट लूंगा।

श्री त्रिलोकीसिंह—माननीय मंत्री को आध घंटा देने के लिये तय किया गया था तो उसके पहले क्लोजर नहीं हो सकेगा और उसके बाद क्लोजर होता है तो वह लिया न जा सकेगा। ६ बजे के बाद कोई विवाद नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष--६ बजने में ५ मिनट जब होंगे तो क्लोजर के लिये जो प्रस्ताव आवेंगे उन पर मैं राय ले लूंगा। अगर उस वक्त क्लोजर पास हो जाता है तो प्रस्ताव पर राय ले ली जायगी, अगर नहीं पास होता है तो आप वाद-विवाद समाप्ति पर ही जवाब दे सकेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--१५ मिनट पहले आप क्लोजर मूव करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष--मैं क्लोजर का प्रस्ताव अभी लिये लेता हूं इसी वक्त।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में — ७५,
विपक्ष में — १८४।)

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)--श्रीमन्, यह इतनी गम्भीर समस्या है कि इसके लिये लिखित विभाजन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--वह तो अब नहीं मांगा जा सकता।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, इस विषय पर जो प्रस्ताव नेता, विरोधी दल जी ने प्रस्तुत किया था उसकी परिधि संकुचित थी। पर मैं देखता हूं कि जो विवाद इस पर हुआ वह बड़े व्यापक क्षेत्र में हुआ और उन सब का उत्तर देने में थोड़ा समय लगता किन्तु वह ५ मिनट भी मेरे कट गये। फिर भी मैं आपकी आज्ञा से चेष्टा यह करूंगा कि समय के भीतर अपना उत्तर दे दूं।

किसी भी शिक्षा की संस्था अथवा विद्यार्थियों के ऊपर जब कभी भी बल का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है तो उससे सिवा पीड़ा और दुख के और कोई परिणाम उसका नहीं निकलता। हमारे आदरणीय पालीवाल जी ने यह कहा कि यदि ऐसी घटनायें हों तो उस पर शर्म का अनुभव होना चाहिये। मैं मान्यवर, स्वीकार करता हूं कि जब कभी विद्यार्थियों के विरुद्ध अथवा किसी भी प्रकार कहीं भी बल का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है और हृदय के भीतर लज्जा का भी अनुभव होता है। किसी भी लोकतन्त्रात्मक समाज में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो यह किसी सरकार के लिये भी शोभा की बात नहीं है और न उस जन-समाज के लिये और न जनता के नेताओं के लिये शोभा की बात है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जिसमें सरकार को इस प्रकार की कार्यवाही करनी पड़े। अभी रामायण राय जी ने कहा, जिनकी अवस्था बहुत थोड़ी है, मुझे कसम धरायी गंगा और विश्वनाथ की और मेरी ईमानदारी को चुनौती दे रहे थे। मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि जो उनसे कोई बातचीत हुई हो तो उस विषय को यहां सदन में रखें कि आप ईमानदारी से कहिये कि यह बात कही थी या नहीं। वह बीमार थे, मैंने उनसे कहा था कि मुझे कष्ट है कि इस प्रकार की घटना हुई। मेरी ईमानदारी तौलने की चेष्टा करें और गंगा और विश्वनाथ जी की कसम धरायें इसकी कोई बड़ी भारी आवश्यकता नहीं थी।

मान्यवर, आज इस विवाद से मुझे इस बात का कष्ट हुआ कि सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से अगर कोई ज्यादती हुई है तो इस आदरणीय सदन को सर्वथा अधिकार है और मैं जवाब देने के लिये तैयार हूं, मुझसे जवाब तलब करें कि क्यों ऐसी घटना हुई। पर साथ ही साथ यह उम्मीद की जाती है और आवश्यक है जनतंत्र के विकास के लिये और शान्ति और व्यवस्था के लिये इस बात की भी जांच कर ली जाय कि यदि वस्तुतः ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई हो जिसमें शान्ति और व्यवस्था के लिये सरकार को इस प्रकार की कार्यवाही करनी पड़ी हो तो उस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करने वालों को भी, इस आदरणीय सदन से या नेताओं से एक चेतावनी मिलनी चाहिये। कभी भी कानून को अपने हाथ में लेकर, एक छोटे विषय को नष्ट-भ्रष्ट कर के इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो इससे सब को दुखः होता है।

खेद इस बात का है कि ऐसा नहीं किया जाता है। मैं उन बातों को सामने रखूंगा और ईमानदारी और सच्चाई के साथ उपस्थित करूंगा। आप हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं, पर साथ ही यह भी काम है आपका कि आप इस चीज को भी देखें कि वह जनता या वर्ग या व्यक्ति या समूह, जिसके द्वारा इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसे भी यहां से सावधान करें। और उसने अगर इस प्रकार की कार्यवाहियां की हों जिसमें कानून अपने हाथ में लेकर अव्यवस्था उत्पन्न करने की चेष्टा की गई हो तो उसको तम्बीह करें। कुछ निन्दा करें और चेतावनी दें कि जनतंत्र में इस प्रकार की व्यवस्था को भंग करने की चेष्टा सर्वथा जनतंत्र के उन्मूलन और उसके विनाश का कारण हो सकती है लेकिन इस तरह की बातें न करना. . . .

(शोर) मैं माननीय विरोधी दल के नेता से चाहूंगा कि वह अपने आदमियों से कहें कि वह हमें पांच मिनट बोलने दें और अपनी बात कहने दें।

श्री त्रिलोकी सिंह--मान्यवर, उन्होंने मुझे सम्बोधित किया है, चूंकि उन्होंने प्रयत्न किया है कि मुझे बोलने का मौका न मिले इसलिये मुझे अफसोस है कि अपने साथियों से मैं कुछ कहने के लिये मजबूर हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं वह तो मेरा काम है, गृह मंत्री जी यहां की शांति व्यवस्था के लिये मुझे सम्बोधित करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने तो उनके प्रति आदर के वशीभूत हो कर कहा था, लेकिन संस्कृति और सभ्यता बड़ी देर में आती है और उसकी कोई दवा मेरे पास नहीं है।

इसमें तीन प्रश्न उठाये गये हैं। इस शोरगुल करने से मैं घबड़ाने वाला आदमी नहीं हूं क्योंकि आपकी कृपा से माननीय विरोधी दल के नेता बहुत बार ऐसा कर चुके हैं और जानते हैं कि मैं खिसकने वाला आदमी नहीं हूं।

तो मैं कह रहा था कि इस बहस में तीन प्रश्न उठाये गये हैं। एक तो यह कि पुलिस वहां क्यों गई? क्या उसका जाना वहां उचित था एक शिक्षा संस्था में? दूसरा प्रश्न यह था कि पुलिस अगर गई तो उसने ज्यादती क्यों की? उसने ज्यादती या जबरदस्ती की या नहीं की? और तीसरा प्रश्न यह है कि जो कुछ किया गया उससे जिन लोगों को चोट चपेट आई उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई? यही तीन प्रश्न मुख्य रूप से उठाये गये इस प्रस्ताव को पेश करने में।

पहले मैं आपकी आज्ञा से यही बतलाऊंगा कि पुलिस वहां क्यों गई। मैं यदि पहले की बातें कहूंगा तो श्रीमन्, आप टोक देंगे कि मुझे उस के पहले की बातें कहने का अधिकार नहीं है, इसलिये मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। २७-२८ सितम्बर को एक्जीक्यूटिव कौंसिल की मीटिंग हुई बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की, उसने एक प्रस्ताव पास किया . . . .

श्री गौरीशंकर राय--मान्यवर, प्वाइंट आफ आर्डर है कि आपने पहले व्यवस्था दी है कि केवल इसी विषय के सम्बन्ध में बात की जाय, लेकिन मंत्री जी एक्जीक्यूटिव कौंसिल के विषय में बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, आप बैठें, मेरा काम आप न करें। मैं जवाब देता हूं। वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल के प्रस्ताव की टीका नहीं कर सकते कि उसने गलत किया या सही किया, उस तरह की चीज वह कहेंगे तो मैं रोकूंगा लेकिन वह अपनी बात का सिलसिला लगाने के लिये कह सकते हैं कि २७-२८ सितम्बर को एक्जीक्यूटिव कौंसिल की मीटिंग हुई।

श्री कमलापति त्रिपाठी--तो मान्यवर, २७-२८ तारीख को एक्जीक्यूटिव कौंसिल की मीटिंग हुई और उसने एक प्रस्ताव पास किया जिसको रजिस्ट्रार हिन्दू विश्वविद्यालय ने

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

बनारस के कमिश्नर, जिलाधीश और यहां के गृह विभाग को भेजा। वह प्रस्ताव ३ अक्तूबर को यहां आया। उसको मैं पढ़े देता हूं। वह यह था कि:

"I am directed to send herewith copy of the resolution passed by the Executive Council of this University, at its meeting held on the 27th and 28th of September, 1958, according to which it has been resolved that the University be closed with effect from the 8th October, 1958. A copy of the notification proposed to be issued on the 7th October, 1958, in this respect, is also enclosed herewith.

I am also to invite your attention to para 2 of the resolution and to request you kindly to help to restore law and order in the University."

इसका अर्थ यह है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने २७–२८ सितम्बर को एक प्रस्ताव पास किया जिसमें उसने निश्चय किया कि ८ अक्तूबर से विश्वविद्यालय बन्द कर दिया जाय और हम पैरा २ की तरफ अटेन्शन इन्वाइट करते हैं और आप से यह प्रार्थना करते हैं कि ला ऐण्ड आर्डर को रेस्टोर करने में आप हमारी सहायता करें।

अब मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से वह जो प्रस्ताव मेरे पास आया, उसे पढ़ कर सुनाये देता हूं:

"The Executive Council, having watched with deep distress the rampant indiscipline and lawlessness among a section of the students that has been prevailing in the University for the last few weeks as evidenced by the activities set out in the memorandum hereto annexed ;

Having been prevented by a body of students from holding its meeting scheduled for the 27th September, 1958, at the usual place, viz. the Committee Room of the Registrar's Office by reason of their refusal to let the Vice-Chancellor enter the campus and having been compelled to hold the meeting outside the campus ;

Considering that the Vice-Chancellor has been prevented from entering the campus and occupying his usual place of residence for over a month;

Considering further that the Pro- Vice-Chancellor and the Registrar were prevented from leaving the campus of the University to meet the Vice-Chancellor on official business on the morning of the 27th September, 1958, and that the Registrar and the Chief Proctor find it very difficult to discharge their day-to-day functions of the University and that thus the administration of the University has been virtually brought to standstill;

Considering also the threats which have been held out by some of the students of the Ayurvedic College and the College of Technology to the effect that if their demands are not accepted immediately, serious consequences would follow ;

Considering also the report from Prof. Rajeshwar Datt Shastri to the effect that the students of the College of Ayurveda would not accept him in the College in any capacity and that he should therefore submit his resignation ;

Realizing that it has become practically impossible to carry into effect the object and purpose for which it has been constituted, first in the President's Ordinance and later by the recent Act of Parliament, and

Profoundly regretting that in the circumstances there is no other practical means of restoring normal conditions of life and work in the University ;

Resolved that—

(1) the University be closed with effect from the 8th October, 1958, and that the date of reopening be notified later as soon as normal conditions are restored in the University ;

(2) the District Magistrate be informed of the decision of the Executive Council to close the University and that he be requested to help to restore law and order in the University ;"

श्री गौरीशंकर राय—इसका हिन्दी में अनुवाद कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—पूरा अनुवाद करना आवश्यक नहीं है। आप मुख्तसर में कह दें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मेरी दरख्वास्त है कि इस सब का अनुवाद कर दिया जाय, हम जैसे लोगों के कुछ पल्ले नहीं पड़ा।

श्री अध्यक्ष—पूरा अनुवाद करना इसलिए आवश्यक नहीं है कि प्रदेशीय पुलिस वहां क्यों गयी, इसके ऊपर तो विशेष झगड़ा नहीं है। आगे चल कर पुलिस ने क्या किया उसके ऊपर विवाद है। आपने पढ़कर सुना दिया, अब संक्षेप में उसका अनुवाद कर दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—क्यों पुलिस गयी और पुलिस को कोई ऐक्शन क्यों लेना पड़ा इसको मुझे साफ करना होगा।

संक्षेप में यह है कि "यह देखते हुए कि २७ सितम्बर को हम कमेटी रूम में अपनी बैठक नहीं कर सके एक्जीक्यूटिव कौंसिल का, यह देखते हुए कि वाइस-चांसलर को भीतर नहीं जाने दे रहे हैं, यह देखते हुए कि रजिस्ट्रार और प्राक्टर को अपना काम नहीं करने दे रहे हैं और कैम्पस के बाहर नहीं जाने दे रहे हैं और वाइस-चांसलर से नहीं मिलने दे रहे हैं, और यह देखते हुए कि धमकियां दी जा रही हैं कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गयीं तो बड़े बुरे नतीजे होंगे, और यह देखते हुए कि यूनिवर्सिटी का काम चलाना इम्पासिबिल कर दिया गया है, हम यह राय अपनी करते हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सूचना देते हैं कि हम यूनिवर्सिटी बन्द कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह ला ऐण्ड आर्डर को यहां स्थापित करने में हमारी मदद करें।

यह उनके प्रस्ताव का स्वरूप है और मान्यवर, एक थोड़ा सा अनेक्सचर है उसके साथ, उस में कहा गया है :

"The continued forcible prevention by some students of the entry of the Vice-Chancellor into the University campus to perform his legitimate statutory duties has created a situation which has seriously affected the administration of the University."

श्री गौरी शंकर राय—एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप का क्या प्रश्न है ?

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, आधे से अधिक समय उन्होंने एक्जीक्यूटिव कौंसिल के प्रस्ताव में ले लिया, हमारी बातों का क्या उत्तर दिया और कब देंगे ?

श्री अध्यक्ष—अगर उत्तर नहीं मिलता है, अगर वह अपना समय जाया कर देना चाहते हैं तो समय खत्म हो जायगा, उनका भाषण आधा रह जायगा।

विषय जारी रहे।

श्री त्रिलोकी सिंह—एक व्यवस्था का प्रश्न मैं उपस्थित करना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जिस हिस्से को पढ़ना चाहते हैं वह इस प्रकार है :

i"The Vice-Chancellor had been subjected to continued insults".

[श्री त्रिलोकीसिंह]

मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि यह वाकया, जो मेरा प्रस्ताव है, जिसको मान्यवर ने इजाजत दी है और इस सदन ने इजाजत दी है उसका वास्ता बिलकुल इस इनसल्ट से नहीं है। उसका वास्ता उन इनसल्ट्स से हो सकता है जो ८ तारीख या उसके बाद हुई और यह सारी गाथा बयान कर रहे हैं ८ तारीख से २०, २५ रोज, महीना भर पहले का। इसलिये मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि मान्यवर उनको ऐसे वाकये को यहां लाने की इजाजत न दें।

श्री अध्यक्ष--मैंने उनको दो, तीन दफा इशारा किया कि यह मान्य है कि पुलिस को वहां भेजने का जस्टिफिकेशन है चूंकि एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने कहा कि हम यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते, अव्यवस्था है। फिर उसके बाद पुलिस ने वहां क्या कार्यवाही की, इसके बारे में सवाल है। (कई सदस्यों के बोलने पर) आप कृपा कर के मेरा काम न करें। जब मैं बोलता होऊं उस वक्त किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। तो मैंने दो, तीन बार इशारा किया कि समय कम है, मुख्य प्रश्न पर मंत्री जी जवाब दें। यह प्रश्न नहीं है कि पुलिस क्यों गई। पुलिस को अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। किसी ने बीच में ऐसा प्रश्न उठा दिया था लेकिन वह महत्व का नहीं था। अगर किसी ने प्रश्न उठाया कि पुलिस को यूनिवर्सिटी के कैम्पस में नहीं जाना चाहिये था तो ऐसे कांस्टीट्यूशनल सवाल का इस बहस के वक्त महत्व नहीं था। लेकिन फिर भी अगर वे अपना समय इसमें खर्च कर देना चाहते हैं क्योंकि डिबेट में यह प्रश्न आ चुका है तो, उसका नतीजा यह होगा कि जो आक्षेप पुलिस के कार्य पर हुये हैं उनका जवाब वे नहीं दे सकेंगे। तो इसके लिये वे जिम्मेदार हैं, मैं उनको रोकूंगा नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठा सकता हूं, यह मेरा हक है, आप क्यों नहीं इजाजत दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं बैठने के लिये तैयार हूं लेकिन आप प्वाइंट आफ आर्डर को भी उठाने की इजाजत क्यों नहीं देते?

श्री अध्यक्ष--आप जब आब्स्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो मैं इजाजत नहीं दे सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आब्स्ट्रक्शन नहीं, मैं तो प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें, कोई प्वाइंट आफ आर्डर का विषय नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--अब मैं आगे उस विषय पर नहीं कहूंगा। इतना ही कह देना चाहता हूं कि ३ अक्तूबर से ७ अक्तूबर के बीच में कई चिट्ठियां इस बात की आयीं कि डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज कोई कार्यवाही नहीं कर रही हैं और हमारी जिन्दगी खतरे में है। ये चिट्ठियां रजिस्ट्रार, प्राक्टर और प्रो-वाइस-चांसलर की थीं जिन्हें चांसलर साहब ने भेजा। ८ तारीख को प्रातः काल ५ बजे पुलिस वहां पहुंची इस विचार से कि ७ तारीख की शाम को यूनिवर्सिटी कैम्पस के बाहर एक जलूस निकला। हमारे एक भाई ने कहा कि ८ तारीख को प्रातः काल ८ बजे दफा १४४ लगी। यह बात गलत है, नोटिफिकेशन मौजूद है। ७ तारीख की शाम को दफा १४४ लगाई गई। एक बड़ा भारी जुलूस निकला जब यह नोटिफिकेशन हो गया कि ८ तारीख से यूनिवर्सिटी बन्द हो जायगी। वह जलूस शहर होते हुये मोतीझील गया जहां वाइस-चांसलर, आनरेरी ट्रेजरर, बनारस यूनिवर्सिटी के घर ठहरे हुये थे। उन्होंने उस जगह को घेरा, बहुत देर तक मीटिंग हुई....

श्री राजनारायण--वे जब गये तो दफा १४४ लगी थी या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--लौटते हुये, "भारत" अखबार के दफ्तर पर कुछ उन्होंने ढेले भी फेंके और वे यूनिवर्सिटी कैम्पस में गये और सारे दरवाजे बन्द कर दिये रात को और विद्यार्थियों की ओर से पहरा बिठा दिया गया और यह घोषणा कर दी गयी कि कल से

यूनिवर्सिटी बन्द हो रही है, अब हम न तो किसी को निकलने देंगे और न किसी को बाहर से भीतर आने देंगे। जो अधिकारी वहां रह गये थे, रजिस्ट्रार, प्राक्टर, प्रो-वाइस-चांसलर, उनके घर घेर लिये। भीतर से दरवाजे बन्द कर दिये गये, ताला बन्द कर दिया गया। अब तक डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज ने हस्तक्षेप नहीं किया था। लेकिन जैसा कि आपने प्रातःकाल कहा कि जब ऐसी कोई सिच्युएशन पैदा हो जाय तो ला एण्ड आर्डर मेनटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है, तो उनके बुलाने पर पुलिस प्रातःकाल ५ बजे पहुंची। उसने देखा कि दरवाजा बन्द है। चाहा कि पुलिस को अन्दर ले जाने के लिये दरवाजा खोला जाय लेकिन वहां ५०-६० विद्यार्थी थे उन्होंने इन्कार किया। पुलिस अन्दर गई और ताला तोड़ा। रेजिस्टेंस हुआ तो लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद रजिस्ट्रार, प्रो-वाइस-चांसलर, प्राक्टर तथा जहां-जहां भी विद्यार्थियों का पहरा था उनको वहां से हटाया गया और एनाउन्स किया गया कि जिनको बाहर जाना हो वह चले जायं। अब यूनिवर्सिटी गेट हमारे हाथ में है। किसी को कोई रुकावट नहीं है।

दो घंटे के बाद एक विद्यार्थियों का प्रोसेशन आया जिसमें काफी विद्यार्थी थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी में घुसने की चेष्टा की। पुलिस ने उनको रोका कि यह अन-लाफुल है। लेकिन वह नहीं माने। फिर लाठी चार्ज हुआ और लंका की चौमुहानी के पास फिर से विद्यार्थी जुटे और बाहर से आये हुये थे कहने से मेरा मंशा है कि शहर के विद्यार्थी थे। यह वाकया है कि वहां पर कलक्टर और एस० पी० थे। उन्होंने घंटे भर तक बातें कीं और वह यूनिवर्सिटी से दो प्रोफेसर्स को भी ले आये जिन्होंने समझाने की कोशिश की; लेकिन वह नहीं माने तो छोटा-सा लाठीचार्ज हुआ जिसमें हो सकता है कि चोटें लग गई हों और यह भी मुमकिन है कि राधेश्याम जी के भी चोट लग गई हो और जो कोई इसको सुनेगा उसको दुख होगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक था कि चोट लग गई हो। ११-१२ विद्यार्थी घायल हुये हैं, ४२, ४३ गिरफ्तारियां की गईं जिनके ऊपर केसेज चल रहे हैं। यह झूठ है कि गोली चली, कहीं नहीं चली। इतने बड़े मामले को वहां की पुलिस तथा अधिकारियों ने कम से कम फोर्स . . . .

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान्, मंत्री जी ने "झूठ" शब्द इस्तेमाल किया है। यह अनपार्लियामेंटरी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्रीमान्, मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं कहता हूं कि वहां फायरिंग हुई। यह मेरी सूचना है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं कहता हूं कि यह गलत है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, सही है, गोली चली।

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्रीमान्, कोई सज्जन जेल में थे, कोई बलरामपुर अस्पताल में थे, कोई सज्जन लखनऊ में थे, कोई आजमगढ़ में थे। सब ऐसी बातें कहेंगे जिन्होंने देखा नहीं और सुनकर बात कहेंगे। मैं कहता हूं तो कहते हैं कि गलत कह रहे हैं।

श्री त्रिलोकी सिंह--अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। कई बार इस सदन में कहा गया। क्या सदन के माननीय सदस्यों को यह अधिकार नहीं है कि किसी ऐसी बात को जिसे उन्होंने न देखा हो अथवा उस स्थान के वे रहने वाले न हों उसके सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त हो तो उसको सचवाई के साथ पेश कर सकें ?

श्री अध्यक्ष--इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वह आपकी जानकारी की टीका कर रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--और श्रीमन्, आज यह कहना कि वहां एंट्री रोकी गई पुलिस के जरिये यह सही नहीं है क्योंकि प्राक्टर्स गेट पर मौजूद रहे और उन्होंने कार्ड इश्यू किये और यह व्यवस्था बनाई कि कार्ड को लेकर ही लोग बाहर तथा भीतर आयें।

श्री गौरीशंकर राय---अध्यक्ष महोदय, मुझको खुद रोका गया था।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं खुद कह रहा हूं कि प्राक्टर्स ने कार्ड्स इश्यू किये और जैसे कि उनके इंस्ट्रक्शंस थे उनके अनुसार बाहर जाने तथा अन्दर आने के लिये ऐंट्री को रेग्यूलेट किया गया। वहां कोई ज्यादती नहीं हुई। मैं मेम्बरों से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसी परिस्थिति थी और उभारी गयी थी राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा....

(शेम-शेम की आवाजें, व्यवधान।)

उस प्रकार की परिस्थिति में जितना कम से कम बल का प्रयोग हो सकता था उतना हुआ। केवल ११ आदमियों को चोट आयी। यह कहना कि इस प्रकार की फायरिंग हुई और ज्यादती की गयी यह असत्य है। मैं आपकी आज्ञा से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं भी हो पुलिस का बल प्रयोग शर्म की बात होती है, विद्यार्थियों के ऊपर बल प्रयोग करना पड़े तो और भी दिक्कत और परेशानी तथा पीड़ा की बात होती है। पर आवश्यक यह था कि राजनीतिक दलों के नेता और सार्वजनिक नेता उन विद्यार्थियों में किसी प्रकार की एक ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न कर देते कि वहां अनुशासनहीनता.....

श्री नारायणदत्त तिवारी---उन राजनीतिक दलों का नाम बता दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, उसके नेताओं ने व्याख्यान दिया और लड़कों को भड़काया।

श्री अध्यक्ष---समय समाप्त हुआ। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२ दिसम्बर, १९५८।

संसद सदस्य

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०४ पर।)

तालिका—पांचवीं बैठक जो कि ८ सितम्बर, १९५७ को हुई, इसम निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये गये:

१—पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

२—काफी बहस के बाद निश्चित हुआ कि सखानू में बाई पास ऊपर की ओर बनाई जाये ताकि जगत ग्राम भी सड़क से जुड़ जाये।

३—सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिला अभियंता उचित समय पर नरहा पुल का निरीक्षण करें और कमेटी को इसके बारे में सुझाव दें।

छठवीं बैठक—२० फरवरी, १९५८ को हुई। इसमें नरहा नाले की जिला अभियंता की निरीक्षण रिपोर्ट पढ़ी गई। कमेटी ने सिफारिश की कि सार्वजनिक निर्माण विभाग सरकार से सिफारिश करे कि वह इसको पूरा कराये।

इस विषय में अधिशासी अभियंता ने जिला अभियंता को लिख दिया था कि वह सभापति को बता दें कि पुल बनाने का काम सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा आदेश आने पर किया जा सकता है।

श्री केशोराम जी, एम०एल०ए० ने बताया कि बदायूं-सहसवान सड़क के बीसवें मील से चौबीसवें मील तक व सहसवान-गुन्नौर सड़क के पहले मील से छठवें मील तक जो कंकड़ पड़ा है उसकी जांच की जाये। जिला अभियंता ने बताया कि यह बात पहले भी उठाई गई थी और इसकी जांच की जायेगी, इसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जांच की गई और सब कंकड़ ठीक कराकर पास किया गया। खराब कंकड़ सड़क के बाहर फिंकवा दिया गया।

श्री शिव नारायण सिंह यादव, एम०एल०ए० ने बताया कि ठेकेदार विकास क्षेत्र आसफपुर ने आसफपुर-सीकरी सड़क पर अरिल नदी के सार्वजनिक घाट पर से रेता निकाल कर खाई और गढ़े कर दिये हैं जिससे यातायात अत्यन्त कठिन हो गया है और पशु भी मर गये हैं। निश्चय हुआ कि यहां पर सहायक अभियंता (२) बरेली का ध्यान इस ओर दिलाया जाये।

सहायक अभियंता (२) बरेली ने सूचना दी है कि ओवरसियर घटनास्थल पर ३० सितम्बर, १९५८ को गये थे लेकिन नदी में बाढ़ थी और किनारे तक पानी भरा हुआ था इस कारण यह ज्ञात न हो सका कि गढ़े भर गये या नहीं। इसकी ठीक सूचना बाढ़ का पानी कम होने पर दी जा सकेगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो काम आसफपुर में हो रहे हैं उनके लिये रेता बाहर से ठेकेदार लाये थे। मालूम होता है कि इन गढ़ों में से रेता श्री हिकमत उल्ला ठेकेदार ने बूंदपुर गांव में एक तालाब की दीवार बनाने के लिये जो काम उन्होंने किया था लिया होगा। अधिक सूचना जांच के उपरान्त ही प्राप्त हो सकेगी। इस काम का इस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१३ पर।)

सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यों पर मजदूरों की नियुक्ति आदि के नियम

१—जब और जहां कहीं किसी कार्य का निष्पादन (execution) विभाग को करना होता है वहां आवश्यकतानुसार मजदूर लगा लिये जाते हैं।

२—इन मजदूरों की हाजिरी, पारिश्रमिक, जुर्माना आदि मस्टर रोल पर ली जाती है।

३—मस्टर रोल बन्द करने पर प्रत्येक मजदूर का लेखा तैयार किया जाता है, गैंग (gang) द्वारा किये गये कार्य की माप ली जाती है, जिसे मेजरमेंट बुक में दर्ज करके मस्टर रोल के पीछे उसकी लागत (valuation) निकाल कर दर्ज कर दी जाती है। तब मस्टर रोल एक्जीक्यूटिव इंजीनियर अथवा सम्बन्धित इंजीनियर के कार्यालय में चेक किया जाता है। उसे ठीक पाने पर ओवरसियर अथवा असिस्टेंट इंजीनियर को हुंडी (cheque) जारी कर दी जाती है। हुंडी भुना लेने पर ओवरसियर/असिस्टेंट इंजीनियर कार्य स्थल की ओर जाने का प्रोग्राम बनाकर कार्य-स्थल पर पारिश्रमिक का वितरण कर देते हैं। जो मजदूर उपस्थित नहीं होते उनकी मजदूरी कार्यालय में जमा कर दी जाती है जिसको सम्बन्धित मजदूर उसी कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१४ पर।)

विवरण

तहसील का नाम	१९५२ से १९५८ के अगस्त माह तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों की लम्बाई
मवाना	२१ मील
मेरठ	.. १० १/२ ,,
गाजियाबाद	.. ४४ १/४ ,,
हापुड़	.. ४ ३/४ ,,
सरधना	.. ९ १/८ ,,
बागपत	.. ३९ १/४ ,,

विधान सभा प्रदेश मेरठ

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२३ पर।)

Secret

No. 5366-A/IX—84-53

FROM

SRI H. L. BHARGAVA,
UNDER SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

ALL COMMISSIONERS OF DIVISIONS,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, July 10, 1954.

Subject : **Levy of licence fees on brick-kilns, oil and flour mills, etc. by District Boards**

SIR,

ocal Self
ovt. Deptt.

I AM directed to say that in connection with the levy of licence fees by District Boards a question has arisen whether a licence fee of Rs.200 p.a. per chimney kiln can be regarded as reasonable or otherwise from the legal point of view. The matter has been examined by Government and the position that has finally emerged in this regard is indicated below.

2. In a case relating to the District Board of Ballia it was held by the Allahabad High Court that the licence fee contemplated by the U. P. District Boards Act, 1922, is a fee which will only cover, more or less, the actual and special expenses incurred by the board in regulating a particular trade or business and that the licence fee can thus be levied only for the purpose of meeting the probable expenditure on the regulation of the trade or business concerned, and not for the purpose of augmenting the general revenue. It was further observed by the High Court that there is a basic difference between a tax and a licence fee, that one of the main functions that the boards have to perform is to regulate specified trades and that, for purposes of this regulation, they have been given powers of imposing a licence fee only for the purpose of meeting the expenses involved, and not for raising their general revenue. In that case the rates of licence fees on various types of kilns imposed by the District Board were Rs. 250 p.a. for chimney kilns, Rs.50 p.a. for *deshi* brick kilns, and Rs.15 p.a. for *kankar* lime kilns. The High Court did not give a clear finding whether these rates were exorbitant, but at the same time, they were not considered reasonable.

3. In another case relating to the Allahabad District Board the same High Court held that the licence fees at the rate of (1) Rs.100 per annum in respect of oil mills, and (2) Rs.50 and Rs.30 per annum in respect of flour mills, were an illegal impost. The High Court considered that the fees at these rates were much disproportionate to the probable expenses for the regulation of the particular trade or business.

4. Government are advised that judging from these considerations it is likely that a fee of Rs.200 per annum per chimney kiln, may be considered to be exorbitant unless the yield therefrom is only sufficient to meet the probable expenditure on the administration of the connected bye-laws.

5. I am, therefore, to request that the legal position about this matter may be explained to all District Boards in your division, and they may be asked to examine their existing licence fees, if any, in order to determine reasonable rates thereof after taking into account the aggregate of fees that may be recoverable by them from the trade concerned, as a whole, and also the administrative expenses estimated to be incurred in connexion with the regulation of such trade. It may also be pointed out to the Boards that if in spite of the High Court rulings cited above they continue to realize exorbitant licence fees, they may involve themselves in avoidable litigation causing unnecessary waste of public money.

Yours faithfully,
H. L. BHARGAVA,
Under Secretary.

No. 5366-A (1)/IX—84-53

COPY forwarded to—

(1) all District Magistrates in Uttar Pradesh for information,

(2) all Presidents of District Boards in Uttar Pradesh, for information and necessary action.

By order,
H. L. BHARGAVA,
Under Secretary to Government
Uttar Pradesh.

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'घ' (१)

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२३ पर।)

No. 219-B IX-A—84-53

FROM

SRI SYED ALI AKHTAR RIZVI,

DEPUTY SECRETARY TO GOVERNMENT,

UTTAR PRADESH,

TO

ALL COMMISSIONERS OF DIVISIONS (INCLUDING DEPUTY COMMISSIONER-IN-CHARGE, KUMAUN DIVISION), UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, March 14, 1956.

SIR,

Local Self Government (A) Deptt.

I am directed to invite your attention to G. O. no. 5366-A/IX—84-53, dated July 10, 1954 in which principles that should govern the incidence of licence fees were explained in the light of certain pronouncements of courts. It appears that the instructions communicated therein have not uniformly received attention of local bodies with the result that cases continue to exist where the rates in force are *prima facie* on the high side. Such a state of affairs can have only one result, namely, that Boards may now and then find themselves involved in unpurposeful litigation by having to defend a lost cause. It is imperative that the embarrassing consequences of such a situation are fully realized and positive steps are taken in good time to remove any existing inequities. If, in spite of repeated cautions and warnings that have been given in the matter, it is found that in any particular case lack of timely remedial action had led the local body in wasteful expenditure on litigation State Government will be obliged to consider if the local body concerned had also not rendered itself open to surcharge proceedings.

While it is appreciated that there can be no method of correlating with mathematical exactitude the estimated receipts (which may be uncertain) with the expenditure on administration of the licence (even though it may be calculated with certainty) it is felt that broad correlation allowing a reasonable margin for deviations and uncertainties is not entirely impracticable. It is necessary that efforts should be made to ensure such broad correlation.

I am further to say that besides the local bodies, which in any case have to make a move in this direction, the District Magistrates and you, as the authorities invested with the ultimate power of confirming the bye-laws of local bodies, may also maintain a watch in your respective jurisdictions so as to ensure that as far as possible remedial action, wherever necessary, is taken by the local bodies concerned correctly and promptly.

Yours faithfully,
S. A. A. RIZVI,
Deputy Secretary.

Draft

No. 219-B(i)/IX-A—84-1953

COPY forwarded to all District Magistrates in Uttar Pradesh.

No. 219-B(ii)/IX-A—84-1953

COPY with a copy of G. O. no. 5366-A/IX—84-53, dated July 10, 1954, forwarded to—

(1) all Presidents of Municipal Boards in Uttar Pradesh (including the Administrators of the Superseded and the KABAL Town Municipal Boards) ;

(2) all Presidents of District Boards in Uttar Pradesh [including the President of Sub-Board, Bhadohi (Banaras) and the Administrator of the District Board, Mirzapur] ;

(3) all Presidents of Notified Area Committees in Uttar Pradesh ;

(4) all Chairmen of Town Area Committees in Uttar Pradesh ;

(5) all Administrators of Improvement Trusts in Uttar Pradesh ; and

(6) the Administrator, Development Board, Kanpur.

COPY also forwarded to the Municipal (A) and Municipal (B) Departments of the Civil Secretariat for information.

By order,
S. A. A. RIZVI,
Deputy Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

SECRET

No. 5366-A/IX—84-53

From Sri H. L. BHARGAVA, Under Secretary to Government, Local Self-Government Department, Uttar Pradesh,

To All Commissioners of Divisions, Uttar Pradesh.

Dated Lucknow, July 10, 1954.

Subject: **Levy of licence fees on brick-kilns, oil and flour mills, etc., by District Boards**

SIR,

I AM directed to say that in connexion with the levy of licence fees by District Boards a question has arisen whether a licence fee of Rs.200 per annum per chimney kiln can be regarded as reasonable or otherwise from the legal point of view. The matter has been examined by Government and the position that has finally emerged in this regard is indicated below.

2. In a case relating to the District Board of Ballia it was held by the Allahabad High Court that the licence fee contemplated by the U. P. District Boards Act, 1922, is a fee which will only cover, more or less, the actual and special expenses incurred by the Board in regulating a particular trade or business and that the licence fee can thus be levied only for the purpose of meeting the probable expenditure on the regulation of the trade or business concerned, and not for the purpose of augmenting the general revenue. It was further observed by the High Court that there is a basic difference between a tax and a licence fee, that one of the main functions that the boards have to perform is to regulate specified trades and that, for purposes of this regulation, they have been given powers of imposing a licence fee only for the purpose of

meeting the expenses involved, and not for raising their general revenue. In that case the rates of licence fees on various types of kilns imposed by the District Board were Rs.250 per annum for chimney kilns, Rs.50 per annum for *deshi* brick kilns, and Rs.15 per annum for *kankar* lime kilns. The High Court did not give a clear finding whether these rates were exorbitant but, at the same time, they were not considered reasonable.

3. In another case relating to the Allahabad District Board the same High Court held that the licence fees at the rate of (1) Rs.100 p.a. in respect of oil mills, and (2) Rs.50 and Rs.30 p.a. in respect of flour mills, were an illegal impost. The High Court considered that the fees at these rates were much disproportionate to the probable expenses for the regulation of the particular trade or business.

4. Government are advised that judging from these considerations it is likely that a fee of Rs.200 p.a. per chimney kiln, may be considered to be exorbitant unless the yield therefrom is only sufficient to meet the probable expenditure on the administration of the connected bye-laws.

5. I am, therefore, to request that the legal position about this matter may be explained to all District Boards in your division, and they may be asked to examine their existing licence fees, if any, in order to dertermine reasonable rates thereof after taking into account the aggregate of fees that may be recoverable by them from the trade concerned, as a whole, and also the administrative expenses estimated to be incurred in connection with the regulation of such trade. It may also be pointed out to the Boards that if in spite of the High Court rulings cited above they continue to realize exorbitant licence fees, they may involve themselves in avoidable litigation causing unnecessary waste of public money.

संसद सदस्य सदस्य

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२३ पर।)

विवरण

चित्रकूट धाम क्षेत्र का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में है तथा कुछ भाग मध्य प्रदेश में है। दोनों राज्य सरकारों ने सेन्ट्रल जोनल काउन्सिल के परामर्श से यह निश्चय किया कि इस क्षेत्र का विकास किया जावे। इस क्षेत्रके विकास की योजनाओं पर परामर्श देने के लिये दोनों सरकारों द्वारा एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति का निर्माण किया जावेगा। उस समिति से सम्बन्धित आवश्यक नियम बनाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये सरकारें अपने-अपने क्षेत्र के लिये Local Development authority का निर्माण करेंगी। पुर क्षेत्र चित्रकूट तथा अनुसूचितक्षेत्र कर्बी को मिला कर एक नगर पालिका बना दी गई है जिसका नाम चित्रकूट धाम रखा गया है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२५ पर।)

उत्तर प्रदेश पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारी संघ, गाजियाबाद की मांगें

१--आकस्मिक तथा अर्जित छुट्टी का दिया जाना।

२--एक वर्ष के पश्चात् सेवा में स्थायी किया जाना।

३--वर्कमेंस कम्पैंसेशन अधिनियम का लागू किया जाना।

४--काम के घंटों का निश्चय किया जाना।

५--मुख्यालय के बाहर सरकारी काम पर नियुक्त किये जाने के समय मजदूरों को दैनिक भत्ते का दिया जाना।

६--गैंगमैनों को साप्ताहिक छुट्टी का दिया जाना।

७--संघ की मान्यता।

८--विभाग के छटनी किये गये कर्मचारियों को रिक्त पदों पर, जब कभी वे खाली हों, रक्खा जाना।

९--पेंशन तथा प्रावीडेन्ट फन्ड की सुविधाएं।

१०--वार्षिक वेतन वृद्धियां।

११--वर्क चार्ज कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में ५ रू० की वृद्धि।

मांग संख्या ३ : सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है।

मांग संख्या ४: अधिकतर वर्कचार्ज अधिष्ठान के कर्मचारियों से ८ घंटे काम लिया जाता है।

मांग संख्या ६: इन कर्मचारियों को साल में बरसात के महीनों के अतिरिक्त साप्ताहिक छुट्टी दी जाती है। बरसात में केवल माह में दो इतवारों को छुट्टी दी जाती है। यह सुविधा आकस्मिक कर्मचारियों (casual labour) को उपलब्ध नहीं है।

मांग संख्या ७-८: सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है।

शेष मांगों पर सरकार विचार कर रही है।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३० पर।)

१५ जुलाई, १९५८ को अस्थाई सिविल तथा सेशन्स जज उरई के न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की तालिका

मुकदमों की किस्में	एक वर्ष से अधिक से विचाराधीन मुकदमें	दो वर्ष से अधिक से विचाराधीन मुकदमें	तीन वर्ष से अधिक से विचाराधीन मुकदमें
१—फौजदारी के मुकदमें	१४	४	१
२—फौजदारी की अपीलें	..	..	..
३—दीवानी की अपीलें	१०२	२०	१
४—दीवानी के नम्बरी (सामान्य) मुकदमें ..	६	६	२
५—खफीफा के मुकदमें	१	..	..
योग ..	१२३	३०	४

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४४४ पर।)

उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

एक अधिनियम को निरसित करने तथा कुछ अन्य अधिनियमों को संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि एक अधिनियम जिसका अब प्रायः कोई प्रयोग नहीं रह गया है स्पष्ट और विशिष्ट रूप से निरसित कर दिया जाय ;

और यह भी इष्टकर है कि कतिपय अन्य अधिनियमों में कुछ संशोधन किये जायं :

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन अधिनियम, १९५८" कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रवलित होगा।

एक अधिनियम का निरसन

२—प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम उस अनुसूची के पांचवें स्तम्भ में वर्णित सीमा तक एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

कतिपय अधिनियमों का संशोधन

३—द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम उस अनुसूची के पांचवें स्तम्भ में वर्णित सीमा तक तथा उसमें वर्णित रीति से एतद्द्वारा संशोधित किये जाते हैं।

अपवाद

४—इस अधिनियम द्वारा किये गये धारा २ में अभिदिष्ट अधिनियम के निरसन का प्रभाव किसी अन्य ऐसे अधिनियम पर न पड़ेगा जिसके द्वारा निरसित अधिनियम प्रवृत्त, समाविष्ट अथवा अभिदिष्ट किया गया हो;

और यह अधिनियम पहले से की गई या हुई किसी बात को, अथवा पहले से उपार्जित, उत्पन्न या उपागत किसी अधिकार, आगम, आभार या दायित्व को, अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपचार या कार्यवाही को, अथवा किसी ऋण शास्ति, आभार, दायित्व, दावे या मांग के उत्सर्ग या उससे मुक्ति को, अथवा पहले से स्वीकृत किसी क्षतिपूर्ति (indemnity) को अथवा किसी अतीत कार्य या वस्तु के प्रमाण की मान्यता या अमान्यता, अथवा उसके प्रभाव या परिणाम पर प्रभाव न डालेगा ;

और न यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम पर, या वर्तमान क्षेत्राधिकार पर या वकालत, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप में या क्रम पर या वर्तमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, विमुक्ति (exemption) पद या नियुक्ति पर ही कोई प्रभाव डालेगा, भले ही वे एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा या उसमें अथवा उससे किसी भी रीति से क्रमशः संपुष्ट, अभिज्ञात अथवा व्युत्पन्न हुये हों ;

और न इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियम के निरसन के परिणामस्वरूप किसी भी क्षेत्राधिकार, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, आगम, विशेषाधिकार निर्बन्धन, विमुक्ति, प्रथा, व्यवहार, प्रक्रिया अथवा अन्य किसी विषय अथवा वस्तु का, जो सम्प्रति विद्यमान अथवा प्रवृत्त न हो, पुनः प्रचलन अथवा पुनः स्थापन ही होगा।

प्रथम अनुसूची

निरसन

(धारा २ देखिये)

क्रम संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	निरसन की सीमा
१	२	३	४	५
१	१९४७	१७	दि यू० पी० रेस्टोरेशन आफ लैण्ड्स ऐण्ड हाउसेज ऐक्ट, १९४७	समस्त

द्वितीय अनुसूची

(धारा ३ देखिये)

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	संशोधन
१	२	३	४	५
१	१८८३	१९	दि लैण्ड इम्प्रूवमेंट लोंस ऐक्ट, १८८३	धारा ३ में शब्द "of a District" तथा "or any officer" के बीच में आने वाले शब्द "or the Deputy Commissioner" निकाल दिये जायं।
२	१९२२	१०	दि यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२	(१) धारा ११-आई० में:— (क) खंड (जे) के अंत में आने वाला शब्द "and" निकाल दिया जाय, और (ख) खंड (एच) के अंत में आने वाले सेमीकोलन के पश्चात् शब्द "and" बढ़ा दिया जाय। (२) धारा १४-डी की उपधारा (१) के खंड (सी) में कोष्ठक तथा अक्षर "(1)" के स्थान पर कोष्ठक तथा अक्षर "(d)" रखदिये जायं।
३	१९३९	१०	दि यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९	(१) धारा ५ की उप धारा (१) के खंड (iii) में शब्द "system of medicine" तथा "in the manner prescribed" के बीच में शब्द "to be elected" रख दिये जायं ; और (२) धारा १४ का द्वितीय प्रतिबन्धक निकाल दिया जाय।
४	१९३९	४	दि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९	धारा ११४-ए २७ फरवरी, १९५८ से निकाल दी जायगी और निकाली हुई समझी जायगी।

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	संशोधन
१	२	३	४	५
५	१९४८	७	दि यू० पी० रिफ्यूजीज रजिस्ट्रेशन एवं मूवमेंट ऐक्ट, १९४७	(१) धारा ४ के द्वितीय प्रतिबंधक में शब्द "furnish on' तथा 'behalf" के बीच में आये हुए शब्द "its" के स्थान पर शब्द "his or her" रख दिये जायं, तथा (२) धारा ५ में शब्द "as may be authorized" तथा "this behalf" के बीच में आने वाले शब्द "on" के स्थान पर शब्द "in" रख दिया जाय।
६	१९४८	१५	संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८	धारा ८-क की उप-धारा (४) में कोष्ठक तथा अक्षर "(च)" के स्थान पर कोष्ठक तथा अक्षर "(ङ)" रख दिये जायं।
७	१९५१	१	१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम	अनुसूची ५ में—— (क) परिच्छेद ४-ख के स्पष्टीकरण के खंड (२) में शब्द और संख्या "डिसप्लेस्ड पर्सन्स कम्पेन्सेशन ऐण्ड रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, १९५५" के स्थान पर शब्द और संख्या "डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (कम्पेन्सेशन ऐन्ड रिहैबिलिटेशन) ऐक्ट, १९५४" रख दिये जायं, और (ख) परिच्छेद ८ में शब्द और संख्या "डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कम्पेंन्सेशन ऐण्ड रिहैबिलिटशन ऐक्ट, १९५५" क स्थान पर शब्द और संख्या "डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (कम्पेंसेशन ऐण्ड रिहैबिलिटेशन) ऐक्ट, १९५४" रख दिये जायं।
८	१९५२	३८	उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी (प्रतिरोध अधिनियम, १९५२	(१) धारा १६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—— "१६——यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध प्रतिरोध आज्ञा या धारा १५ के अधीन किसी बस्ती में आसेध की आज्ञा दी गयी हो—— (क) बिना आज्ञा या प्रवेश-पत्र (पास) के जो नियत किया गया हो, ऐसी बस्ती या ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के, जिस के भीतर उस की गतिविधि सीमित की गयी हो, बाहर या ऐसे

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	निरसन की सीमा
१	२	३	४	५
				स्थान में या ऐसे समय पर, जिस के लिए उसके प्रवेश-पत्र (पास) की शर्तों के अनुसार अनुमति न हो पाया जाय, या (ख) किसी बस्ती से निकल भागे या प्रस्थान करे, (१) तो वह बिना किसी वारन्ट के किसी पुलिस अधिकारी या बस्ती के किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा, जो राज्य सरकार की किसी सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस बात के लिए अधिकृत किया गया हो, गिरफ्तार किया जा सकता है और किसी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सन्मुख उपस्थित किया जा सकता है, जो इस अधिनियम के अनुसार उस क विरुद्ध कार्रवाई करने के उद्देश्य से उसे उस क्षत्र या बस्ती में, जैसी भी स्थिति हो, ले जाये जाने की आज्ञा देगा।" (२) अनुसूची में धारा ३६३ के सामने शब्द "अपहरण (kidnapping)" के पश्चात् तथा विराम के पहले शब्द "के लिये दंड" बढ़ा दिये जायं।
९	१९५६	३	उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, १९५५	(१) धारा ६ की उप-धारा (२) में शब्द "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" के पश्चात् आये हुये शब्द "अथवा राज्य सरकार से भिन्न किसी अन्य लाइसेंस प्राधिकारी" निकाल दिये जायं, तथा (२) धारा ७ की उपधारा (१) के खंड (घ) में आये हुये शब्द तथा अंक "धारा ८" तथा शब्द "के अधीन" के बीच में शब्द तथा अंक "अथवा सिनेमैटोग्राफ ऐक्ट, १९५२ की धारा ७" रख दिये जायं।
१०	१९५७	२५	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण)। (संशोधन) अधिनियम, १९५७	धारा २ में आये हुए शब्द "विधान मण्डल" तथा शब्द "(अनर्हता निवारण)" के बीच में शब्द "सदस्य" रख दिया जाय।

उद्देश्य और कारण

इस विधेयक का अभिप्राय परिनियम पुस्तक (Statute Book) से एक ऐसे अधिनियम को, जिसका अब प्रायः कोई प्रयोग नहीं रह गया है, हटाना तथा द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों में छोटे-मोटे संशोधन करना है। इन में से अनेक संशोधन उन सब गल्तियों को भी ठीक कर देंगे जो उक्त अधिनियमों में पायी गयी है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मन्त्री।

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २६३ एल० ए०--१९५९-८४०।